

### Social Monitoring Report

Project Number: 47270-001

January 2017

Period: July 2015 - December 2015

Part A (Pages 1 - 123)- Main Report and Annexure 1

# IND: Madhya Pradesh District Connectivity Sector Project

Submitted by

Madhya Pradesh Road Development Corporation Ltd., Bhopal

This report has been submitted to ADB by the Madhya Pradesh Road Development Corporation Ltd., Bhopal and is made publicly available in accordance with ADB's Public Communications Policy (2011). It does not necessarily reflect the views of ADB.

This social monitoring report is a document of the borrower. The views expressed herein do not necessarily represent those of ADB's Board of Directors, Management, or staff, and may be preliminary in nature. In preparing any country program or strategy, financing any project, or by making any designation of or reference to a particular territory or geographic area in this document, the Asian Development Bank does not intend to make any judgments as to the legal or other status of any territory or area.

### Asian Development Bank

MADHYA PRADESH ROAD DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

(Govt. of M.P. Undertaking)

45 - A, Arera Hills, Bhopal - 462 011, Madhya Pradesh **Tel.**: (O) 0755-2765205, 2527202 - 299 (PRL Line) **Fax:** +91-755-2572643

Website: www.mprdc.nic.in

PKMAB

Letter no 14.953/MPDCSP/Environment/MPRDC To,

Mr. M. Terasa Kho
Country Director,
Indian Resident Mission
4, Sen Martin Marg
Chankyapuri, New Delhi-11

Bhopal/dated. 1.5./12/2016



Sub:- Semi-Annual Environment Monitoring Report for the period of July-December 2015 and Assessment of Social Due Diligence Report under Loan No 3189-IND:- Madhya Pradesh District Connectivity Sector Project.

Dear Sir,

Please find enclosed herewith the "Semi-Annual Social Safeguard Monitoring Report for the period of July-December 2015 & Assessment of Social Due Diligence Report" of Ujjain-Maksi road MPDCSP Projects of (Bhopal-1 & Jabalpur Pkg-2 and Bhopal-2 Packages) for the period of July -December - 2015, under Loan No 3189-IND as per Agreement of ADB.

Thanking You,

Encl:-As above.

Chief Engineer (ADB)
MPRDC, Bhopal

Consultancy Services for Supervision of Civil Works for Madhya Pradesh District Connectivity Sector Projects (MPDCSP)

Loan Number: 3189-IND

# SEMI-ANNUAL SOCIAL SAFEGUARD MONITORING REPORT

Reporting Period: July 2015 - December 2015

Prepared by:

Madhya Pradesh Road Development Corporation Ltd.

#### TABLE OF CONTENTS

000000

1	INTRODUCTION AND PROJECTBACKGROUND	2
2	BRIEF DESCRIPTION OF SUB-PROJECTS	2
3	RESETTLEMENT IMPACTS IN THE SUB-PROJECTS	4
4	SOCIAL SAFEGUARD ACTIVITIES DURING THE REPORTING PERIOD	5
	4.1 Social Issues	5
	4.2 Impact on Land, Structure and Livelihood	5
	4.3 Verification of Community Structures (CPRs)	6
5	CONSULTATION WITH THE STAKEHOLDERS	7
6	STATUS OF CONTRACTOR SOCIAL ASPECT COMPLIANCE	9
	6.1 Action on HIV/AJDS Awareness Prevention Campaigns	9
7	GRIEVANCE REDRESS	9
8	COMPLIANCE STATUS WITH RESPECT TO LOAN COVENANT1	0
9	CONCLUSIONS	1

#### SEMI-ANNUAL SOCIAL SAFEGUARD MONITORING REPORT

#### 1 INTRODUCTION AND PROJECTBACKGROUND

Asian Development Bank (ADB) assistance under Madhya Pradesh District Connectivity Sector Project (MPDCSP) project loan 3189-IND has identified, 41 stretches of existing Major District Roads (MDRs)with total length of 1528.5kms for widening and reconstruction in the state of Madhya Pradesh. The 41 identified MDRs are scattered across in the districts of the Ujjain, Gwalior, Shivpuri, Rewa, Singrauli, Sidhi, Jabalpur, Mandla, Katni, Narsinghpur, Sagar, Damoh, Tikamgarh, Panna, Chhatarpur, Bhopal, Vidisha, Indore, Gwalior, Ashok Nagar, Khargone, Shajapur, Barwani and Dewas.

The proposed programe of widening and reconstruction of MDRs from single lane/ intermediatelane/ two lanecarriageway to twolane road. The MPRDC aimed at improving the major district roads to provide reliable road transport services in the state of Madhya Pradesh.

#### 2 BRIEF DESCRIPTION OF SUB-PROJECTS

All the sub projects have been assessed to be of Social SafeguardCategory 'C' as per ADB's Safeguard Policy Statement (2009). Social Safeguard Monitoring Report is concerned with the 41 sub-project roads for the period from July-December 2015. The details of all concerned sub-projects are as under:

Table-1: Details of Civil Works Contract Packages

Package No./Name of Contract	Name of Contractor	Contract Signing			
A. Civil Work Contracts Under Package-1 (Bhopal-1)(Total 378.66 Km)					
Package-A: Mahua-Chuwahi road (Length -48.90 Km)	DilipBuildcon., India (DBL)	11-Dec-14			
Package-B:Chitrangi-Kasar road(Length -39.93 Km)	Madhav Infra Projects Ltd. – Chetak Enterprises Ltd. JV, India (MIPL-CEL)	15-Dec-14			
Package-C:Dabra-Bhitarwar-Harsi road(Length -62.40 Km)	KNR Constrcution Ltd. – Tomar Builder & Contractors Pvt. Ltd. JV, India (KNR- TBCPL)	15-Dec-14			
Package-D: Ujjain-Makshi road(Length -36.50 Km)	DilipBuildcon., India (DBL)	11-Dec-14			
Package-E:Hardua-Chakghat road(Length -92.26 Km)	Gangotri Enterprises Ltd. India (GEL)	14-May-15			
Package-F:Persauna-Mahua (uptoBarkha), road(Length -65.26 Km)	Montecarlo Ltd Shreejilnfrastruture India Pvt. Ltd. JV, India (NCL-SIIPL)	01-May-15			
Package-G:Rewa-Bankuia-Samariya. Road(Length -33.41 Km)	PrakashAsphaltings&Tol Highways (India) Ltd., India (PATH)	14-May-15			

Package No/Name of Contract	Name of Contractor	Contract Signing
B. Civil Work Contracts Un	der Package-2 (Jabalpur)(Total 3	75.59 Km )
Package-H: Rani Durgawati Samadhi Road(MDR-36-19), Tilwara- Chargaon(DR-36-05) &Gotegaon (MDR-41-01), Katni- Vijayraghavgarh-Barhi(MDR-39-01) (Length-118.70 Km.)	Gannon Dunkerley& Co. Ltd. (GDCL)	10-Nov-15
Package-I: Bandri- Jharuwakheda(MDR-31-32), Nirtala- MandiBamora(MDR-31-32), Damoh- Hindoriya-Patera(MDR-32-12) (Length 76.23 Km)	Madhav Infra Projects Ltd. India (MIPL)	06-Nov-15
Package-J:Prithvipur-Niwari (MDR- 35-05), Ajaygarh-Toriya- Bariyarpur(MDR-33-05), Palera- Baldcogarh MDR-35-25) (Length 84.89 Km)	Madhav Infra Projects Ltd. – M.S. Khurana Engineering Ltd. JV, India (MIPL-MSKEL)	06-Nov-15
Package-K: Sidhi-Tikri(MDR 45-02), KyothiKatra-Lalgaon(MDR 43-02), Mauganj-Katra(MDR-43-04) (Length 95.77 Km)	DilipBuildcon., India (DBL)	3-Aug-15
C. Civil Work Contracts Un	der Package-3 (Bhopal-2)(Total :	774.25 Km)
Package-L:MohanpurBehat Mau (MDR-01-01) & Behat Mau (MDR-02-03), MurarChitora (MDR-01-08), MurarChitora (MDR-02-08) & Gatha Amayani (MDR-02-06), Mahana Pohri (MDR-07-06) (Length 159.82 Km)	M/s KNR Construction	06-Aug-2015
Package-M: PachawaliRannod (MDR-07-10) &Rannod Pichhore (MDR-07-04), BhasulaChainpurVijaypurDhanrawa d (MDR-06-09), AshoknagarThubon ( i/c Kolua Road) (MDR-08-11)(length 110.62 Km)	M/s WARAD Infraprojects Pvt. Ltd,	09-Nov-,2015,
Package-N: MasudanganjNajeerabad (MDR-06-03) & NajeerabadMaksudangarh (MDR-23- 08), BerasiaNajeerabad (MDR-23-06), VidishaBerasia (MDR-23-10) &VidishaBerasia (MDR-27-01),(Length-98.75Km)	M/s KCC Buildcon, Gurgoan	06-Aug2015
Package-O: DewasNewari (MDR-10-02), MahidpurPanviharJeevaji Nagar (MDR-09-04), ShajapurBercha (MDR-11-02),	M/s Gannon Dunkerly	1-Nov2015

0

 $\bigcirc$ 

Package No./Name of Contract	Name of Contractor	Contract Signing
ShajapurDupađaKanadPachlanaPilvas		
Nalkheda (MDR-11 -13)(Length- 129.14 Km)		
Package-P: SanverKhipra (MDR-15- 18), KanvanMangod (MDR-16-11), MahuSimrol (MDR-15-02), DepalpurBetama (MDR-15- 07)(length-102.71 Km)	M/s RanjeetBuildcon Ltd.	07-Aug-2015
Package-Q: SanawadKhargonc (MDR-20-01), RajpurKhetiya (MDR- 22-05)(Length-108.71 Km)	M/s GHV (India) Ltd. Mumbai	04-Aug-2015
Package-R: HathnapurAnwalighatSalkanpur (MDR-30-19), Tawa Bridge ItarasiMandi (MDR-30-06), ItarasiDulariyaTigariya (MDR-30- 04)(Length-65.03Km)	M/s SorathiaVelji	2-Aug-2015

The Projectsare divided into three civil works packages i.e. Package-1 (Bhopal-1), Package-2 (Jabalpur) and Package-3 (Bhopal-2). Package-1 (Bhopal-1) is awarded to ICT Pvt. Ltd., Package-2 (Jabalpur) is awarded to AECOM Asia Company Ltd. and Package-3 (Bhopal-2) is awarded to Indian Technocrat Ltd. The details are as under:

Package No./Name of Contract	Name of Supervision Consultant	Contract Signing	Civil Work Contract Package No.	Total Length (in Km.)
Supervision Consultant for Package-1 (Bhopal-1)	Intercontinental Consultant & Technocrats Pvt. Ltd., India (ICT)		Λ to G	378.66
Supervision Consultant for Package-2 (Jabalpur)	AECOM Asia Company Ltd. Hong Kong in Association with VaishnaviInfratech Services Pvt. Ltd, India (AECOM)	18-Aug-2015	H to K	375.59
Supervision Consultant for Package-3 (Bhopal -2)	Indian Technocrat Ltd., India (ITL)	14-Sept-2015	L to R	774.25
* * * *	Grand	Total Civil W	orks Packages	1528.50

#### 3 RESETTLEMENT IMPACTS IN THE SUB-PROJECTS

No involuntary land acquisition will be required under any subproject; however, there would be temporary disruption of livelihood on roadside vendors during construction period. The affected households have willingly signed MOUs during the DPR stage that they are willingly forgo small

0

7

7

0

assistance in favor of better roads and based on that their business and income will increase. The signed MOUs are attached in **Annexture-1**.

Table-2: Summary of Resettlement Impacts and Socio-Economic Details

Type of Impact	Package #1	Package #2	Package #3	Remark
1. Permanent Loss				
Title Holder/Land Owner	Nil	Nil	Nil	
Total Loss of land (sq.mts)	Nil	Nil	Nil	
Loss of private trees	Nil	Nil	Nil	
Total land holding in that Particular Plot (sq.mts)	Nil	NiI	Nil	
Occupation	NΑ	NΛ	NΛ	
Vulnerability	NA	NΛ	NΛ	
Annual Income (INR)	NA	NA	NA	
2. Temporary Loss				
A) Temporary Loss/ Disruption of Business (Nos)	45	32	40	MoUs have been signed by the APs stating willingness to forgo small assistance in favor of better roads and business opportunities.
3. Encroacher in ROW				
A) Encroacher in ROW (Nos)	Nil	Nil	Nil	
4. Impact on CPRs				
Affected CPRs as per SDDR	258	150	223	
Affected CPRs as per Actual	128	168	200	

## 4 SOCIAL SAFEGUARD ACTIVITIES DURING THE REPORTING PERIOD

#### 4.1 Social Issues

In order to identify any social impact, due to the project implementations, the clientandtheconsultants have carried out several site visits and consultations in the project areas during the reporting period of this document. Based on site visit and discussions held with the local residents in the project areas, it has been confirmed that the implementation of the concernedproject will not have any negative social impact. However, public consultation shall becontinued throughout the project implementation period to ensure that no social/resettlement issues remain unaddressed.

#### 4.2 Impact on Land, Structure and Livelihood

It has been stated earlier in the Due Diligence Report that these subprojects are classified as category 'C' for involuntary resettlement in considerations of the ADB's Safeguards Policy Statement.

The resettlement monitoring review has been done periodically and it has found that there is no negative impact, which required mitigation measures as the construction activities are being done either within the available RoW of roads. No land acquisition will be required under any subproject. There will be no loss of livelihood permanently but there will be temporarily disruption of livelihood mainly roadside vendors/ shop keepers during civil work activity.

#### 4.3 Verification of Community Structures (CPRs)

Impact on CPRs is critical from the point of view of community. In terms of CPR, onlyhand pumpswill be impacted. The hand pump list recorded in the SDDR has been verified on ground in accordance with the detailed design. Also, efforts have been made to avoid impact on the hand pumps along the road and a revised list has been prepared. List of Hand pumpsaffected are provided in Table-3 and the details of the same are attached in Annexure-2. The provision of shifting of hand pumpshave been incorporated in the civil contract and the hand pumps are being relocated in consultation with the community.

Table-3: Community Structures as per SDDR and during Implementation

S. No	Project Road	Impact on Community Structures (CPRs)		
NO	,	As per SDDR		
1	Ujjain – Maksi Road	8	0	
2	Dabra - Bhitarwar - Harsi Road	8	4	
3	Mahua - Chuwahi Road	26	25	
4	Chitrangi - Kasar Road	23	26	
5	Hardua – Chakghat Road	123	39	
6	Parsauna - Mahua via Bharkha Road	26	5	
7	Rewa - Bankuiya - Semariya Road	44	29	
8	Rani-Durgawati Samadhi Road	3	4	
9	Tilwari-Chargaon&Gotegaon Road	11	7	
10	Katni-Vijayraghavgarh-Barhi Road	24	18	
11	Bandri-Jaruwakheda Road	0	5	
12	Nirtala-Mandi-Bamora Road	0	6	
13	Damoh-Hindoriya-Patera Road	0	8	
14	Prithvipur-Niwari Road	0	15	
15	Ajaygarh-Toriya-Bariyapur Road	0	18	
16	Palera-Baldeogarh Road	1	10	
17	Sidhi-Tikhri Road	30	12	
18	Kyothi-Katra-Lalgaon Road	31	26	
19	Mauganj-Katra Road	50	39	
20	Mohanpur-Behat Mau Road	12	Being Verified	
21	Murar-Chitora Road	3	Being Verified	
22	Mahana-Pohri Road	16	Being Verified	
23	Pachawali-Rannod Road &Rannod-Pichhore Road	0	0	
24	Bhasula-Chainpur-Vijaypur- Dhanrawad Road	0	0	
25	Ashoknagar-Thubon Road	5	Being Verified	

S.	Project Road	Impact on Community Structures (CPRs)	
No	·	As per SDDR	Verified List
26	Masudanganj - Najeerabad Road &Najeerabad - Maksudangarh Road	14	Being Verified
27	Berasia-Najeerabad Road	4	Being Verified
28	Vidisha-Berasia Road	6	Being Verified
29	Dewas-Newari Road	1	Being Verified
30	Mahidpur-Panvihar-Jeevaji Nagar Road	7	Being Verified
31	Shajapur-Berchha Road	4	Being Verified
32	Shajapur-DupadaKanadPachlana-Pilvas- Nalkheda Road	5	Being Verified
33	Sanwer-Kshipra Road	23	Being Verified
	Kanwan-Mangod Road	31	Being Verified
	Mhow-Simrol Road	3	Being Verified
36	Depalpur-Betma Road	7	Being Verified
37	Sanawad-Khargone Road	5	Being Verified
38	Rajpur-Khetiya Road	41	Being Verified
39	Hathnapur-Anwalighat-Salkanpur Road	30	Being Verified
40	Tawa Bridge-Itarasi-Mandi Road	4	Being Verified
41	Itarasi-Dulariya-Tigariya Road	7	Being Verified

#### 5 CONSULTATION WITH THE STAKEHOLDERS

Public consultation/meetings were organized with local communities including construction workers as well as women about the importance of the project for their betterment. In the meetings people were made aware about social issues, redressal of grievances, if any, advantages of the project and documented their suggestion regarding project.

The Public consultation were conducted tocomprehend expectation from proposed project and also to understand the need and concerns of the local people including vulnerable andelderly population.

The list of the participants were documented and photographed during consultation are attached as **Annexure-3**. The list of consultations held with date, location and number of participants are presented in **Table-4**.

Table-4: Details of Public Consultations

Sl No	Date	<sub>5</sub> Venue	Number of Participants
		Package #1 (Bhopal-1	1)
1	05.06.2015	VijayganjMandi	13
2	05.06.2015	Kaitha	14
3	05.06.2015	Kaitha	10
4	05.06.2015	Patpala	12
5	05.06.2015	Maksi	12
6	09.06.2015	KashipurGuruduara	09

SLNo	Date	Venue	Number of Participants
7	09.06.2015	NonahrikiDhafai	08
8	09.06.2015	Masudpur	05
9	09.06.2015	KariyawatiChouraha	12
10	09.06.2015	Bhitarwar	16
11	09.06.2015	Devrikala	13
12	03.12.2015	Chuwahi	08
13	03.12.2015	Khadora	12
14	03.12.2015	SaraihaChaurahaNegri	08
15	03.12.2015	MahuaGaon	14
16	05.12.2015	Gangi Market	13
17	05.12.2015	Bhawdar	08
18	05.12.2015	Ghonara Market	14
19	02.12.2015	Babhni	10
20	02.12.2015	Deokher	10
21	02.12.2015	Gadehra	05
22	02.12.2015	Kotwa	08
23	02.12.2015	Atraila	08
24	02.12.2015	RohaChaukhandi	1.0
25	06.12.2015	Bedwa	08
26	06.12.2015	Paipakhera	10
27	06.12.2015	Kuinya	10
28	06.12.2015	BhattaChauraha	12
29	04.12.2015	GajraBahera	12
30	04.12.2015	Khakipar	10
31	04.12.2015	RajniaSingraulia	12
32	04.12.2015	PudiKachra	10
		Package #2 (Jabalpur)	
1	24.12.2015	Shivrajpur	12
		Package #3 (Bhopal-2)	
1	20.08.2015	Kulhor	15
2	20.08.2015	Umaria	15
3	26.08.2015	Behat	12
4	13.09.2015	Rodia	13
5	13.09.2015	Ahirkheda	10
6	16.10.2015	Mangod	8
7	20.10.2015	Rangwasa	9
8	21.10.2015	Guran	9
9	26.11,2015	Dolariya	9
10	26.11.2015	Anwlighat	8
11	10.12.2015	Thubon	7

)

....)

#### STATUS OF CONTRACTOR SOCIAL ASPECTCOMPLIANCE

Contractors are maintaining compliance by following the social safeguards norms set by the Project.Contractors have been instructed to avoid to loss of assets, livelihood of the people. The supervision consultant is responsible for ensuring the same.

#### 6.1 Action on HIV/AIDS Awareness Prevention Campaigns

In order to make the people aware about the diseases, the HIV/AIDS Awareness and Prevention Campaign has been conducted at different Locations on sub-project roads. Awareness programs have been organised for construction workers' to provide counselling/ advisory on HIV/AIDS and provision of free condoms. Approximately 230 sets of condoms have been distributed in the program. Additionally, to promote and ensure healthy living, workers have been made aware about cleanliness, garbage disposal etc.

The details of HIV/AIDS Awareness Programme are reported in Table-5, attendance list is attached in Annexure-4, and Photographs of HIV/AIDS awareness is attached in Annexure-5.

Table-5: Awareness Program for Study on HIV/AIDS Related Issues

Sl.	Village/ Location of FGD	Date	Participation of Community		
No.	0 7		Male	Female	Total
1	Contractor Camp	05.06.2015	26	0	26
2	Contractor Camp, Bhitarwar	04.11.2015	44	0	44
3	Contractor Camp, Hanuta	03.12.2015	24	0	24
4	Contractor Camp	05.12.2015	78	0	78
5	Contractor Camp	02.12.2015	56	0	56
6	Barkha Village	04.12.2015	29	6	35

#### 7 GRIEVANCE REDRESS

0

)

)

It would be pertinent here to refer the Asian Development Bank's policy, which requires proper mechanisms for resolution of disputes that may arise from any aspect of the compensation and development process. The mechanisms should be "affordable and accessible," and third parties independent of the implementers should be available at the appropriate point in the process. The grievance procedure need to be simple, administered in the first instance at the local level to facilitate access, flexibility and open to various proofs taking into account the need for speedy, just and fair resolution of their grievances.

Grievances Redress Mechanism of the subproject is an integral part of Resettlement Framework. Resettlement Framework insists forming of a Grievance Redressal Committee (GRC) at the PIU level to deal with the disputes, complaints, receiving suggestions and facilitate timely implementation of the sub-project. Grievance Redress Mechanism has been

established as at two level firstly Grievance Redress Committee (State Level) MPRDC, Bhopal and secondly Grievance Redress Committee (Divisional Level) in each Divisions set up to monitor project implementation. The Details of State level and divisional level GRCs are attached in Annexure-6.

A complaint register is maintaining at each divisions and contractor camp for recording of complaints of local public and other stakeholders. During this reporting period, asked most of the people during public consultation and few grievances against the project have been received. The summary of grievance are presented in **Table-6** and the details are attached in **Annexure-7**.

Table-6: Package wise Details of Grievances

Sl. No.	Package Number	Sub-Project Road	Number of Complaints
1.	Package-D	Ujjain – Maksi Road	28

#### 8 COMPLIANCE STATUS WITH RESPECT TO LOAN COVENANT

The compliance status with respect to loan covenant is presented in the **Table-7** below:

Table-7: Compliance Status

S. No.	Loan Covenant	Agency	Status of Compliance
1	GOI and the State will ensure that all land and right of way required for Investment Program are made available in timely manner	Gol and GoMP	No land acquisition and resettlement issues are involved in this project
2	Adequate compensation are provided prior to the signing of relevant civil works contracts, and involuntary resettlement is carried out in accordance with the resettlement framework (RF) and resettlement plans (RPs) agreed upon between the Government and ADB. An RP will be prepared for each subproject involving land acquisition and resettlement and shall be submitted to ADB for review and approval prior to award of any related civil works contracts, if any.	GoI and GoMP	No land acquisition and resettlement issues are involved in this project
3	GOI and the State will ensure that subprojects will not negatively impact on vulnerable groups such as indigenous people. In the event of their involvement in any of subprojects, the GOI and the states will ensure that the	GoI and GoMP	No negative Impact on any groups

0000

0

0

0

0

)

)

)

)

0

S. No.	Loan Covenant	Agency	Status of Compliance
	subprojects are carried out in accordance with the Indigenous People Development frameworks (IPDF) agreed up on between GOI and the states and the ADB and comply with ADBs policy on Indigenous People (1998).		
4	In the event any issues related to indigenous people arises in course of project implementation, the borrower and the State shall ensure to address those issues in accordance with the applicable laws and policies of the borrower, ADB's policy on indigenous peoples (1998) and the Indigenous People Development Framework for the facility as agreed between the borrower, the State and ADB. In the case of any discrepancy between the borrower's legislation and ADB's policy shall prevail.	GoI and GoMP	Agreed. No issue related to indigenous people is anticipated.
5	GOI and State will ensure that all civil works contractors comply with all applicable labour laws, including those on occupational health and safety and do not employ child labour as defined in national legislation for construction and maintenance activities. Priority work will be given to people from the area where the works are implemented and men and women will receive equal pay for work of equal value.	GoI and GoMP	Being complied with
6	Within six months of the Effective Date, the State shall have established a grievance redressal mechanism	GoMP	GRC has beer Constituted

#### 9 CONCLUSIONS

The Consultants have conducted ground verification in the light of SDDR and found that the project does not involve any land acquisition and involuntary resettlement. All road construction work is being undertaken within the available RoW. Also, Contractors have been clearly instructed to construct the road without affecting any boundary/fencing of built up property. In event of any conflict, the contractors were advised to get such incidents to the

knowledge of supervision consultant and the local MRDC office well in advance to find out alternate solutions. In case any complaints are submitted, an effective and efficient Grievance Redress Mechanism is already in place for timely and sensible hearings and facilitates solutions.

The report confirms that the project does not have adverse social impacts associated with land acquisition and resettlement (LAR) and it is expected that the project will benefit entire population after the completion of the Project.

 $\bigcirc$ 

#### Annexure 1: Signed Memorandum of Understandings (MoUs) during SDDR

साहमति १८३ (व्यक्तिगत रूप से हरताहर १ - ०३)

वा राज्यांत यत्र जिनाक का निर्माण की है भी मात्र का देश कि का मात्र का वा मात

- ग्रह कि प्रथम पत्त चुकान का स्वामी/किसर्यदार/अतिक्रमणकारी/फेरी वाला है। तथा वह अपना जान्द्रद्र)... व्यवसाय पिछले ३५. वर्षों से इस स्थान पर यला रहा है। दुकानदार इस दुकान का पट्टेदार है/ नहीं है। प्रजावित सड़क की निर्माण के वीरान (यवसाय) का स्वामी/पट्टेदार का का साय तथा आगदानी सड़क निर्माण के दौरान वावित होने की आशंका है। यह कालावधी ३ दिन से अधिक नहीं होगी।
- 2 यह कि प्रथम पक्ष मैं मध्य प्रदेश जिला कनेन्टीविटी क्षेत्र परियोजना (MPDCSP) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक सहगति में भाग लिया है, रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाग को समझ लिया है एवं रोड निर्माण हेत् सहमति दें दी है।
- यह कि प्रथम पढ द्वारा अपनी मर्जी से ग्राम (ग्राटमान्त्र) तहसील उपनी में MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण विकास हेतु अपनी आजीविका में संगावित अरक्ष्मी व्यवधान को देखते हुये भी सहमाति प्रदान की है।
- यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने वाले अरखवी आजीविका व्यवधान के
   खिलाफ किसी भी प्रकार के मुआवजे का दावा नहीं करेगा।
- 5 यह कि दितीय पहा को अस्थायी आजीविका व्यवधान संबंधित सहगति
   स्वीकार है।

of Lat City

CCCCC

 $\odot$ 

- 6. यह कि जिताय पर निगाण है । ते तैरान ये के समीप रियत सभी द्याप्ताविक इकाईयों की नुकसान ये बचाने के लिये सभी सभय सावधानियां पूर्वक लायं करगा।
- 7. यह कि प्रध्यम पक्ष द्वारा द्वितीय पदा को यह आखासन दिया जाता है कि यह MPDCSP अन्तर्य होड निर्माण की किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचायेगा ना ही सार्वजानक के ल के जावासमन में व्यवसान पदा करेगा एवं ना ही ऐसे कार्यों में शामिल होगा।
- यह कि दोनो पत MPDCSP अंतर्गत प्रस्तापित इस रोड निर्माण हेतु सहमत
- 9. यह कि उस्ताक्षरित किये जाने की तारीख से यह सहमति पन्न प्रभावी होगा।

साधी / गवाहा की उपरिथति में दोनों	पड़ों ने उपर लिखित तारीख को इस
पत्रक को इस्ताक्षरित किया है।	1
हरताकर प्रथम पक्ष	हितीय पक्ष की ओर से अधिकृत (मोहर सोईत)
गवाह  1 हरताहर टेंग रेन सिंह नाम जरग मिंह पूरा पता - भ्राम पाटपाला ने उज्जैन, जि - उज्जैन	THE ASST. GENERAL MANAGER  1 EVERTERY  THE PROC. UNIAN (M.P.  THE PROC.
	2 हरताक्षर भूग पता — ग्राम पंचायत के सदस्य, खी.पी.आर । संगठनों के प्रतिनिधि तथा ग्राम के

 $\bigcirc$ 

0

 $\bigcirc$ 

 $\bigcirc$ 

 $\bigcirc$ 

0

Ó

)

राहमति पार -एव राह से १० जर मेगर हार्

- १ यह कि प्रधम पक्ष दुकान का स्वामी/किसयंदार/अतिक्रमणकाश/केश वाला है। अधा यह अपना अल्ड्रिंग व्यवसाय पिछले 38 वर्षों से इस स्थान पर प्रला रहा है। दुकानदार इस दुकान का पट्टेदार है/ नहीं है। प्रख्यावित सडक के निर्माण के दौरान व्यवसायी का स्वामी/पट्टेदार का ग्यासाय तथा आमदानी सडक निर्माण के दौरान वालित होने की आशका है। यह फालाओं 3 दिन से अधिक नहीं होगी।
- 2. यह ि प्रथम पक्ष ने मध्य प्रदेश जिला कर्नेक्टीविटी क्षेत्र परियोजमा (MPDCSP) की आपश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक सहगाँठ में भाग लिया है, रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाभ को समझ लिया है एवं रोड निर्माण हेतु सहमति दे सी है।
- 3. यह कि प्रथम पट द्वारा अपनी मर्जी से ग्राम (प्रश्निक्त) वहसील (उपन)न्न में MPDCSP अतर्गत रोड निर्माण विकास हेतु अपनी आजीविका में संभावित अस्थियी व्यवधान को देखते हुये भी सहमति प्रदान की है।
- यह कि प्रथम पदा रोड निर्माण सै होने वाले अरथयी आजीविका व्यवधान के रिवलाफ किसी भी प्रकार के मुआवजे का वावा नहीं करेगा।
- यह कि द्वितीय पक्ष को अस्थावी आजीविका प्यवचान संबंधित सहमति स्वीकार है।

मास्य

0

 $\bigcap_{i=1}^{n}$ 

0

0

0

0

ASST GENERAL MANAGER

- त यह कि दिवीय पक्ष निर्माण करते । उत्तर राज के श्वीप दिया सभी वातसाविक इकाइया को नुकसान सं दवन ने अने सभी संभव सावधानिया प्रांक कार्य करेगा।
- 7 यह कि प्रथम पत्त होरा दिताय पक्ष कर यह आस्वासन दिया जाता है कि यह MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचायेगा, ना ही साहतानण बाहना व अवनन म व्यवव्यान पदा करेगा एवं ना ही ऐसे कार्यों में शामिल होगा।
- यह कि दोनो पक्ष MPDCSP अतर्गत प्रस्तावित इस रोड निर्माण हेतु सहमत
   है।
- यह कि इस्ताक्षारित किये जाने की वारीख से यह सहमति पन्न प्रभावी होगा।

साक्षी / गवाहां की उपस्थिति में दोनो पक्षों ने उपर लिखित तारीख को इस पत्रक को हत्ताक्षरित किया है।

हरतासर प्रथम पक्ष	दितीय पस की ओर से अधिकृत
	(मोहर सहित्)
गवाह	गवाह
१. हस्ताक्षर सिंह न नाम मारन पूरा पता - अभ्य प	TOTAL STORMERAL MANAGER MERDIC, UMAIN (M.P.)  THE WILL STORM  THE ROC, UMAIN  THE ROC, UMAIN
2. हरनासर क्रिका तिः नाम - प्रतिन स्थिहः पूरा पता - प्रतिन स्थिहः	2 STURIT
(गवाह / साथी में गांव के सर कंसलटेंट के प्रतिनिधि, गैर शास् बुजुर्ग / वरिष्ठ नागरिकों को शामि	वच, धाम पंचायत के सदस्य, डी.पी.आर. मकिय संगतनों के प्रतिनिधि तथा गाम ले

0

)

#### सहमति पत्र विश्ववित्तमत रूप से वस्तान्तर करने हेत्री

यह सहमति पत्र विनांक पिछि विभू को श्री श्रीमति हिरात ही हिन्दी प्रियम पद्म कहा जावेगा) एवं मध्य प्रदेश रोड डेव्हलोपमेंट कारपॉरेशन की तरफ से श्री कि ब्रिटिश (जिन्दे बाद में दितीय पद्म कहा जावेगा) के मध्य हस्ताधारित किया गया । गवाहों साक्षी की उपस्थिति में यह दस्ताथंज निष्पादित किया गया है।

- यह कि प्रथम पक्ष दुकान का स्वामी/किरायेदार/अतिक्रमणकारी/फेरी बाला है। तथा वह अपना माजूद्रि... व्यवसाय पिछले ₹० वर्षों से इस स्थान पर चला रहा है। दुकानदार इस दुकान का पद्देदार है/ नहीं है। प्रस्तावित सड़क के निर्माण के दौरान व्यवसायी का स्वामी/पद्देदार का व्यवसाय तथा आमदानी सड़क निर्माण के दौरान बाधित होने की आशंका है। यह कालावधी 3 दिन से अधिक नहीं होगी।
- 2. यह िक प्रथम पक्ष ने मध्य प्रदेश जिला कनेवटीविटी क्षेत्र परियोजना (MPDCSP) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक सहमित में भाग लिया है, रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाभ को समझ लिया है एवं रोड निर्माण हेत् सहमित दे दी है।
- 3. यह कि प्रथम पर द्वारा अपनी मर्जी से ग्राम पाटपाला तहसील उपनी में MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण विकास हेतु अपनी आजीविका में संभावित अस्थियी व्यवधान को देखते हुये भी सहमति प्रदान की है।
- यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने वाले अस्थियी आजीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के मुआवजे का दावा नहीं करेगा।
- यह\_कि द्वितीय पक्ष को अस्थायी आजीविका व्ययमान संबंधित सहमति स्वीकार है।

जिवानी.

7

ASST GENERAL MANAGER

- ह. यह कि दिनीय पक्ष निर्माण कार्य के दौरान रीड के लगीप दिशत सभी व्यवसाधिक इकाईमी को नुकसान से बचाने के लिये लगी अमद सालपानिया। पूर्वक कार्य करेगा।
- 7 यह कि प्रथम पदा द्वारा द्वितीय पक्ष को यह आश्वासन दिया जाता है कि यह MPDCSP अतर्गत रोड निर्माण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुचायेगा, ता ही सार्वजनिक बाहनों के आवागमन में व्यवधान पदा करेगा एवं ना ही ऐसे कार्यों में शामिल होगा।
- यह कि दोनो पक्ष MPDCSP अंतर्गत प्रस्तावित इस रोड निर्माण ऐतु सहमत है।
- 9. यह कि हस्ताक्षरित किये जाने की तारीख से यह सहमति पत्र प्रभावी होगा।

पत्रक को हस्तावस्ति किया है।

हस्तावस् प्रथम पक्ष

गवाह

1. हस्तावस् नाम — अने पूरा पता नाम पारणाला ने उपर लिखत तारीख को इस प्रथम पक्ष

2. हस्तावस् जीका है।

2. हस्तावस् जीका हितीय पक्ष की ओर से अधिकृत

पूरा पता नाम पारणाला ने उपने जिल्लाहर नाम — अने जिल्लाहर नाम — जीवन सिंह पूरा पता — पूरा पता —

(गवाह / साक्षी में गांव के सरपंच, ग्राम पंचायत के सदस्य, डी पी.आर. कंसलटेंट के प्रतिनिधि, गैर शासकिय संगठनों के प्रतिनिधि तथा ग्राम के बुजुर्ग / वरिष्ट नागरिकों को शामिल किया जा सकता है)

000000000

#### सहभाव <mark>पत्र</mark> (व्यक्तिमत रूप से हस्ताक्षर करने हेतु)

यह सहमति पत्र दिनांक श्रीश्री अप्नको भी / श्रीमति उपिम (एकार)
निवासी पाटणाळा (जिन्हें बाद में प्रथम पक्ष कहा जावेगा) एवं मध्य
प्रदेश तेड हेजलोगमें काश्मेरियन ही तरफ से श्री (फ मी हिस्सिम) (जिन्हें
बाद में द्वितीय पक्ष कहा जावेगा) के मध्य हस्ताक्षरित किया गया ।
गवाहों / साक्षी की उपस्थिति में यह दस्तावेज निष्पादित किया गया है।

- 1. यह कि प्रथम पक्ष दुकान का स्वामी/किसयेदार/अतिक्रमणकारी/फेरी वाला है। तथा वह अपना क्राइवर व्यवसाय पिछले 35 वर्षों से इस स्थान पर चला रहा है। दुकानदार इस दुकान का पट्टेदार है/ नहीं है। प्रस्तावित सड़क के निर्माण के दौरान व्यवसायी का स्वामी/पट्टेदार का व्यवसाय तथा आमदानी सड़क निर्माण के दौरान वावित होने की आशंका है। यह कालावधी 3 दिन से अधिक नहीं होगी।
- 2. यह कि प्रथम पक्ष ने मध्य प्रदेश जिला कनेक्टीविटो क्षेत्र परियोजना (MPDCSP) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक सहमति में भाग लिया है, रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाम को समझ लिया है एवं रोड निर्माण हेतु सहमति वे दी है!
- 3. यह कि प्रथम पर द्वारा अपनी मर्जी से ग्राम पाटपान्त्रा तहरीलि उपनिन्न में MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण विकास हेतु अपनी आजीविका में संगावित अस्थियी व्यवचान को देखते हुये भी सहमति प्रदान की है।
- यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने वाले अख्यी आजीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के गुआवजे का दावा नहीं करेगा।

 यह कि द्वितीय पत्त को अस्थायी आजीविका व्यवधान संबंधित सहमित स्वीकार है।

M

ASST GENERAL MANINGER

उत्तेत्र अकारी

0

cccccccc

7

0

)

( )

00000

00000000000

0

O

Э

 $\bigcirc$ 

0

J

 $\odot$ 

- ह. यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य के दौरान रोड के संगीप रिव्यत सभी व्यवसायिक इकाईमा को नुक्तान से बचाने के लिये सभी संगव सावधानियां पूर्वक कार्य करेगा।
- 7. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पहा को यह आश्वासन दिया जाता है कि यह MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचायेगा, ना ही सार्वजनिक गहनों के आगामगन में व्यवधान पैदा नरेगा एवं ना ही ऐसे कार्यों ने शामिल होगा।
- यह कि दोनो पक्ष MPDCSP अतर्गत प्रस्तावित इस रोड निर्माण हेतु सहमत
- यह कि इस्ताक्षरित किये जाने की तारीख से यह सहमति पत्र प्रभावी होगा।

साक्षी / गवाहां की उपरिधति में दोनो	पक्षों ने उपर लिखित तारीख को इस
पत्रक की हरताझरित किया है।	1
RAGISIA distributed	द्वितीय पक्ष की ओर से अधिकृत
गवाह 1. हस्ताक्षर अगार अन्त्रामा नाम — आण्य अन्त्रामा पूरा पता आण्य अन्त्रामा तेन उपकी , जिन् उपकी	मवाह (भोहर साहेशी) मवाह (भोहर साहेशी)  1 हरताहरू (जिंदर साहेशी)
2 हरताक्षर ्रीका शिंह नाम - पीका शिंह पूरा पता नुगड़ पारणाजी (गवाह/साक्षी में गांव के सरपंच,	2 हस्ताक्षर नाम — पूरा पता — ग्राम पंचायत के सदस्य, डी.पी.आर. ग्राम संगठनों के प्रतिनिधि तथा ग्राम के

बुजुर्ग / वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया जा सकता है)

#### सहमति पत्र (ध्यक्तिगत रूप रो हस्ताक्षर करने हेतु)

गढ़ सहमति पत्र विनाक श्रिशिष को श्री/श्रीमति राष्ट्री प्रथम प्रश्न कहा जावेगा) एवं मध्य प्रदेश रोड़ डेव्हलोपमेंट कारपोरेशन की तरफ से श्री रिज़. सी ज़रिशिय पश्च कहा जावेगा) के पत्य हरताशरित किया गया । गणहों/साधी की उपरिश्रति में यह दरताशरित किया गया है।

- 1. यह कि प्रथम पहा दुकान का स्थामी/किरायेदार/अतिक्रमणकारी/फेरी वाला है। तथा यह अपना हाजुद्धी व्यवसाय पिछले 32 वर्षों से इस स्थान पर चला रहा है। दुकानदार इस दुकान का पट्टेदार है/ नहीं है। प्रस्तावित राड़क के निर्माण के दौरान व्यवसायी का स्थामी/पट्टेदार का व्यवसाय तथा आगदानी राड़क निर्माण के दौरान वाचित होने की आशंका है। यह कालावधी 3 दिन से अधिक नहीं होगी।
- 2. यह कि प्रथम पक्ष में मध्य प्रतेश जिला कनेक्टीविटी क्षेत्र परियोजना (MPDCSP) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक सहमति में भाग लिया है, रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाम को समझ लिया है एवं रोड निर्माण हेतु सहमति दे दी है।
- 3. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा अपनी मर्जी से ग्राम पारपाला तहसील अलीन में MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण विकास हेतु अपनी आजीविका में संभावित अस्थियी व्यवधान को देखते हुये भी सहमति प्रदान की है।
- 4. यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने वाले अस्थियी आजीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के मुआवजे का दावा नहीं करेगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्ष को अस्थायी आजीविका व्यवधान संबुधित सहमति स्वीकार है]

रामश्

ASST GENERAL MANIALAN

 $\bigcirc$ 

 $\bigcirc$ 

0

 $\bigcirc$ 

0

0

0

 $\odot$ 

0

 $\cup$ 

- 6. यह कि दिलाग पक्ष निर्माण कार्य के दौरान शेंख के समीप स्थित सभी व्यवसायिक इकाईयों को नुकसान से बचाने के लिये सभी संभव सावामनियां पूर्वक कार्य करेगा।
- 7. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को यह आश्वासन दिया जाता है कि यह MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचारोगा, ना ही सार्वजनिक वाला के आवागमन में व्यवसान पदा करेगा एवं ना ही ऐसे कार्यों में शामिल होगा।
- 8. यह कि दोनों पक्ष MPDCSP अंतर्गत प्रस्तावित इस रोड निर्माण हेतु सहमत है।
- 9. यह कि हस्ताक्षरित किये जाने की तारीख से यह सहमति यन प्रभावी होगा।

साक्षी / गवाहां की उपस्थिति में दोनो पश्चों ने उपर लिखित तारीख को इस पत्रक को हस्ताक्षरित किया है।

हस्ताक्षर प्रथम गहा	द्वितीय पक्ष की ओर से अधिकृत
	(भोहर सिहित)
गवाह 217791	गवाह 0
1. हस्ताक्षर	1 हस्ताक्षर
नाम – चिम्हा	ASST GENERAL MANAGER
पूरा पता - गाम - प्रष्टपाला	पूरा पता - एन भी करिश्या
हा: अस्कीं। वि - उपकी	merac, yjan.
2. हस्ताक्षर जीका Rig	2 हस्ताक्षर
नाम - जीवन विह	THE Printed Assessed Assessed the Land Land Land Land Land Land Land Land
det dett - missikaal	पूरा पता -
(गवाह/साक्षी में गांव के सरपंच,	ग्राम पंचायत के सदस्य, की.पी.आर.

(गवाह / साक्षी में गांव के सरपंच, ग्राम पंचायत के सदस्य, खी.पी.आर. करंसलटेंट के प्रतिनिधि, गेर शासकिय संगठनों छे प्रतिनिधि तथा ग्राम के बुजुर्ग / बरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया जा सकता है)

#### <mark>राहमति पत्र</mark> १०४७८मत रूप से हस्साक्षर करने हेत्)

यह राहमार एवं विनाक शिष्टीए को श्री श्रीमति चित्रण निवासी चारपाला (जिन्हें बाद में प्रथम पक्ष कहा जावेगा) एवं मध्य प्रदेश रोड नेवलोगित कारपोरेशन की तरफ से श्री किल की क्या गया।
यवाहों / साक्षी की उपस्थिति में यह दस्तावेज निष्पादित किया गया है।

- 1. यह कि प्रथम पक्ष दुकान का स्वामी/किरायेदार/अतिक्रमणकारी/फेरी वाला है। तथा वह अपना जालाइकी... व्यवसाय पिछले हि5 वर्षों से इस स्थान पर तक्ष रहा है। दुकानदार इस दुकान का पट्टेदार है/ नहीं है। प्रस्तावित सड़क के निर्माण के दौरान व्यवसायी का स्वामी/पट्टेदार का व्यवसाय तथा आगदानी सड़क निर्माण के दौरान बाहित होने की आशंका है। यह कालावधी 3 दिन से अधिक नहीं होगी।
- 2. यह कि प्रथम एक्ष ने मध्य प्रदेश जिला कनेवदीविटी क्षेत्र परियोजना (MPDCSP) की आवश्यकताओं के सहत आयोजित सार्वजनिक लोक सहमति में भाग लिया है, रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाग को समझ लिया है एवं रोड निर्माण हेतु सहमति दें दी है।
- यह कि प्रथम पर द्वारा अपनी मर्जी से प्राम (ग्राटपान्त्र) तहसील उन्होंने में MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण विकास हेतु अपनी आजीविका में संगावित अस्थयी व्यवधान को देखते हुये भी सहमति प्रदान की है।
- 4. यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने वाले अस्थयी आजीविका व्यवचान के खिलाफ किसी भी प्रकार के मुआवजे का दावा नहीं करेगा।

 यह कि द्वितीय पक्ष को अस्थायी आजीविका व्यवधान संबंधित सहमति स्वीकार है।

fazy

ASST. GENERAL MANAGER

- ं राह कि दितीय पक्ष निर्माण कार्य के दौरान रोड़ के समीप है का सभी व्यवसायिक इकाईयों को गुकसान से बचाने के लिये सभी संभव सावधानियां पूर्वक कार्य करेगा।
- 7 यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को यह आश्वासन दिया जाता है कि यह MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचायेगा, ना ही सार्वजनिक बाहना क जावागमन में व्यवधान पैदा करेगा एवं ना ही ऐसे कार्यों में शामिल होगा।
- 8. यह कि दोनो पक्ष MPDCSP अंतर्गत प्रस्तावित इस रोड निर्माण हेतु सहमत
- 9. यह कि हस्ताक्षरित किये जाने की तारीख से यह सहमति पत्र प्रभावी होगा।

साक्षी / गवाहां की उपस्थिति में दोनों पक्षों ने उपर लिखित तारीख को इस पत्रक को हस्ताखरित किया है।

हरताक्षर प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष की ओर से अधिकृत (मोहर संहित) गवाह ा. हस्ताक्षर 412416 2 इस्ताक्षर (गवाह / साक्षी भें गांव के सरपंच, ग्राम पंचायत के सदस्य, डी.पी.आर.

कंसलटेंट के प्रतिनिधि, गैर शासिकय संगठनों के प्रतिनिधि तथा ग्राम के --युज्मं / यरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया जा सकता है)

)

0

)

#### सहमाते पत्र (यावतगत रूप से हस्ताक्षर करने हेत्)

यह सहमति पत्र दिनाकण/पत्नी म्यू को औं/औमति — कुर्रि तह निवासी प्रशासका (जिन्हें बाद में प्रथम पक्ष कहा जावेगा) एवं कर्य प्रदेश रोड डेक्ट्लीपगेट नामाहितन के तरफ से थे जिसे की कुरि दिन व व बाद में दितीय पत्र कहा जावेगा) के मध्य हस्ताकरित किया गया । मवाहों/साक्षी की उपस्थिति में यह दस्तावेज निष्पादित किया गया है।

- 1. यह कि प्रथम पक्ष दुकान का स्वामी/किरायेदार/अितकमणकारी/केरी याला है। तथा वह अपना डीजूरी... व्यवसाय पिछले \$D यथाँ से इस स्थान पर थला रहा है। दुकानदार इस दुकान का पट्टेदार है/ नहीं है। प्रस्तावित सड़क के निर्माण के दौरान व्यवसायी का स्वामी/पट्टेदार का व्यवसाय तथा आमदानी सड़क निर्माण के दौरान बाहित होने की आश्रक है। यह कालावधी 3 दिन से अधिक नहीं होगी।
- 2. यह कि प्रथम पक्ष ने मध्य प्रदेश जिला कनेक्टीविटी क्षेत्र परियोजना (MPDCSP) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक सहमति में भाग लिया है, रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाम को समझ लिया है एवं रोड निर्माण हेतु सहमति दे दी है।
- 3. यह कि प्रथम पर द्वारा अपनी मर्जी से ग्राम (तृष्ट्यान्त्र) तहसील अन्ति में संगायित में संगायित अस्थयी व्यवधान को देखते हुये भी सहमति प्रदान की है।
- यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने वाले अस्थयी आजीविका व्यवधान के रिप्रलाफ किसी भी प्रकार के मुआवले का दावा नहीं करेगा!
- यह कि द्वितीय पक्ष को अस्थायी भ्राद्वीविका व्यवधान संबंधित सहगति
   स्वीकार 8।

ं क्रांती धर्म

Ò

0

0

0

0

 $\odot$ 

0

ASST GENERAL MANNE

- 6 यह कि दितीय पक्ष निर्माण कार्य के दौरान रोड के समीप स्थित सभी व्यवसायिक इकाईयों को नुकसान से बचाने के लिये सभी समव सावधानियां पूर्वक कर्म करेगा।
- 7 यह कि प्रथम कह हारा दिवीय कह को यह आहबासन दिया जाता है कि यह MPDCSP अवर्गत रोड निर्माण को किसी प्रकार का नुकरंगन नहीं पहुंचायेगा, ना ही सार्गजनिक वाहनों के आवागमन में व्यवनान पैदा करेगा एवं ना ही ऐसे कार्यों में शामिल होगा।
- यह कि दोनो पक्ष MPDCSP अंतर्गत प्रस्तावित इस सेड निर्माण हेतु सहमत
   है।
- यह कि हस्ताक्षरित किये जाने की तारीख से यह सहगति पत्र प्रभावी होगा।

साक्षी / गवाहां की उपस्थिति में दोनो पद्यों ने उपर लिखित तारीख को इस पत्रकं को हस्ताक्षरित किया है।

पत्रक का हस्ताहारत किया है।

हस्ताहार प्रथम पहा हितीय प्रक्ष की और से अधिकृत

गवाह

1. हस्ताहार नाम - जैतरी हो। उस्ताहार हमहित्स का का का कि का का कि का कि

(गवाह / साक्षी में गांव के सरपंच, ग्राम पंचायत के सदस्य, डी.पी.आर. कसलटेंट के प्रतिनिधि, गैर शासकिय संगठनों के प्रतिनिधि तथा ग्राम के-युजर्ग / वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया जा सकता है)

0

Ó

.)

#### सहमति ४३ (व्यक्तिगत रूप रो हस्ताक्षर करने हेत्)

यह सहमति पत्र दिनांक दिनिक दिनिक देते, कनांते क्रिक्त निहासी पिटिपालों (जिन्हें बाद में प्रथम पक्ष कहा जावेगा) एवं मध्य प्रदेश रोड़ डेव्हलोपमेंट कारपॉरेशन की तरफ से भी रिष्ठ मी किया गया । गवाहों रसाधी की उपस्थिति में यह दस्ताधील निष्पादित किया गया है।

- ग. यह कि प्रथम पत्न बुकान का स्वामी/किरायेदार/अतिक्रमणकारी/केरी वाला है। तथा वह अपना क्रिक्न व्यवसाय पिछले कि वर्षों से इस स्थान पर चला रहा है। दुकानदार इस दुकान का पट्टेदार है/ नहीं है। प्रस्तावित सड़क के निर्माण के दौरान व्यवसायी का स्वामी/पट्टेदार का व्यवसाय तथा आमदानी सड़क निर्माण के दौरान वाचित होने की आशंका है। यह कालावधी 3 दिन से अधिक नहीं होगी।
- 2. नह कि प्रथम पक्ष ने मध्य प्रदेश जिला कनेक्टीविटी क्षेत्र परियोजना (MPDCSP) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक सहमति में भाग लिया है, रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाम को समझ लिया है एवं रोड निर्माण हेतु राहमति दे दी है।
- 3. यह कि प्रथम पर द्वारा अपनी मर्जी से ग्राम प्राप्तपाळी. तहसील उद्धालिन् में MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण विकास हेतु अपनी आजीविका में संभावित अस्थ्यी व्यवचान को देखते हुये भी सहमति प्रदान की है।
- यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने वाले अस्थयी आजीविका व्यवचान के खिलाफ किसी भी प्रकार के मुआवजे का दावा नहीं करेगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्ष को अस्थामी आजीविका व्यवधान संबंधित सहगति स्वीकार है।

क्राम भिट्ट

()

0000

 $\cap$ 

 $\bigcirc$ 

 $\bigcirc$ 

)

0

0

0

0

0

 $\odot$ 

J

ASST. GENERAL MANACER

()

0

Э

- 6. यह कि द्विताय पक्ष निर्माण कार्य के वौरान रोड के समीप रियह समी व्यवसायिक इकाईयों को नुकसान से बचाने के लिये सभी संभव साग्रमनियां पूर्वक कार्य करगा।
- 7 यह कि प्रथम पक्ष द्वारा हितीत पक्ष को यह आश्वासन दिया जाता है कि यह MPDCSP अवर्गत रोड निर्माण को किसी प्रकार का नुकरान नहीं पहुवायेगा, ना ही सार्वजनिक वाहनों के आवागमन में व्यवधान पैदा करेगा एवं ना ही ऐसे कार्यों में शामिल होगा।
- 8. यह कि दोनो पक्ष MPDCSP अंतर्गत प्रस्ताबित इस रोड निर्माण हेत् सहमत है।
- 9. यह कि हरताशारित किये जाने की तारीस्त से यह सहमति पत्र प्रभावी होगा।

पाड़ी / गड़ाहां की उपस्थिति में दोनों पढ़ों ने उपस् लिखित तारीख को इस पड़क को हस्ताधारित किया है।

हस्ताधार प्रथम पढ़ा

पवाह

गवाह

कितीय पढ़ा की ओर से अधिकृत

(मोहर सहित स्कार स्कार स्कार स्कार सिंहा स्कार सिंहा स्कार सिंहा सि

युजुर्ग / यरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया जा सकता है)

#### सहमति पत्र (व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर करने हेत्)

यह सहमति पत्र दिनांक का सिश्चिक पूको श्री / श्रीवांव किता कि जावेगा) एवं मध्य प्रदेश रोड डेव्हलोपमेंट कारपोरेशन की तरफ से श्री किता गया। पत्र प्रदेश में दिवीय पक्ष कहा जावेगा) के मध्य हस्ताक्षरित किया गया। गवाहों / साथी की उपस्थिति में यह दस्तावंज निष्पादित किया गया है।

- यह कि प्रथम पक्ष चुकान का खामी/किरायंदार/आतंत्रामणकारी/फेरी वाला है। तथा वह अपना प्रवृद्धन व्यवसाय पिछलं की वर्ष से इस स्थान पर चला रहा है। दुकानेदार इस दुकान का पट्टेदार है/ नहीं है। प्रस्तावित सडक के निर्माण के दौरान व्यवसायों का स्वामी/पट्टेदार का व्यवसाय तथा आमदानी सड़क निर्माण के दौरान वाधित होने की आशंका.
   है। यह कालावधी 3 दिन से अधिक नहीं होगी।
- 2. यह कि प्रथम पक्ष ने मध्य प्रदेश जिला कनेक्टीविटी क्षेत्र परियोजना (MPDCSP) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक सहमति में भाग लिया है, रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाम को समझ लिया है एवं शेंड निर्माण हेतु सहमति दे दी है।
- 3. यह कि प्रथम पद द्वारा अपनी मर्जी से ग्राम पारपाला तहसील उपनी में MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण विकास हेतु अपनी आजीविका में संभावित अस्थवी व्यवधान को देखते हुवे भी सहमति प्रदान की है!
- यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने वाले अरथयी आजीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के मुआवजे का दावा नहीं करेगा।

 यह कि हितीय पक्ष को अस्थ्ययी आजीविका व्यवधान संबंधित सहमति स्वीकार है।

GIHOY

( )

0

0

0

Э

0

0

)

ASST. GENERAL MANAGES

- .6. यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य के दौरान रोड के समीप रिधत सभी व्यवसायिक इकाईयों को नुकसान से बचाने के लिये सभी संमव सावधानियां एकेंग्र कार्य करेगा।
- 7. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को यह आश्वासन दिया जाता है कि यह MPDCSए अंतर्गत रोड निर्माण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं। पहुंवायेगा, ना ही सार्वजनिक वाहनों के आवागमन में व्यवधान पैदा करेगा एवं ना ही ऐसे कार्यों में शामिल होगा।
- 8. यह कि दोनो पक्ष MPDCSP अंतर्गत प्रस्तावित इस रोड निर्माण हेतु सहमत है।
- 9. यह कि हरताहारित किये जाने की तारीख से यह सहमति पत्र प्रभावी होगा।

साक्षी / गवाहां की उपस्थिति में दोनों पक्षों ने उपर लिखित तारीख को इस पत्रक को हरताक्षरित किया है।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष की ओर से अधिकृत
	(मोहर सिंहत)
गवाह	गवाह 🛡
1. हस्ताहार िया पाड्स	ASSI GENERAL MANAGER
नान जिल्ह	नाम - एकं भी करेकिया
पूरा पता - ग्राम - पायपाना ते. उज्जी जि- उज्जन	पूरा पता -
में उज्जी जि-उज्जी	ปุ่าพา
2. ETTIER Aum ALE	2 इस्ताक्षर
THE Way HE	711 -
प्राथिका	पूरा पता -
300-	the state of many Assumption
	ग्राम पंचायत के सदस्य, डी.पी.आर.
	य संगठनों के प्रतिनिधि तथा ग्राम के
बुजुर्ग / वरिष्ठ नागरिकों को शामिल	किया जा सकता है)

ccccccc

7

7

1

000

)

)

)

)

J.

#### सहमति पत्र (व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर करने हेत्)

यह सहभति पा िवांक शिक्षिति है। हो श्रीमति क्रिया प्रथम पक्ष कहा जातेगा) एवं मध्य प्रदेश रोड डेव्हलोपमेंट कारपोरेशन की तरफ से श्री क्रिया गया (जिन्हें बाद में द्वितीय पक्ष कहा जातेगा) के मध्य हस्ताक्षरित किया गया ( भवाहों / साक्षी की उपस्थिति में यह दस्तावेज निष्पादित किया गया है)

- 1 यह कि प्रथम पक्ष दुकान का स्वामी/किरायेदार/अतिक्रमणकारी/फेरी वाला है। तथा वह अपना अन्हरी. व्यवसाय पिछले ३६ वर्षों से इस स्थान पर चला रहा है। दुकानदार इस दुकान का पट्टेदार है/ नहीं है। प्रस्तावित सड़क के निर्माण के दौरान व्यवसायी का स्वामी/पट्टेदार का व्यवसाय तथा आमदानी सड़क निर्माण के दौरान बाधित होने की आशंका है। यह कालावधी 3 दिन से अधिक नहीं होगी।
- 2. यह िक प्रथम पक्ष ने मध्य प्रदेश जिला कनेक्टोविटी क्षेत्र परियोजना (MPDCSP) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक सहमति में भाग लिया है, रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाभ को समझ लिया है एयं रोड निर्माण हेतु सहमति दे दी है।
- 3. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा अपनी मर्जी से ग्राम पुरस्मान्त्र तहसील उर्जन में MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण विकास हेतु अपनी आजीविका में संभावित अस्थियी व्यवधान को देखते हुथे भी सहमति प्रदान की है।
- 4. यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने वाले अरथयी आजीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के मुआवजे का दावा नहीं करेगा।
- यह कि द्वितीय पक्ष को अस्थायी आजीविका व्यवधान संबंधित सहमति स्वीकार है।

- diamie

7

00000

7

 $\Box$ 

1)

1)

- 6. यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य के वांसान सेंड के समीप स्थित सभी व्यवसायिक इकाईयों को नुकसान से ववाने के लिये सभी संभव सावधानियां पूर्वक कार्य करेगा।
- 7. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा िहिय पक्ष को यह आएक्सरान दिया जाता है कि यह MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचायेगा, ना ही सार्वजनिक वाहनों के आजनमन मे व्यवधान पैदा करेगा एवं ना ही ऐसे कार्यों में शामिल होगा।
- यह कि दोनो पक्ष MPDCSP अंतर्गत प्रस्तावित इस रोड निर्माण हेतु सहमत है।
- यह कि हस्ताक्षरित किये जाने की तारीख से यह सहमति पत्र प्रभावी होगा।

साक्षी / गवाहां की उपस्थिति में दोनों पक्षों ने उपर लिखित तारीख को इस पत्रक को हस्ताक्षरित किया है।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष हितीय पक्ष की ओर से अधिकृत
(मोहर सेहित)

गवाह

1. हस्ताक्षर निर्माणिया | 1 हस्ताक्षर निर्माणिया | 1

(गवाह / साक्षी में गांव के सरपंच, ग्राम पंचायत के रादस्य, डी.पी.आर. कंसलटेंट के प्रतिनिधि, गैर शासिकय संगठनों के प्रतिनिधि तथा ग्राम के बुजुर्ग / विरेष्ठ नागरिकों को शामिल किया जा सकता है)

30-14

#### राहमति पञ्च (व्यक्तिमत रूप से हस्ताधर करने हेतु)

यह सहमति पन विकास किन्न मुन्न में श्री होति। पाल कहें जावेगा) एवं कृत्य प्रवेश रोड डेव्हलीपमें कारपोरंशन की तरफ से श्री हितीय पदा कहा जावेगा) के कृत्य हस्तादारित किया गया ।
गवाहों (साधी की उपस्थिति में यह परतावेज निष्पादित किया गया है।

- यह कि प्रथम पहा तुकान का स्वामी/किससंदार/अतिक्रमणकारी/केरी बाला है। तथा वह अपना मणडूर व्यवसाय पिछले ड्र⊋ वर्षों से इस स्थान पर चला रहा है। दुकानदार इस दुकान का पट्टेदार है/ नहीं है। प्रस्तावित सडक के निर्माण के दौरान व्यवसायी का स्वामी/पट्टेदार का व्यवसाय तथा अध्यदानी सडक निर्माण के दौरान वाचित होने की आशंका है। यह कालाकाी 3 दिन से अधिक नहीं होगी।
- 2. यह कि प्रथम पक्ष ने मध्य प्रदेश जिला कनेंक्टीविटी क्षेत्र परियोजना (MPDCSP) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक सहमति में भाग लिया है, रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाभ को समझ लिया है एवं रोड निर्माण हेतु सहमति दे ही है।
- 3. यह कि प्रथम पश्चारा अपनी मर्जी से ग्राम पारपाला तहसील उज्जीन में MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण विकास हेतु अपनी आजीविका में संभावित अस्थायी व्यवधान को देखते हुये भी सहमति प्रदान की है।
- 4. यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने वाले अस्थयी आजीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के मुआवजे का दावा नहीं करेगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्ष को अरशायी आजीविका व्यवधान संबंधित सहमति स्वीकार है।

the contract of

) .

जालूर ।

ccccccc

0

0

0

0

0

)

)

)

पत्रक को हस्ताक्षरित किया है।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष हितीय पक्ष की ओर से अधिकृत

गवाह

गवाह

1. हस्ताक्षर

नाग — अस्ताम् प्रथम की ओर से अधिकृत

(गोहर सहित)

गवाह

ASST. GENERAL MANAGER

ASST. GENERAL MANAGER

नाग — अस्ताम् प्रयासका

प्रा पता

(गवाह / साक्षी में गाँव के सरपंच, ग्राम पंचायत के सदस्य, डी.पी.आर. कंसलटेंट के प्रतिनिधि, गैर शासकिय संगठनों के प्रतिनिधि तथा ग्राम के वज़र्ग / वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया जा सकता है)

# सहमति पत्र (व्यक्तिमत रूप से हस्ताक्षर करने हेत्)

यह सहमति पत्र दिनांक ८//१८८/११ को आ/श्रीभित जिल्ला न्याल न्याल । निवासी प्राप्त पाल (जिन्हें बाद में प्रथम प्रत कही जावेगा) एवं मध्य प्रदेश रोड़ डेव्हलोपमेंट कारपोरेशन की तरफ से श्री एक्ट मी क्यारपोर् (जिन्हें बाद में दितीय पक्ष कहा जावेगा) के मध्य हस्ताक्षरित किया गया । गवाहों/साक्षी की उपस्थिति में यह दस्तावेज निष्मादित किया गया है।

- महिक्ति प्रथम पक्ष पुक्तन का स्मामि/किस्स्मेदार/अतिक्रमणकारी/फेरी थाला है। तथा वह अपना किस्कूर्य व्यवसाय पिछले दिन्न वर्षों से इस स्थान पर चला रहा है। दुकानदार इस दुकान का पद्देदार है/ नहीं है। प्रस्तावित सड़क के निर्माण के दौरान व्यवसायी का स्वामी/पद्देदार का व्यवसाय सथा आमदानी सड़क निर्माण के दौरान वाधित होने की आशंका है। यह कालावधी 3 दिन से अधिक नहीं होगी।
- 2. यह कि प्रथम पद्म ने मध्य प्रदेश जिला कनेक्टीविटी क्षेत्र परियोजना (MPDCSP) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक सहमित में भाग लिया है, रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाभ को समझ लिया है एवं रोड निर्माण हेत् सहमित दे दी है।
- 3. यह कि प्रथम पर द्वारा अपनी मर्जी से ग्राम पाटपाला तहसील उठ्यान में MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण विकास हेतु अपनी आजीविका में संगावित अस्थियी व्यवधान को देखते हुये भी सहमति प्रदान की है।
- 4. यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने याते अस्थयी आजीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के मुआवजे का दावा नहीं करेगा।

 यह कि द्वितीय पक्ष को अस्थायी आजीविका व्यवधान संबंधित सहमति स्वीकार है।

निसंयु लाल

MPR.D.Q. UJJAIN (M.P.)

- 6. यह कि द्विसिय पस निर्माण कार्य के दौरान रोड के रामीय रियत राभी व्यवसायिक इकाईयों को नुकसान से बचाने के लिये सभी समय सावधानियां पूर्वक कार्य करेगा।
- 7. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा दिलीय पक्ष को यह आखारान दिया जाता है कि यह MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचायेगा, ना ही सार्वजनिक वाहनों के आवागमन में व्यवधान पैदा करेगा एवं ना ही ऐसे कार्यों में शामिल होगा।
- यह कि दोनो पक्ष MPDCSP अंतर्गत प्रस्तावित इस रोड निर्माण हेतु सहमत
   है।
- 9. यह कि हस्ताक्षरित किये जाने की तारीख से यह सहमति पत्र प्रभावी होगा।

साक्षी/मवाहां की उपस्थिति में दोनो पक्षों ने उपर लिखित तारीख को इस पत्रक को हस्ताक्षरित किया है।

हस्ताहार प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष की ओर से अधिकृत

गवाह

1. हस्ताहार रिन्ज निर्मा 
गवाह

1. हस्ताहार रिन्ज निर्मा 
गवाह

गवाह

गवाह

1. हस्ताहार रिन्ज निर्मा 
गवाह

गवाह

गवाह

गवाह

गवाह

1. हस्ताहार रिन्ज निर्मा 
गवाह

ग

(गवाह / साक्षी में गांव के सरपंच, ग्राम पंचायत के सदस्य, डी.पी.आर. करंसलटेंट के प्रतिनिधि, गैर शासकिय संगठनों के प्रतिनिधि तथा ग्राम के बुजुर्ग / वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया जा सकता है)

0

0

# सहमति पत्र (ध्यक्तिगृत रूप से हस्ताधर करने हेत्)

यह सम्मात गत विनाक शिक्षि हो को श्री/श्रीगत अगला हो किमातगू विनादिग्र विनाद

- 1. यह कि प्रथम पक्ष दुकान का स्वामी/किरायेदार/अतिक्रमणकारी/फेरी वाला है। तथा वह अपनाक्ष्में कुला व्यवसाय पिछले हैं. वर्ण से इस स्थान पर चला रहा है। दुकानदार इस दुकान का पट्टेदार हैं/ नहीं है। प्रस्तावित सड़क के निर्माण के दौरान व्यवसायी का स्वामी/पट्टेदार का व्यवसाय तथा आगदानी सड़क निर्माण के दौरान वावित होने की आशंका है। यह कालावधी 3 दिन से अधिक नहीं होगी।
- 2. यह ि प्रथम पक्ष ने मध्य प्रदेश जिला कनेक्टीबिटी क्षेत्र परियोजना (MPDCSP) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजिनक लोक सहमति में भाग लिया है, रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाम को समझ लिया है एवं रोड निर्माण हेतु सहमति दे दी है।
- यह कि प्रथम पक्ष द्वारा अपनी मर्जी से ग्राम पारपाल्ला तहसील उपनेत्र में MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण विकास हेतु अपनी आजीविका में संभावित अस्थियी व्यवधान को देखते हुये भी सहमति प्रदान की है।
- यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने वाले अस्थायी आजीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के मुआवजे का दावा नहीं करेगा।

5. यह कि द्वितीय पक्ष को अस्थायी आजीविका व्यवसान संबंधित सहमति स्वीकार है।

Kamal Bigl

1

ASST GENERAL MANAGES

- 6. यह कि दिताय पत्त निर्माण कार्य के दौरान रोड के समीप स्थित सभी व्यवसायिक इकाईयों को नुकसान से बचाने के लिये सभी संभव सावधानिया पूर्वक कार्य करना।
- 7. यह कि प्रथम पक्ष द्वांस दितीय पक्ष को यह आश्वासन दिया जाता है कि वह MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचायेगा, ना ही सार्वजनिक वाहनों के आवागमन में व्यवधान पेदा करेगा एवं ना ही ऐसे कार्यों में सामिल होगा।
- 8. यह कि दोनों पक्ष MPDCSP अंतर्यंत प्रस्तावित इस रोड निर्माण हेतु सहमत है:
- यह कि हस्ताक्षरित किये जाने की सारीख से यह सहमति पत्र प्रमावी होगा।

साक्षी / गवाहां की उपरिथति में दोनों पक्षों ने उपर लिखित तारीख को इस पत्रक को हस्ताक्षरित किया है।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष की और से अधिकृत
	(मोहर सहित)
गवाह  1. हरताहार स्वाक्त स्वाक्त होट हिम्मी पूरा पता - काफ पारपान्त्री में उपर्रेश, कि उपरेश	रदेश नाम - किर सी नेरिक्श
2 हरताक्षर जीना हिंह नाम - जीका हिंह पूरा पता - ग्राफु- पारपाल	२ हरताक्षर भूरा पता —
	ग्राम पंचायत के सदस्य, डी.पी.आर.
कसलटट क-प्रातानाध, गर शासाकर बुजुर्ग/वरिष्ठ नागरिकों को शामिल वि	य संगठनों के प्रतिनिधि तथा ग्राम के किया जा सकता है}

)

0

Ö

Э

0

 $\cdot$ 

 $\mathcal{L}$ 

 $\bigcup_{i\in I}$ 

)

### सहमति पत्र (थकितगत रूप से हस्ताक्षर करने हेतु)

यह सहमति पश्च दिनाक १५/१८/१५ को श्री/श्रीमति ... प्राप्ता प्राप्ता .... (जिन्हें बाद मैं प्रथम पक्ष कहा जातमा) एवं नध्य प्रदेश रोड डेस्ट्रेंग्यमेट कारणेरेशन की तरफ से श्री (प्रकृत्य), इस्रोटक्, जिन्हें बाद में द्वितीय प्रत कहा जावेगा) के मध्य हरताक्षरित किया गया । गवाहों/साक्षी की उपस्थिति में यह दस्तावेज निष्पादित किया गया है।

- श. यह कि प्रथम पक्ष चुकान का स्वामी/किरायेदार/अतिक्रमणकारी/फंरी याला है। तथा यह अपना किका, व्यवसाय पिछले कि. वर्षा से इस स्थान पर चला रहा है। दुकानदार इस दुकान का पट्टेदार है/ नहीं है। प्रस्तावित सडक के निर्माण के दौरान व्यवसायी का स्वामी/पट्टेदार का व्यवसाय तथा आमदानी सडक निर्माण के दौरान वाचित होने की आशका है। यह कालावधी 3 दिन से अधिक नहीं होगी।
- 2. यह कि प्रथम पत्त ने मध्य प्रदेश जिला कनेक्टीबिटी क्षेत्र परियोजना (MPDCSP) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक सहमति में माग लिया है, रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाभ को समझ लिया है एवं रोड निर्माण हेतु सहमति दे दी है।
- 3. यह कि प्रथम पर द्वारा अपनी मर्जी से ग्राम क्षाटकाल किसील कियान में संगावित अस्थिय व्यवधान को देखते हुये भी सहमति प्रदान की है।
- यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने वाले अस्थयी आजीविका व्यवपान के खिलाफ किसी श्री प्रकार के मुआवजे का दावा नहीं करेगा।

5. यह कि द्वितीय पक्ष को अस्थायी आजीविका व्यवधान संबंधित सहमति स्थाकार है।

T GENERAL MANAGER

Diroch Momoblow

. . . . . . . . . . . .

7

0

3

0

7

0

0

0

)

)

)

)

J

1

J

1

1

0

 $\bigcirc$ 

 $\bigcirc$ 

0

0000

0

)

0

0

0

)

J

)

 $\mathcal{L}$ 

- 6. यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य के दौरान रोड के समीप स्थित सभी व्यवसायिक इकाईयों को नुकसान से बयाने के लिये सभी समय सावधानियां पूर्वक कार्य करेगा।
- 7. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को यह आश्यासन दिया जाता है कि यह MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचायेगा, ना ही सार्वजनिक बाहनों के आवागमन में व्यवधान पैदा करेगा एवं ना ही ऐसे कार्यों में शामिल होगा।
- यह कि दोनों पक्ष MPDCSP अंतर्गत प्रस्तावित इस रोड निर्माण हेतु सहगत.
   है।
- 9. यह कि हस्ताक्षरित किये जाने की तारीख रो यह राहमति यन प्रभावी होगा।

पत्रक को हस्ताक्षरित किया है।	1
हरताक्षर प्रथम पक्ष	हितीय पक्ष की और से अधिकृत (गोहर सहिता गवाह ASST. GENERAL MANAGE ASST. GENERAL MANAGE ULLAIN (M.P.)
गवाह	TITLE ASST. GENERALIN (M.F.)
1. हरताहार किल्क र्वा नाम - दिनेश शब्दकी पूरा पता - शक्त पारपाका, जि. उज्जीन	नाम - एक भी छुरिंद्या मुख पता -
2. हस्ताक्षर जिल्लासी है। नाम - जीवन सिंह पूरा पता - क्षा पारपान्ता	2 हस्ताक्षर नाम — पूरा पता —

कंसलडेंट के प्रतिनिधि, गैर शासकिय संगठनों के प्रतिनिधि तथा ग्राम के

ब्जुर्ग / वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया जा सकता है)

# सहगति पत्र (व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर करने हेतु)

यह सहमति पत्र िनाकर्ी कि ग्रिश्म की श्री/शीमति (जिन्हें काद में प्रथम पत्न कहा जावेगा) एवं कार्य प्रदेश रोड डेव्हलोपमेंट कार्योरेशन की तरफ से श्री कि क्षिण गया।

गवाहों/साक्षी की उपस्थिति में यह दस्तावेज निष्पादित किया गया है।

- 1. यह कि प्रथम पत्न दुकान का स्वामी/किसमेदार/अतिक्रमणकारी/कंरी वाला है। तथा वह अपना किस्टूरी... व्यवसाय पिछले 40 वर्षों से इस स्थान पर चला रहा है। दुकानदार इस दुकान का पट्टेदार है/ नहीं है। प्रस्तावित सड़क के निर्माण के वौरान व्यवसायी का स्वामी/पट्टेदार का व्यवसाय तथा आगदानी सड़क निर्माण के दौरान बाधित होने की आशंका है। यह कालावधी 3 दिन से अधिक नहीं होगी।
- 2. यह कि प्रथम पश ने मध्य प्रदेश जिला कनेक्टीविटी क्षेत्र परियोजना (MPDCSP) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक सहमति में भाग लिया है, रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाम को समझ लिया है एवं रोड निर्माण हेतु सहमति वे दी है।
- यह कि प्रथम पर द्वारा अपनी मर्जी से ब्राम प्रप्रापका तहसील अपनी में MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण विकास हेतु अपनी आजीविका में संगावित अस्थयी व्यवचान को देखते हुये भी सहमति प्रदान की है।
- यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने वाले अस्थिया आजीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के मुआवजे का दाबा नहीं करेगा।

5. यह कि द्वितीय पक्ष को अस्थायी आजीविका व्यवधान संबंधित सहमति स्वीकार है।

0

7

0

0

)

0

0

)

)

)

J

- 6 यह कि हितीय पक्ष निर्माण कार्य के दौरान रोड़ के समीध रियत राभी व्यवसायिक इकाईयों की नुकसान से बचाने के लिये सभी संभव सावधानियां पूर्वक कार्य करेगा।
- 7 यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को यह आश्वासन दिया जाता है कि यह MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण को किसी प्रकार का नुकरान नहीं पहुंचारेगा, ना ही सार्वजनिक यातनों के आवागमन में व्यवधान पैदा करेगा एवं ना ही ऐसे कार्यों में शामिल होगा।
- यह कि दोनों पक्ष MPDCSP अंतर्गत प्रस्तावित इस रोड़ निर्माण हेतु सहगत
   है।
- 9 यह कि हस्ताक्षरित किये जाने की तारीख से यह सहमति पत्र प्रभावी होगा।

पत्रक को हस्ताक्षरित किया है।
हस्ताक्षर प्रथम पक्ष दितीय पक्ष को अरे ने अधिकृत
(मोहर सहितु हित्र प्रथम पक्ष दितीय पक्ष को ओर ने अधिकृत
(मोहर सहितु हित्र प्रथम प्रथम प्रथम पक्ष प्रथम पक्ष को ओर ने अधिकृत
(मोहर सहितु हित्र प्रथम प्रथम

कंसलटेंट के प्रतिनिधि, गैर शासकिय संगठनों के प्रतिनिधि तथा ग्राम के

वजुर्ग / यरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया जा सकता है)

0

0

)

#### सहमति पत्र (व्यक्तिगत रूप से हस्तावर करने हेत्)

यह सहगति पत्र दिनाक ध्रापिश्चीत को श्री श्रीगति स्तानिष्ठा न्यमा ली निवासी पाटपालों (जिन्हें बाद में प्रथम पक्ष कहा जावेगा) एवं मध्य प्रदेश रोड डेव्हलोपमेंट कारपीरेशन की तरफ से श्री ६ ६ दिवार की किया ग्रापा । ग्रावाहों / साक्षी की उपस्थिति में यह दरतावेज निष्पादित किया ग्रापा है।

- 1. यह कि प्रथम पक्ष दुकान का स्वामी/किरायेदार/अतिक्रमणकारी/फेरी वाला है। तथा वह अपना अंदार्ट्टी व्यवसाय विछले श्रिक्यों से इस स्थान पर चला रहा है। दुकानदार इस दुकान का पट्टेदार है/ नहीं है। प्रस्तावित सड़क के निर्माण के दौरान व्यवसायी का स्वामी/पट्टेदार का व्यवसाय तथा आमदानी सड़क निर्माण के दौरान बाधित होने की आशंका है। यह कालावधी 3 दिन से अधिक नहीं होगी।
- 2. यह कि प्रथम पक्ष ने मध्य प्रदेश जिला कनेक्टीविटी क्षेत्र परियोजना (MPDCSP) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक सहमति में भाग लिया है, रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाभ को समझ लिया है एवं रोड निर्माण हेतु सहमति दे दी है।
- 3. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा अपनी भर्जी से ग्राम पार्रपाली कसील अर्जन में MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण विकास हेतु अपनी आजीविका में संभावित अस्थियी व्यवधान को देखते हुये भी सहमति प्रदान की है।
- यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने वाले अस्थियी आजीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के गुआवर्ज का दावा नहीं करेगा।

यह कि द्वितीय पक्ष को अस्थायी आजीविका व्यवचान संबंधित सहमति

खीकार है।

1)

Mr ENS

ASST GENERAL MANAGER

- 6 यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य के दौरान रोड के समीप रिधत रामी व्यवसायिक इकाईया को नुकसान से बचाने के लिये सभी संभव सावधानिया पूर्वक कार्य करेगा।
- 7. यह कि प्रधन पक्ष द्वारा दिलीय पक्ष को यह आश्वारान दिया जाता है कि यह MPDCSP अवर्गत रोड निर्माण को किसी प्रकार का नुकतान नहीं पहुंचायेगा, ना ही सार्वजनिक वाहनों के आवागमन में व्यवधान पैदा करेगा एवं ना ही ऐसे कार्यों में शामिल होगा।
- वह कि दोनी पक्ष MPDCSP अंतर्गत प्रस्तावित इस रोड निर्माण हेतु सहमत है।
- 9. यह कि इस्ताक्षरित किये जाने की तारीख से यह सहमति पत्र प्रभावी होगा।

	ानो पक्षों ने उपर लिखित तारीख को इस
पत्रक को इस्ताक्षरित किया है।	1
हरताक्षर प्रथम प्रश	द्वितीय पक्ष की और हो अधिकृत
गवाह 1. हस्ताक्षर २ ते च्यू ल्ये ति नाम — रमजुन्त्राक्ष मुख्य पूरा पता — क्याज्यात् ते उज्जैत, लिन उज्जैत	भागी पुरा पता – १२०००
	व, ग्राम पंचायत के सदस्य, डी.पी.आर. किय संगठनों के प्रतिनिधि तथा ग्राम के

)

### शहमति पत्र (व्यक्तिगत रूप से हस्ताधर करने हेत्)

यह सहगति पत्र दिनाक ( कि की को की वामित हिम्सान कि नावमा । विवासी प्रश्रामक ( कि बाद में प्राथम पत्र कहा जावेगा) एवं मध्य प्रिश सेंड डेव्हलीपमेंट कारपोरेशन की तरफ से की पूर्क की कुरे (का) ( कि बाद में दितीय पक्ष कहा जावेगा) के मध्य हरनाश्चीरत किया गया । मवाहों / साक्षी की उपस्थिति में यह दस्तावेज निष्णावित किया गया है।

- महाके प्रथम पक्ष दुकान का रवामी/किसवदार/अतिक्रमणकारी/फेरी वाला है। तथा वह अपना-किसना व्यवसाय पिछले 3. वर्षों से इस स्थान पर चला रहा है। दुकानदार इस दुकान का पट्टेदार है/ नहीं है। प्रस्तावित सडक के निर्माण के दौरान व्यवसायी का स्वामी/पट्टेदार का व्यवसाय तथा आमदानी सडक निर्माण के दौरान बाधित होने की आशंका है। यह कालावधी 3 दिन से अधिक नहीं होगी।
- 2. यह कि प्रथम पक्ष में मध्य प्रदेश जिला कनेक्टीविटी क्षेत्र परियोजना (MPDCSP) की आवश्यकताओं के तहत अयोजित सार्वजनिक लोक सहमति में भाग लिया है, रोड निर्माण से प्रध्त होने वाले लाभ को समझ लिया है एवं रोड निर्माण हेतु सहमति दे दी है।
- 3. यह कि प्रथम पर द्वारा अपनी मर्जी से ग्राम पार्शाली तहसील उज्जीन में MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण विकास हेतु अपनी आजीविका में संभावित अस्थियी व्यवधान को देखते हुये भी सहमित प्रदान की है।
- यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने वाले अस्थिया आजीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के मुआवजे का दावा नहीं करेगा।

1

 $\widehat{\phantom{a}}$ 

( )

0

0

- 6. यह कि दितीय पक्ष निर्माण कार्य के दौरान शैंड के समीप रिधत सभी व्यवसायिक इकाईयों को नुकसान से बचाने के लिये सभी संभव सावधानियां पूर्वक कार्य करेगा।
- 7. यह कि प्रथम पदा द्वारा द्वितीय पक्ष को यह आरवासन दिया जाता है कि यह MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण को किसी प्रकार का नुकसान नाधी पहुंचायेगा, ना ही सार्वजिक वाहनों के आवागमन में व्यवधान पैदा करेगा एवं ना ही ऐसे कार्यों में शामिल होगा।
- यह कि दोनो पक्ष MPDCSP अंतर्गत प्रस्तावित इस रोड निर्माण हेतु सहमत
   है।
- यह कि हस्ताक्षरित किये जाने की तारीख से यह सहमति पत्र प्रमावी होगा ;

साक्षी / गवाहां की उपस्थित में दोनो पक्षों ने उपर लिखित तारीख को इस .
पत्रक को हस्ताक्षारित किया है।
हस्ताक्षर प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष की और से अधिकृत
(मोहर सिह्न)
गवाह
1. हस्ताक्षर टे १८२०।
वाम — ट मराज प्रारमान्ता
पूरा पता — हमराज प्रारमान्ता
ते. उज्जी द्वित उज्जी
2. हस्ताक्षर जीवन सिह्न
पूरा पता — जीवन सिह्न
पूरा पता — प्रारमान्ता
पूरा पता — जीवन सिह्न
पूरा पता — प्रारमान्ता

(गवाह / सांक्षी में गांव के सरपंच, ग्राम पंचायत के सदस्य, डी.पी.आर. कंसलटेंट के प्रतिनिध, गैर शासकिय संगठनों के प्रतिनिधि तथा ग्राम के

बुजुर्ग / वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया जा सकता है)

2000

### सहमति पत्र (ध्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर करने हेत्)

- गयह कि प्रथम पक्ष दुकान का स्वामी/किरायेदार/अतिक्रमणकारी/फेरी वाला है। तथा वह अपना हम् की व्यवसाय पिछले े वर्षों से इस स्थान पर चला रहा है। दुकानदार इस दुकान का पट्टेदार है/ नहीं है। प्रस्तावित सडक के निर्माण के दौरान व्यवसायी का स्वामी/पट्टेदार का व्यवसाय तथा आमदानी सडक निर्माण के दौरान वाधित होने की आशंका है। यह कालावधी 3 दिन से अधिक नहीं होगी।
- 2. यह कि प्रथम पक्ष ने मध्य प्रदेश जिला कनेक्टीविटी क्षेत्र परियोजना (MPDCSP) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक सहमति में भाग लिया है, रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाभ को समझ लिया है एवं शेड निर्माण हेतु सहमति दे दी है।
- 3. यह कि प्रथम पढ द्वारा अपनी मर्जी से ग्राम ध्रायकां तहसील अर्जन में MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण विकास हेतु अपनी आजीविका में संभावित अस्थयी व्यवधान को देखते हुये भी सहमति प्रदान की है।
- यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने वाले अस्थियो आजीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के गुआवजे का दावा नहीं करेगा।

5. यह कि द्वितीय पक्ष **को अस्थायी आ**जीविका व्यवधान संबंधित सहमति स्वीकार है।

द्धश्वन वर्गी

ASST. GENERAL MANAGER

- 6. यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य के दोसन रोड़ के समीप स्थित सभी व्यवसायिक इकाईयों को नुकसान से बनाने के लिये सभी संभव सावधानियां फर्नक कार्य करेगा।
- 7. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को यह आएवासन दिया जाता है कि यह MPDCSP अंतर्गत रोड़ निर्माण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचारोगा, ना ही सार्वजनिक वाहनों के अध्यायमन में व्यवधान पैदा करेगा एवं ना ही ऐसे कार्यों में शामिल होगा।
- यह कि दोनो पक्ष MPDCSP अलगंत प्रस्तावित इस रोड निर्माण हेतु सहमत
   है।
- 9. यह कि हरताक्षरित किये जाने की तारीख से यह सहमति पत्र प्रभावी होगा।

साक्षी / गवाहां की उपस्थिति में दोनो पक्षों ने उपर लिखित तारीख की इस पत्रक को इस्ताक्षरित किया है।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष हितीय पक्ष की और से अधिकृत

(मोहर साहित्र)

गवाह

1. हरताक्षर व्यवदा विभी
नाम — किंग्यन विभी
पूरा पता — भार पिर्ट विभाग विद्वा परा पता — भार पिर्ट विभाग विद्व पूरा पता — भार पिर्ट पूरा पता — भार पदा पता — भार पदा पता — पूरा पता — पता मान पता के सदस्य, डी.पी.आर.

कंसलटेंट के प्रतिनिधि, पैर शासकिय संगठनों के प्रतिनिधि तथा ग्राम के

बुजुर्ग / चरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया जा सकता है)

### सहगति पत्र (व्यक्तिगत रूप से हस्साक्षर करने हेत्)

यह सहभति पत्र दिनांकर है छ श्री श्री श्री श्री स्थाप पक्ष कहा जावेगा) एवं गर्य प्रदेश शेष्ठ डेक्ट्लोपमेट कारपोरंशन की तस्फ से श्री कि किया गया ।

गवाहीं / साथी की उपस्थिति में यह दस्तावेज निष्पादित किया गया है।

- 1. यह कि प्रथम पत्र दुकान का स्वामी/किरायेदार/अतिक्रमणकारी/फेरी वाला है। तथा वह अपना वाम की द्वाम पिछले हैं, वर्षों से इस स्थान पर चला रहा है। दुकानदार इस दुकान का पट्टेदार है/ नहीं है। प्रस्तावित सड़क के निर्माण के दौरान व्यवसायी का स्वामी/पट्टेदार का व्यवसाय तथा अमदानी सड़क निर्माण के दौरान बाधित होने की आशंका है। यह कालावधी 3 दिन से अधिक नहीं होगी।
- 2. यह कि प्रथम पद्म ने मध्य प्रदेश जिला कनेक्टीविटी क्षेत्र परियोजना (MPDCSP) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक सहमति में भाग लिया है, रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाम को समझ लिया है एवं रोड निर्माण हेतु सहमति दे दी है।
- 3. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा अपनी मर्जी से ग्राम क्लिप्या तहसील ताराना में MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण विकास हेतु अपनी आजीविका में संभावित अस्थियी व्यवधान को देखते हुये भी सहमित प्रदान की है।
- 4. यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने वाले अस्थयी आजीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के मुआवजे का दावा नहीं करेगा।

5 यह कि द्वितीय पक्ष को अस्थायी आजीविका व्यवधान संबंधित सहमति स्वीकार है।

LIM LI & ASST GENERAL MANAGER

)

- 6. यह कि द्वितीय पद्म निर्माण कार्य के दौरान रोड़ के समीप रिगत सभी व्यवसायिक इकाईयों को नुकसान से बचाने के दिय सभी संभव सावधानिया पूर्वक कार्य करेगा।
- 7 यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को यह आश्वासन दिया जाता है कि यह MPDCSP अवर्गत रोड निर्माण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचायेगा, ना ही सार्वजनिक वाहनों के आवागमन में व्यवधान पैदा करेगा एवं ना ही ऐसे कार्यों में शामिल होगा।
- यह कि दोनो पक्ष MPDCSP अंतर्गत प्रस्ताबित इस रोड निर्माण हेतु सहमत है ।
- 9. यह कि हस्ताक्षरित किये जाने की तारीख से यह सहमति पत्र प्रभावी होगा।

साक्षी / गवाहां की उपस्थिति में दोनों पक्षों ने उपर लिखित तारीख को इस पत्रक को हस्ताक्षरित किया है।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष	हितीय पस की अर् से अधिकृत
गवाह	गवाह (मोहर सहित्र) । हस्ताक्षर ASST GENERAL MANAGER
नाम - राम राहाड पूरा पता - ग्राम लगपुरा सः तसना, नि-उज्जै	नाम - <u>८.८. १५७८ संपूर्</u> पूरा पता - १२९ ४ ० ८ ५) जेरेन
2. हस्ताक्षर शिकी	2 इस्ताक्षर
नाम - राह्न पारिवाट पूरा पता - राह्न स्मारीयाट	नाम - पूरा पता -
(मवाह/साक्षी में गांव के सरपंच,	ग्राम पंचायत के सदस्य, डी.पी.आर.
कंसलटेंट के प्रतिनिधि, गैर शासकिय बुजुर्ग/वरिष्ठ नागरिकों को शामिल वि	। संगठनों के प्रतिनिधि तथा ग्राम के रुया जा सकता है)

 $\bigcirc$ 

### सहमति पत्र (व्यक्तिमान रूप से हस्ताक्षर करने हेत्)

यह सहमति पत्र दिनाक (% कि) [ को श्रा / श्रीमानि कारागण नारागण नारागण कि मध्य कहा जावेगा) एवं मध्य प्रदेश रोड डेव्हलोपमेंट कारपोरेशन की तरक रो श्री किंगु की किया गया । गवाहों / साक्षी की उपस्थिति में यह दरताबों जिन्मादित किया गया है।

- 2. यह कि प्रथम पद्म ने गच्य प्रदेश जिला कनेक्टीविटी क्षेत्र परियोजना (MPDCSP) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक सहमति में भाग लिया है, रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाभ को समझ लिया है एवं रोड निर्माण हेतु सहमति दे दी है।
- 3. यह कि प्रथम पर द्वारा अपनी मर्जी से ग्राम अपनिया तहसील तराना में MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण विकास हेतु अपनी आजीविका में संभावित अस्थयी व्यवधान को देखते हुये भी सहमति प्रदान की है।
- यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने वाले अस्थयी आजीविका व्यवधान के
   खिलाफ किसी भी प्रकार के मुआवजे का दावा नहीं करेगा।
- 5. यह **कि** द्वितीय पक्ष को अस्थायी आजीविका व्यवधान संबंधित सहमति





- ह. यह िक द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य के दौरान रोड के समीप रिथत सभी व्यवसायिक इकाईयों को नुकसान से बचाने के लिये सभी संभव सावधानियां पर्वक कार्य करेगा।
- 7. यह कि प्रथम पत्त हारा द्वितीय पक्ष को यह आश्वासन दिया जाता है कि यह MPDCSP अतर्गत रोड निर्माण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचायेगा, ना ही सार्वजनिक वाहनों के आवागमन में व्यवधान पदा करेगा एवं ना ही ऐसे कार्यों में शानिल होगा।
- यह कि दोनो पक्ष MPDCSP अंतर्गत प्रस्तायित इस रोड निर्माण हेतु राहमत है।
- 9. यह कि हस्ताक्षरित किये जाने की तारीख से यह सहमति पत्र प्रभावी होगा।

साक्षी / गवाहां की उपस्थित में दोनों पक्षों ने उपर लिखित तारीख को इस पत्रक को हरताक्षरित किया है।

हरताक्षर प्रथम पक्ष दितीय पक्ष को और से अधिकृत

ASEगेहद प्रिटिश L MANAGER

M. P. D.C., UJJAIN (M.P.)

गवाह

1. हरताहार

नाम — अगु नारामण

पूरा पता अगु नारामण

पूरा पता अगु नारामण

पूरा पता — अगु पता — अगु

# सहमति पत्र (व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर करने देव)

यह सहमति पत्र दिनांक की कि मान की श्री श्रीमाते हो है। कि मान पत्र कहा जावेगा) एवं मान्य प्रतिश रोड डेक्टलीपमेंट कारपरिशन की तरफ से श्री किया गया । एवं प्रतिश सक्ष कहा जावेगा) के मध्य हरताक्षरित किया गया । एवं साक्षी की उपस्थिति में यह दस्तावेज निष्मादित किया गया है।

- मधह कि प्रथम पक्ष दुकान का स्वामी/किरायेदार/अतिक्रमणकारी/फेरी वाला है। तथा वह अपना क्रिली किरायेदार/अतिक्रमणकारी/फेरी पर चला रहा है। दुकानदार इस दुकान का पट्टेदार है/ नहीं है। प्रस्तावित सड़क के निर्माण के दौरान व्यवसायी का स्वामी/पट्टेदार का व्यवसाय तथा आमदानी सड़क निर्माण के दौरान वाधित होने की आशंका है। यह कालावधी 3 दिन से अधिक नहीं होगी।
- 2. यह कि प्रथम पक्ष ने मध्य प्रदेश जिला कनेक्टीबिटी क्षेत्र परियोजना (MPDCSP) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजिक लोक सहमति में भाग लिया है, रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाभ को समझ लिया है एवं रोड निर्माण हेतु सहमति दे दी है।
- 3. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा अपनी मर्जी से ग्राम अग्रम्या तहसील तारामा में MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण विकास हेतु अपनी आजीविका में संभावित अख्यी व्यवधान को देखते हुये भी सहमति प्रदान की है।
- 4. यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने वाले अस्थयी आजीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के गुआवजे का दावा नहीं करेगा।

 यह कि द्वितीय पक्ष को अस्थायी आजीविका व्यवधान संबंधित सहमति स्वीकार है।

CHOT UGG ASST GENERAL MANAGER

)

- 6. यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य के दौरान रोड के समीप रिशत राभी व्यवसायिक इकाईकों को नुकसान से बचाने के लिये सभी संभव सावधानिया पर्वक कार्य करेगा।
- 7. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को यह आखासन दिया जाता है कि यह MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचायेगा, ना ही सार्वलिंगक बाहतों के आवागमन में व्यवधान पैदा करेगा एवं ना ही ऐसे कार्यों में शामिल होगा।
- यह कि दोनो पत MPDCSP अंतर्गत प्रस्तावित इस रोड निर्माण हेतु सडमत है।
- 9. यह कि हरताक्षरित किये जाने की तारीख से यह सहमति पत्र प्रभावी होगा !

साक्षी/गवाहां की उपरिधात में दोनों पक्षों ने उपर लिखित तारीख को इस पत्रक को हस्ताक्षरित किया है।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष की ओर से अधिकृत
गवाह व	(मोहर सहित) एक मवाह
1. इस्ताक्षर रहेर्ग्या	1 EXTING R.D.C., UJJAIN (M.P.)
नाम - जारता जार	नाम - अन्तिः भी के दिया
पूरा पता - जाराशा	ने तमा प्रा पता - प्राहम्
ि। उन्म	Divi ujjaig
2. हस्ताक्षर र विकास	2 हस्ताक्षर
नाम -	नाम -
पूरा पता - किंगिया	पूरा पता -
3037	AND THE PROPERTY OF THE PROPER
(गवाह/साक्षी में गांव के	सरपंच, ग्राम पंचायत के सदस्य, डी.पी.आर.
कंसलटेंड के प्रतिनिधि, गैर	शासकिय संगठनों के प्रतिनिधि तथा ग्राम के

बुजुर्ग / वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया जा सकता है)

## सहमति पन (व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर करने हेत्)

यह रहमति पत्र दिनाक 😢 🕼 १५ को और श्रीमति 🔠 👵 रहेन्द्र नियासी अगासा प्रदेश राज डेक्टनोपमट कारपीरेशन की तरफ से श्री फिंत-सं । कुर्यटम; (जिन्हें वाद में द्वितीय पक्ष कहा जावेगा) के मध्य हस्ताक्षरित किया गया । गवाहो / साक्षी की उपस्थिति में यह दस्तावेज निष्पादित किया गया है।

- १, यह कि प्रथम पक्ष दकान का स्वामी/किरायेदार/अतिक्रमणकारी/फेरी वाला है। तथा वह अपना किन किन्युत्साय पिछले के वर्ष से इस स्थान पर चला रहा है। दुकानदार इस दुकान का पट्टेवार है/ नहीं है। प्रस्तावित संख्क के निर्माण के दौरान व्यवसायी का स्वामी/पट्टेवार का व्यवसाय तथा आमदानी सडक निर्माण के दौरान वाधित होने की अरशंका है। यह कालावधी 3 दिन से अधिक नहीं होगी।
- 2. यह कि प्रथम पक्ष ने मध्य प्रदेश जिला कनेक्टीविटी क्षेत्र परियोजना (MPDCSP) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक सहमति में भाग लिया है, रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाग को समझ लिया है एवं रोड निर्माण हेत् सहमति दे दी है।
- 3. यह कि प्रथम पद द्वारा अपनी मर्जी से ग्राम <del>क्राप्त्या</del> .... तहसील लाशन में MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण विकास हेतु अपनी आजीविका मे संभावित अस्थयी व्यवधान को देखते हुये भी सहमति प्रदान की है।
- यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने वाले अस्थयी आजीविका व्यक्तान के खिलाफ किसी भी प्रकार के मुआवजे का दावा नहीं करेगा।
- यह कि द्वितीय पक्ष को अस्थायी आजीविका व्यवधान संबंधित सहगति AEST GENERAL MANAGER रवीकार है।

0000

7

1

)

- ह. यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य के दौरान रोड के समीप स्थित सभी व्यवसायिक इकाईयों की नुकसान से बचाने के लिये सभी संभव सावधानियां पूर्वक कार्य करेगा।
- 7. यह कि प्रथम पदा द्वारा द्वितीय पदा को यह आएवासन दिया जाता है कि यह MPDCSP अतर्गत रोड निर्माण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचायेगा, ना ही सार्वजितिक वाहनों के आवागमन में व्यवधान पैदा करेगा एवं ना ही ऐसे कार्यों में शामिल होगा।
- यह कि दोनो पक्ष MPDCSP अंतर्गत प्रस्तावित इस रोड निर्माण हेतु सहमत
   है।
- 9. यह कि हस्ताक्षरित किये जाने की तारीख से यह सहमति पत्र प्रभावी होगा।

साक्षी/गवाहां की उपरिधति में दोनो पक्षों ने उपर लिखित तारीख को इस पत्रक को हस्ताक्षरित किया है।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष हितीय पक्ष की ओर से अधिकृत
(मोहर खेहिता)
TIGHT ASST. GENERAL MANAGER
1. हस्ताक्षर र १ हस्ताक्षर
नाम - अधिका रेस नाम - एक भी इंदरिका
पूरा पता - ग्राम् हागा। पूरा पता - क्रम्बर्क
स- तरामा / अ- अ-्रा
2. हस्ताक्षर सिक्रीवंवन 2 हस्ताक्षर
नाम - नाम -
पूरा पता — कार्राया) पूरा पता —
9,000
(गवाह/साक्षी में गाँव के सरपव, ब्राम पंचायत के सदस्य, डी.पी.आ- कंसलटेंट के प्रतिनिधि, गैर शासकिय संगठनों के प्रतिनिधि तथा ग्राम

युजुर्ग / यरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया जा सकता है)

00000

 $\bigcirc$ 

 $\bigcirc$ 

-)

### सहमति पत्र (व्यक्तिमत रूप से इस्ताक्षर करने हेत्)

यह सहमति पत्र दिनाक विश्व हिना की श्री/श्रीमति हुए पान का कि निवासी हिना कि कहा जातेमा) एवं पत्र प्रदेश रोड डेव्ह लोपमेंट कारपीरेशन की तरफ से श्री हिन्द हो हिन्द वाद में द्वितीय प्रक्ष कहा जावेगा) के मध्य हस्ताक्षरित किया गया । मयाहों / साक्षी की उपस्थिति में यह दस्तावेज निष्पादित किया गया है।

- 1. यह कि प्रथम पक्ष दुकान का स्वामी/किसमेदार/अशिक्रमणकारी/केस वाला है। तथा वह अपना कि कि प्रथम पिछले के वर्षों से इस स्थान पर बला रहा है। दुकानदार इस दुकान की पट्टेदार है/ नहीं है। प्रस्तावित सड़क के निर्माण के वीरान व्यवसायी का स्वामी/पट्टेदार का व्यवसाय तथा आमदानी सड़क निर्माण के दौरान बाबित होने की आशंका है। यह कालावधी 3 दिन से अधिक नहीं होगी।
- 2. यह िक प्रथम पक्ष ने मध्य प्रदेश जिला कनेक्टीविटी क्षेत्र परियोजना (MPDCSP) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक सहमति मैं भाग लिया है, रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाग को समझ लिया है एवं रोड निर्माण हेतु सहमति दे दी है।
- यह कि प्रथम पक्ष द्वारा अपनी मर्जी से ग्राम ⇒ाञ्चिक् ... तहसील ..!राजा...
   मैं MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण विकास हेतु अपनी आजीविका में संभावित अस्थयी व्यवधान को देखते हुये भी सहमति प्रदान की है।
- यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने वाले अस्थयी आजीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के मुआवजे का दावा नहीं करेगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्ष को अस्थायी आजीविका व्यवधान संबंधित सहमति स्वीकार है।

  ASST. GERERAL MANAGER
  LE PROCUUNAIR MEDI



- ह. यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य के दौरान रोड़ के समीप रिशत सभी व्यवसायिक इकाईयों को नुकसान से बनाने के लिये राभी संगव सावधानियां पूर्वक नार्य करेगा।
- 7 यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष की यह आएवासन विया आता है कि यह MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण को किसी पकार का नुकसान नहीं पहुंचायेगा, ना ही सार्वजनिक वाहनों के आवागमन में व्यवधान पेदा करेगा एवं ना ही ऐसे कार्यों में शामिल होगा।
- यह कि दोनो पक्ष MPDCSP अंतर्गत प्रस्तावित इस सेड निर्माण हेतु सहमता
   है।
- 9 यह कि हस्ताक्षरित किये जाने की तारीख से यह सहमति पत्र प्रभावी होगा।


साक्षी / गवाहां की उपस्थिति में दोनो पक्षों ने उपर लिखित तारीख को इस पत्रक को हस्ताक्षरित किया है।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष वितीय पक्ष की और से अधिकृत

(मोहर सहिए)

गवाह

गवा



### सहमति पत्र (व्यक्तिमत ६व से हस्ताक्षर करने हेत्)

यह सहमति पत्र दिनांक िद्धि । पत्र अ/अमित अ/अमित अम्बार्स स्विवासी अपित्र कार्य । (अन्ह बाद में प्रथम प्रक्ष कहा जायेगा) एवं मध्य प्रदेश रोड डेक्टलीपमेंट कार्योरशन की तरफ रों औं १०० मी कुरिक्रम (जिन्ह बाद में द्वितीय पक्ष कहा जावेगा) के मध्य हस्ताक्षरित किया गया । गवाहों/साक्षी की उपस्थिति में यह दस्तावेज निष्पादित किया गया है।

- 1. यह कि प्रथम पक्ष दुकान का रचामी/किरायेदार/अतिक्रमणकारी/फेरी वाला है। तथा यह अपना का प्रकृति कि व्यवसाय पिछले कि वर्षों से इस स्थान पर चला रहा है। दुकानदार इस दुकान का पट्टेदार है/ नहीं है। प्रस्तावित सड़क के निर्माण के दौरान व्यवसायी का स्वामी/पट्टेदार का व्यवसाय तथा आमदानी सड़क निर्माण के दौरान वाधित होने की आशंका है। यह कालावधी 3 दिन से अधिक नहीं होगी।
- 2. यह कि प्रथम पक्ष ने मध्य प्रदेश जिला कनेक्टीविटी क्षेत्र परियोजना (MPDCSP) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक सहमति में भाग लिया है, रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाग को समझ लिया है एवं रोड निर्माण हेतु सहमति दे दी है।
- 3. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा अपनी मर्जी से ग्राम पाठडमा क्यों हसील अपनी भागित अस्थित अस्थित को देखते हुये भी सहमति प्रदान की है।
- यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने वाले अस्थयी आजीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के मुआवजे का दावा नहीं करेगा।

5. यह कि द्वितीय पक्ष को अस्थायी आजीविक व्यवधान संबंधित सहमति स्थीकार है।

3/0/11 214

ASST. GENERAL MANAGER

- 6. यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य के दौरान रोड के समीप रियत सभी व्यवसायिक इकाईयों को नुकसान से बचाने के लिये सभी समय सायधानिया पूर्वक कार्य करेगा।
- 7 यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को यह आश्वासन दिया जाता है कि यह MPDCSP अवर्गत रोड निर्माण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचायेगा, ना ही सार्वजनिक बाहनों के आवागमन में व्यवधान पैदा करेगा एवं ना ही ऐसे कार्यों में शामिल होगा।
- 8. यह कि दोनो पक्ष MPDCSP अंतर्गत प्रस्तावित इस रोड निर्माण हेतु सहमत है।
- यह कि इस्ताशरित किये जाने की तारीख से यह सहमति पत्र प्रभावी होगा !

साक्षी / गवाहा की उपस्थिति में दोनो पक्षों ने उपर लिखित तारीख को इस पत्रक को इस्ताहारित किया है।

हस्तावार प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष की ओर से अधिकृत (मोहर संहित)
गवाह  1. हरताहार अन्यास याम वाम — अन्यास याम याम याम अन्यास याम अन्यास याम अन्यास याम अन्यास याम	THE THE CENERAL MANAGER UNIAN IMPI
2 हरताहार प्रिक्त राजाट नाम - नीमाल राजाट पूरा पता - पाळाभाग्रेश	2 हस्ताक्षर नाम पूरा पता

(गवाह / साक्षी में गांव के सरपंच, ग्राम पंचायत के सदस्य, डी.पी.आर. कसलटेट के प्रतिनिधि, पैर शासकिय संगठनों के प्रतिनिधि तथा प्राम के मृजुर्ग / वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया जा सकता है)

0000

0

Э

0

Ō

#### सहमति पत्र (व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर वलने हेत्)

पह सहमति पत्र दिनांक दिनियं श्री प्रिको और श्रीमति स्वार १००० विहासिया प्रिकार विहास प्रिकार विहास प्रिकार विहास प्रिकार प्रिकार विहास प्रिकार विहास प्रिकार प्रिकार विहास प्रिकार प्

- 1. यह कि प्रथम पक्ष दुकान का स्वामी/किरायेदार/अतिक्रमणकारी/फेरी वाला है। तथा यह अपना क्ष्यों कि युवसाय पिछले के वर्ण से इस स्थान पर यला रहा है। दुकानदार इस दुकान का पट्टेवार है/ नहीं है। प्रस्तावित सड़क के निर्माण के दौरान व्यवसायी का स्वामी/पट्टेवार का व्यवसाय तथा आमदानी सड़क निर्माण के दौरान वाधित होने की आशंका है। यह कालावधी 3 दिन से अधिक नहीं होगी।
- 2. यह कि प्रथम पक्ष ने मध्य प्रदेश जिला कनेक्टीविटी क्षेत्र परियोजना (MPDCSP) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक सहमति में भाग लिया है, रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाम को समझ लिया है एवं रोड निर्माण हेतु सहमति वे दी है।
- 3. यह कि प्रथम पश्च द्वारा अपनी मर्जी से ग्राम प्रश्निक कि प्रथम पश्चित अपनी मर्जी से ग्राम प्रश्निक कि प्रथम पश्चित अपनी आजीविका में संमायित अस्थियी व्यवधान को देखते हुये भी सहमति प्रदान की है।
- यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने वाले अख्ययी आजीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के मुआवजे का दावा नहीं करेगा।
- यह कि द्वितीय पक्ष को अस्थायी आजीविका व्यवधान संबंधित सहमति स्वीकार है।

HERDC UJJAIN (MP)

- 6. यह कि दितीय पदा निर्माण कार्य के दौरान रोड के समीप रिधत रहिं। व्यवसायिक इकाईयों को नुकसान से बचाने के लिये राभी संभव सावधानिया पूर्वक कार्य करेगा!
- 7. यह कि प्रथम पक्ष हास दिवीय पक्ष को यह आश्वासन दिया जाता है कि यह MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचायेगा, ना ही सार्वजनिक यहनों के आवायमन में व्यवधान पैदा करेगा एवं ना ही ऐसे कार्यों में शामिल होगा।
- 8. यह कि दोनों यक्ष MPDCSP अतर्गत प्रस्तावित इस रोड निर्माण हेतु सहमत है।
- 9. यह कि हस्ताक्षरित किये जाने की तारीख से यह सहगति पत्र प्रभावी होगा।

साक्षी / गवाहां की उपस्थिति में दोनो पक्षों ने उपर लिखित तारीख को इस पत्रक को हस्ताक्षरित किया है। हस्ताक्षर प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष की ओर से अधिकृत (मोहर पहित)

गवाह

1. हरवाहार - 12/2/1 खिंह । हल्लाइड् GENERAL MANAGER

1. हरवाहार - 12/2/1 खिंह । हल्लाइड् क्रिकेट् प्राप्ता (क. १)

नाम - भारामण (सिंह-वावड)

पूरा पता - भारतमण (सिंह-वावड)

2. हस्ताक्षर प्रिम्म साग्र (पार्ष) माम -पूरा पता - प्राण्डभावन्द्री

(गवाह / साक्षी में गाँव के सरपंच, ग्राम पंचायत के सदस्य, डी.पी.आर. कंसलटेंट के प्रतिनिधि, गैर-शासिकय संगठनों के प्रतिनिधि तथा ग्राम के बुजुर्ग / वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया जा सकता है)

# सहगति पत्र (व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर करने हेत्)

यह सहमाते पत्र दिनाक धा 08 विम को श्री/श्रीमति । अग्ना न्यान्य निवासी : भारता को हो ........ (जिन्हें बाद में प्रथम पत्त कहा जावेगा) एवं मध्य प्रदेश रोड डेव्हलीयमेंट कारपॉरेशन की तरफ से श्री पति भी क्रास्ट्रिय जिन्हें बाद में द्वितीय पक्ष कहा जावेगा) के मध्य इस्ताक्षरित किया गया । गवाहा / साक्षों की उपस्थिति में यह दस्ताबेज निष्पादित किया गया है।

- 1 यह कि प्रथम पक्ष दुकान का स्वामी/किसमेदार/अतिक्रमणकारी/फेरी वाला है। तथा वह अपना पान कि दुःश्वसाय पिछल 16 वर्षों से इस स्थान पर चला रहा है। दुकानदार इस दुकान का पट्टेदार है/ नहीं है। प्रस्तावित सडक के निर्माण के दौरान व्यवसायी का स्वामी/पट्टेदार का व्यवसाय तथा आमदानी सडक निर्माण के दौरान वाधित होने की आशंका है। यह कालावधी 3 दिन से अधिक नहीं होगी।
- 2 यह कि प्रथम पक्ष ने मध्य प्रदेश जिला कनेक्टीविटी क्षेत्र परियोजना (MPDCSP) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक सहमति में भाग लिया है, रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाम को समझ लिया है एवं रोड निर्माण हेतु सहमति दे दी है।
- 3. यह कि प्रथम पर द्वारा अपनी मर्जी से ग्राम पाउद्यान की तहसील उन्नेत... में MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण विकास हेत् अपनी आजीविका में संभावित अस्थयी व्यवचान को देखते हुये भी सहमति प्रदान की है।
- यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने वाले अस्थायी आजीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के मुआवजे का दावा नहीं करेगा।

5. यह कि द्वितीय पक्ष को अस्थायी आजीविका व्यवधान संबंधित सहमति ASST GENERAL MANAGER स्वीकार है।

0000000

 $\bigcirc$ 

 $\Box$ 

- 8. यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य के दौरान रोड के समीप स्थित सभी व्यवसायिक इकाईयों को नुकसान से बवाने के लिये सभी संभव सावधानियां प्रवंक कार्य करेगा।
- 7. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा दिवीय पक्ष को यह आरवासन दिया जाता है कि यह MPDCSP अवर्गत रोड निर्माण को किसी प्रकार को नुकसान नहीं पहुंचायेगा, ना ही सार्वजनिक वाहनों के अध्यागमन में व्यवधान पैदा करेगा एवं ना ही ऐसे कार्यों में शामिल होगा।
- 8. यह कि दोनो पक्ष MPDCSP अंतर्गत प्रस्तावित इस रोड निर्माण हेतु सहमत है।
- 9. यह कि हरताक्षरित किये जाने की तारीख से यह सहगति पत्र प्रमावी होगा।

साक्षी / गवाहां की उपस्थिति में दोनो पक्षों ने उपर लिखित तारीख को इस पत्रक को हस्ताक्षरित किया है।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष	हितीय पक्ष की और हो अधिकृत	
गवाह	गवाह भावाह	GER
1. हस्ताक्षर उत्तर	गवाह व हसासप्ASST GENERAL MANA MPR D.C., UJJAIN (M	(P.)
पूरा पता — ग्रा उज्ले	पाण्डमा गोडी पूरा पता - 19. १. १. ०.८.	
2. हस्ताक्षर	2 इस्तासर	
नाम	ल सागर (पार्ट्स) नाम -	
पूरा पता —	पूरा पता -	

(गवाह / साक्षी) में गांव के सरपंच, ग्राम पंचायत के सदस्य, डी.पी.आर. कंसलटेंट के प्रतिनिधि, गैर शासकिय संगठनों के प्रतिनिधि तथा ग्राम के बुजुर्ग / यरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया जा सकता है)

 $\bigcirc$ 

 $\bigcirc$ 

 $\circ$ 

3

0

**(3)** 

 $\widehat{\phantom{a}}$ 

^)

.)

# सहमति एव (व्यक्तिमत रूप से हरताक्षर करने हैत्)

यह सहगति पत्र दिनाक गोलिए को श्री/श्रीमति काराहरी राजाहरी प्रियम पक्ष कहा जावेगा) एवं पत्य प्रदेश रोड डेव्हलोपमेट कारपोरेशन की तरफ से श्री (क्लि.स.), क्लिसा जिन्हें बाद में द्वितीय पक्ष कहा जावेगा) के मध्य हस्ताक्षरित किया गया । ावाहों / साक्षी की उपस्थिति में यह दस्तावेज निष्पादित किया गया है।

- यह कि प्रथम पक्ष दुकान का स्वामी/किरायेदार/अविक्रमणकारी/फेरी वाला है। तथा वह अपना का अपना की अपवसाय पिछले के वर्षों से इस स्थान पर वला रहा है। दुकानदार इस दुकान का पट्टेदार है/ नहीं है। प्रस्तावित सङ्क के निर्माण के दौरान व्यवसायी का स्वामी/पट्टेदार का व्यवसाय तथा अप्रदानी सडक निर्माण के दौरान बाघित होने की आशंका है। यह कालागरी 3 दिन से अधिक नहीं होगी।
- 2. यह कि प्रथम पक्ष ने मध्य प्रदेश जिला कर्नेक्टीविटी क्षेत्र परियोजना (MPDCSP) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक सहमति में भाग लिया है, रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाभ को समझ लिया है एवं रोड निर्माण हेतु सहमति दे दी है।
- 3. यह कि प्रथम पर द्वारा अपनी मर्जी से ग्राम प्राठाकारको तहसील कि में MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण विकास हेतु अपनी आजीविका में संभावित अस्थयी व्यवधान को देखते हुये भी सहमति प्रदान की है।
- 4. यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने वाले अस्थवी आजीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के मुआवजे का दावा नहीं करेगा।

5. यह कि द्वितीय पक्ष को अस्थायी आजीविका व्यवधान संबंधित सहमति स्वीकार है।

Ging 21 TOTICY ASST. GENERAL MANAGER

ついつつ

- 6. यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य के दौरान रोड के समीप स्थित सभी व्यवसायिक इकाईयाँ को नुकसान से बचाने के लिये सभी संगव सावधानियाँ पूर्वक कार्य करेगा।
- 7. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को यह आह्वारान दिया जाता है कि यह MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचायेगा, ना ही सार्वजनिक बाहनों के आवागमन में व्यवसान पैदा करेगा एवं ना ही ऐसे कार्यों में शामिल होगा।
- 8. यह कि दोनों पक्ष MPDCSP अंतर्गत प्रस्तावित इस रोड निर्माण हेतु सहमत है।
- 9 यह कि हरताक्षरित किये जाने की तारीख से यह सहमति पत्र प्रभावी होगा।

साक्षी / गवाहां की उपस्थिति में	दोनो यक्षों ने उपर लिखित तारीख की इस
पत्रक को हस्ताक्षरित किया है।	
हस्ताक्षर प्रथम पंक्ष	द्वितीय पक्ष की ओर ै अधिकृत
गवाह 1. हरताहर रिक्स रेडिया रेडिया नाम — जगरीरा रेडिया पूरा पता — पाण्डमा स्वेड	(मोहर सहिता) प्राचाह (मोहर सहिता)
(गवाह / साक्षी में गाँव के सर	2 हस्ताक्षर नाम – प्राट (पापद) पूरा पता – पंच, ग्राम पंचायत के सदस्य, डी.पी.आर. सकिय सगढनों के प्रतिनिधि तथा ग्राम के

### सहमति पत्र (व्यक्तिमत रूप से हस्ताक्षर करने हेत्)

. . . . . .

~)

7

-)

यह सहमति पन दिनाक छ । । । को औं / श्रीमति जुरूण गहारिया। निवासी निवासी निवासी गाउँ । (जिन्हें बाद में प्रथम पक्ष कहा जावँगा) एवं प्रथम प्रदेश रोड़ डेव्हलोपमेंट कारपरिशन की तरफ से श्री एक मि कुरे हिना (जिन्हें बाद में द्वितीय पक्ष कहा जानेगा) के मध्य हस्ताक्षरित किया गया । - गवाहों / साक्षी की उपरिथति में यह दस्तावंज निष्पादित किया गया है।

- 1. यह कि प्रथम पदा दुकान का स्वामी/किरायेदार/अतिक्रमणकारी/फेरी वाला है। तथा वह उपना किन्नु के द्वाराय पिछले .3. वर्षों से इस स्थान पर चला रहा है। दुकानदार इस दुकान का पट्टेदार है/ नहीं है। प्रस्तावित सडक के निर्माण के दौरान व्यवसायी का स्वामी/पट्टेदार का व्यवसाय तथा आमदानी सडक निर्माण के दौरान बाधित होने की आशंका है। यह कालावधी 3 दिन से अधिक नहीं होगी।
- 2. यह कि प्रथम पक्ष ने मध्य प्रदेश जिला कनेक्टीविटी क्षेत्र परियोजना (MPDCSP) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक सहमति में भाग लिया है, रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाभ को समझ लिया है एवं रोड निर्माण हेतु सहमति दे दी है।
- 3. यह कि प्रथम पर द्वारा अपनी मर्जी से ग्राम पिनगार्गा कि कि निर्माण कि निर्माण विकास हेतु अपनी आजीविका में संभावित अस्थियी व्यवधान को देखते हुथे भी सहमित प्रदान की है।
- यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने बाले अस्थियी आजीविका व्यवधान के
   खिलाफ किसी भी प्रकार के गुआवजे का दावा नहीं करेगा।

 यह कि द्वितीय पक्ष को अस्थायी आजीविका व्यवधान संबंधित सहमित स्वीकार है।

Anin

ASST GENERAL MANAGER

- ह यह कि जिताय पक्ष निर्माण कार्य के दौरान रोड़ के समीप स्थित सभी व्यवसायिक इकाईयों को नुकसान से बचाने के लिये सभी संभव सावधानियां पूर्वक कार्य करेगा।
- 7 यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को यह आश्वासन दिया जाता है कि यह MPDCSP अंतर्पत रोड निर्माण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचायेगा, ना ही सार्वजनिक वाहनों के आवागमन में न्यतमान पैदा करेगा एवं ना ही ऐसे कार्यों में शामिल होगा।
- 8. यह कि दोनों पक्ष MPDCSP अंतर्गत प्रस्तावित इस शेंड निर्माण हेतु सहमत है।
- यह कि हस्ताबस्ति किये जाने की तारीख से यह सहमति पत्र प्रभावी होगा।

साक्षी / गवाहां की उपस्थिति में दोनों पक्षों ने उपर लिखित तारीख को इस पत्रक को हस्ताक्षरित किया है।

पत्रक को हस्ताक्षास्त किया है।	
हस्ताक्षर प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष की औह से अधिकृत
	(HIST TIEND WANAGER
गवाह	गवाह ASST GENERAL MANAGER
<ol> <li>हरताशर — फ्रिंग</li> </ol>	1 हस्ताक्षर ०० ००
नाम - अलग पहाडिया .	AIR - Les Kuserthing
पूरा पता - विवादीमिन	पूरा पता - MERDC
े देवाम्	Div. Onug,
2. हरताहर में हर डोन जिल	2 हस्ताक्षर
नाम भेहरकाराक्षेत्र	A नाम
पूरा पता - विश्वपागिश गर	पूरा पता
(गवाह / साभी में गांव के सरपंच	यहर पंचायत के सदस्य औपीआर.

(गवाह / साक्षी में गांव के सरपंच, ग्राम पंचायत के सदस्य, डी.पी.आर. कंसलटेंट के प्रतिनिधि, मैर शासकिय संगठनों के प्रतिनिधि तथा ग्राम के बुजुर्ग / वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया जा सकता है)

### सहमति पत्र (व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर करने हेत्)

यह सहमति पत्र दिनांक ६३ हर्हिका श्री/श्रीमति कालिस्सभ की निवासी विष्याम्। जान गुण्डी किन्हें बाद ने प्रथम वह कहा जावेगा) एवं गण्य प्रदेश रोड़ डेव्हलोपनेट कारपरिशन की तरफ से श्री किंदि कालिक्स (जिन्हें बाद में दितीय पक्ष कहा जावेगा) के मध्य हस्ताक्षरित किया गया । गवाहों/साक्षी की उपस्थिति में यह दस्तावेज निष्पादित किया गया है।

- 2. यह कि प्रथम पक्ष ने मध्य प्रदेश जिला कनेक्टीविटी क्षेत्र परियोजना (MPDCSP) की आवरयकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक सहमति में भाग लिया है, रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाम को समझ लिया है एवं रोड निर्माण हेतु सहमति दे दी है।
- 3. यह ि प्रथम पट द्वास अपनी नर्जी से ग्राम विज्ञां के कुस्सील ने वान् में MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण विकास हेतु अपनी आजीविका में संमावित अस्थयी व्यवधान को देखते हुये भी सहमति प्रदान की है।
- यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने वाले अस्थ्यी आजीपिका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के मुआवजे का दादा नहीं करेगा।
- यह कि द्वितीय पक्ष को अस्थायी आजीविका व्यवधान संबंधित सहमति स्वीकार है।



1

()

( )

1

ASST GENERAL MANAGER

- 5. यह कि द्वितीय पत्र निर्माण कार्य के दौरान रोड़ के समीप स्थित सभी व्यवसायिक इकाईक्ष की नुकसान से बच्चाने के लिये राभी राभव सावधानिया पूर्वक कार्य करेगा।
- 7 यह कि प्रथम पन दारा दिसीय पक्ष को यह आश्वासन दिया जाता है कि यह MPDCSP अवर्यत रोड निर्माण को किसी प्रकार का मुकसान गही पहुंचायेगा, ना ही सार्वजनिक बाहनों के आवागमन में व्यवधान मैदा करेगा एवं ना ही ऐसे कार्यों में शामिल होगा।
- 8. यह कि दोनों पक्ष MPDCSP अंतर्गत प्रस्तावित इस रोड निर्माण हेतु सहमत है।
- 9. यह कि हस्साक्षरित किये जाने की तारीख से यह सहमति पत्र प्रभावी होया।

साक्षी / गवाहा की उपस्थिति में दोनो	पक्षों ने उपर लिखित तारीख को इस
पन्नक को हस्ताबरित किया है।	\
हस्ताक्षर प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष की और से अधिकृत (मोहर सहित)
गवाह  1. हस्ताक्षर नाम - अहिंग्याम पूरा पता - विजमार्गण मुग्री ने देवाम, जिन्देवाम	मवाह ASST GENERAL MANAGER  1 हस्ताक्षर PR.D.C. UJJAIN (M.P.)  1 नाम — एके प्री अप्रिका  पूरा पता — M.P.R.D.C.
	2 हस्ताक्षर नाम — पूरा पता — ग्राम पंचायत के सदस्य, डी.पी.आर. । संगठनों के प्रतिनिधि तथा ग्राम के
बुजुर्ग / वरिष्ठ नागरिकों को शागिल वि	hया जा सकता है)

### सहमति पत्र (व्यक्तिमत रूप से हस्ताक्षर करने हेत्)

यह सहमति पत्र दिनाक 68/02/2 को श्री/श्रीमति (एर वेह) 53) रिया भिवासी - (त्रा) 17/5) श्री जिन्हें बाद में प्रथम पक्ष कहा जावेगा) एवं मध्य प्रदेश रोड डेव्हलोपमेंट कारपरिशन की तरफ से श्री (कि. सी अहर्र दिया जिन्हें बाद में द्विसीय पक्ष कहा जावेगा) के मध्य हस्ताक्षरित किया गया । मवाहों/साक्षी की उपस्थिति में यह दस्तावेज निष्पादित किया गया है।

- ग. यह कि प्रथम पक्ष दुकान का स्वामी/किसायेदार/अतिक्रमणकारी/फंरी वाला है। तथा वह अपना का (द्युवसाय पिछले 4 वर्षों रो इस स्थान पर चला रहा है। दुकानदार इस दुकान का पट्टेदार है/ नहीं है। प्रस्तायित सड़क के निर्माण के दौरान व्यवसायी का स्वामी/पट्टेदार का व्यवसाय तथा आमदानी सड़क निर्माण के दौरान वाचित होने की आशंका है। यह कालावधी 3 दिन से अधिक नहीं होगी।
- 2. यह कि प्रथम पक्ष ने मध्य प्रदेश जिला कनेक्टीविटी क्षेत्र परियोजना (MPDCSP) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक सहमति में माग लिया है, रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाम को समझ लिया है एवं रोड निर्माण हेत् सहमति दे दी है।
- 3. यह कि प्रथम पद द्वारा अपनी मर्जी से ग्राम (विज्ञमारा) मुक्की दिवाम है पाल है वाल है वाल है कि प्रथम पद द्वारा अपनी मर्जी से ग्राम विकास हेतु अपनी आजीविका में समावित अस्थियो व्यवधान को देखते हुये भी सहमित प्रदान की है।
- यह कि प्रथम पक्ष रोढ निर्माण से होने वाले अस्थियी आजीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के गुआवजे का दावा नहीं करेगा!
- यह कि द्वितीय पक्ष को अस्थायी आजीविका व्यवधान संबंधित सहगति रवीकार है।



(3)

) ) ) )

.)

.)

..)

..)



- 6. यह कि द्वितीय पथा निर्माण कार्य के दौरान रोड़ के सभी स्थित सभी व्यवसायिक इकाईयों को नुकसान से बनाने के लिये सभी संभव सावधानिया पूर्वक कार्य करेगा।
- 7. यह कि प्रथम पक्ष हाल दिवाय पदा को यह आश्वासन दिया जाता है कि यह MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण को किसी प्रकार का नुकसान नही पहुंचायेगा, ना ही सार्वजानिक बाहनों के आवायमन में व्यवधान पैदा करेगा एवं ना ही ऐसे कार्यों में शानिल होगा।
- वह कि दोनो पक्ष MPDCSP अंतर्गत प्रस्तावित इस रोड निर्माण हेतु सहगत
   है।
- 9. यह कि हस्ताक्षरित किये जाने की तारीख से यह सहमति पत्र प्रभावी होगा।

ोनो पक्षों ने उपर लिखित तारीख को इस
1
द्वितीय पक्ष की ओर से अधिकृत
गवाह ASST. GENERAL MANAGER
THE ASST. GENERAL WALLAND CALL
1 हस्ताक्षर १/१८
371 - C.C. Kuzething
भण्डे प्रापता - MP ROC
9)7017
2 इस्ताक्षर
नाम —
र्राध्ये पूरा पता -
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
य, <b>ग्राम पंचायत के सदस्य, डी</b> .पी.आर. किय संगठनों के प्रतिनिधि तथा ग्राम के
ल किया जा सकता है)

### सहमति पत्र (अक्तिमत रूप से हस्ताक्षर करने हेत्)

यह सहमति पश्च दिनाक भे प्रिक्त श्री श्रीमति प्राणी हो?" निवासी होन्स्ट्रहरू (जेन्हें बाद में प्रथम पक्ष कहा जावेगा) एवं प्रथम प्रदेश रोड डेव्हलोपमेट कारपोरेशन की तरफ से श्री एखे.जी. कुहारका बाद में द्वितीय पक्ष कहा जावेगा) के मध्य हस्लाक्षरित किया गया । गवाहों / साक्षी की उपस्थिति में यह दस्तावेज निष्पादित किया गया है।

- 1. यह कि प्रथम पक्ष दुकान का स्वामी/फिराग्रेदार/आतंकमणकारा/फंटी वाला है। तथा वह अपना - ताम कि दूसवुसाय पिछले 12 वर्षों से इस स्मान पर वला रहा है। दुकानदार इस दुकान का पट्टेदार है/ नहीं है। प्रस्तावित सड़क के निर्माण के दौरान व्यवसायी का स्वामी/पट्टेदार का व्यवसाय तथा आगदानी सङ्क निर्माण के दौरान बाधित होने की आशंका है। यह कालावची 3 दिन से अधिक नहीं होगी।
- 2. यह कि प्रथम यक्ष ने मध्य प्रदेश जिला कनेक्टीविटी क्षेत्र परियोजना (MPDCSP) की आवश्यकसाओं के तहत आयोजित सार्यजनिक लोक सहमति में भाग लिया है, रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाभ को समझ लिया है एवं रोड निर्माण हेतु सहमति दे दी है।
- 3. यह कि प्रथम पर द्वारा अपनी मर्जी से ग्राम राम्प्रपूर तहसील उ में MPDCSP अंतर्गत रोड निर्माण विकास हेतु अपनी आजीविका में संगार्वित अस्थयी व्यवचान को देखते हुये भी सहमति प्रदान की है।
- 4. यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने वाले अस्थयी आजीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के मुआवजे का दावा नहीं करेगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्ष को अरक्ष्यी आजीविका व्यवधान संबंधित सहमति स्वीकार है।

ASET GENERAL MANNER

Ö 9000000000

- 6. यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य के दांशन रोड़ के समीप स्थित सभी व्यवसायिक इकाईयों की नुकसान से बचाने के लिये सभी सभव सावधानियां पूर्वक कार्य करेगा।
- 7. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा हितीय पक्ष को यह आश्वासन दिया जाता है कि यह MPDCSP अवर्गत रोड निर्माण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचायेगा, ना ही सार्वजनिक वाहनों के आनागमन में व्यवधान पैदा करेगा एवं ना ही ऐसे कार्यों में शामिल होगा।
- यह कि दोनो पक्ष MPDCSP अंतर्गत प्रस्तावित इस रोड निर्माण हेतु सहमत
   है।
- 9. यह कि इस्ताक्षरित किये जाने की तारीख से यह सहमति पत्र प्रभावी होगा।

साक्षी / गंबाहां की उपस्थित में दोनों पक्षों ने उपर लिखित तारीख को इस पत्रक को हस्ताक्षारित किया है। इस्ताक्षर प्रथम पक्ष कितीय पक्ष की और से अधिकृत (मोहर साहेद्र) गंवाह गंवाह गंवाह गंवाह गंवाह नाम — राजा जर पूरा पता — प्राच्या प्रथम पत्रा पता — प्राच्या प्रथम पत्रा पता — प्राच्या प्रथम पत्रा पता — प्राच्या प्रथम प्रथम पत्रा पता — प्रथम प्रथम प्रथम पत्रा पता — प्रथम प्रथम प्रथम पत्रा पता — प्रथम प्रथम प्रथम पत्रा पत्रा — प्रथम पत्रा पत्रा — प्रथम पत्रा पत्रा — प्रथम पत्रा पत्रा — प्रथम पत्रा —



0

 $\bigcirc$ 

0

0

0

 $\bigcirc$ 

0

0

0

9

)

) )

J

J

U

Madhya Pradesh Roud Development Corporation (MPRDC), Bhopai

### सहमति पन्न

सह सहगो । व विश्व : १८०४ हो गाए स्थान होता । व विश्व : १८०४ हो गाए स्थान । विश्व : १८०४ हो गाए स्थान । विश्व : १८०४ हो गाए स्थान । विश्व : १८०४ विश्व : १८०४ हो गाए । विश्व : १८०४ विश्व :

मवाहो / साक्षी की उपारन्त एक एक एक निष्णानेत किया गया है।

- मह कि प्राम पत पुत्रान का के में रिक्त कार जातिक कावारों / करी वाला है। तम वह अपना ना के व्यवसाय किएक 2012 वर्ग से इस स्थान का पद्देवार है / नहीं है। प्रसादित सड़क के निर्माण के वारान व्यवसाय का स्वाकी / पहटेवार का प्राचाय तथा अम्मदनी सड़क निर्माण के दीरान गावित तीने की आग्राका है। यह कासावी 30 दिन से आयेक नहीं होगी।
- 2. यह कि प्रथम पक्ष में मध्य प्रदेश जिला कर्नक्टीविटी तंत्र परियांनना (एमगी ही सी.एस पी) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक सहमति में भाग लिया है. रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाभ को समझ लिए। है एवं रोड निर्माण हेतु सहमति दे थी है।
- 3. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा अपनी मर्जी से पाम भूननार तहसील खोक्क में समावित अस्थायी व्यवधान को देखते हुये भी सहमति प्रदान की है।
- 4. यह कि प्रथम यक्ष रोड निर्माण से होने वाले अस्थाधी आजीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के मुआदाने का दावा नहीं करेगा।
- यह कि द्वितीय पक्ष को अस्थायी आजीविका व्यक्तान संबंधित सहमति स्वीकार है।
- 6. यह कि दितीय पक्ष निर्माण काय के दौरान रोड के समीम रिशत सभी व्यवसायिक इकाईमा को नुकासान से बचाने के लियं सभी स्थाव साकानिया पूर्वक कार्य करेगा।
- 7. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा हितीय पक्ष को यह आएकारान दिया जाता है कि वह (एम बी डी सी एस बी.) अंतर्गत रोड निमाण को किसी प्रकार का नकरमन नहीं महित्यामा, ना ही

Madity & Pradesh Road Devel	opment Corporation (MPRDC), Bhopal
सामाना । स्थापना मा अस्तान	भोदा करण ए। ल ज ९६ काण म शामित
gpm i	
a प्राप्त करा च लगण अस्मित्रों) अस	नीत प्रकारित इस तार अगल के कामन से।
9 यह कि इस हो। किए जाने की लगीय से	मह सम्मति इन इसा है ताम
साक्षी / गणाज हो चार्गांग्याचे में दोनी पक्षी न हरसाक्ष्मित है ।	ने उपर (अंदेश ताराध में इस पत्रमें को
इस्तावस् एक्म १६।	द्वितीय को आर से आवेकृत (मोहर सहित)
गताह	नवाद
म्मा	ा इरलाधार नाम
पूरा पता - भाषात	पूरा पता
2. हस्ताक्षर एक माम कामिन कामित	2 हस्ताक्षर

(गदाह/साक्षी में माव के रारमत, ग्राम पंत्रायत के सदस्य की पीआर कसलटेंट के प्रतिनिधि गैर शासकीय संगठनों के प्रतिनिधि तथा ग्राम के बुजुर्ग/वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया जा राकता है)

त्य वता - . म.काणवर,

पुरा पत्ता

 $\bigcirc$ 

 $\bigcirc$ 

 $\bigcirc$ 

00000

0

0

0

Э

O

0

0

0

0

Ú

J

Ü

J

Madhya Pradesh Road Development Corporation (MPRDC), Bhopal

### सहमति पत्र

्यानासा स्थाप स्थाप कर्ना है।

ल्वाहो / साक्षी की समस्थिति में यह दस्तान्तर निष्यान्य किया गया है।

- 1 यह कि प्रथम पक्ष दुकान का स्वामी/किरायेदार/अतिअनण्यारी /भरी वाला है। तथा वह अपन टोटिंस अवसाय मिछले / 5-17- वर्ष से इस स्थान पर यहां रहा है। दुकानवार इस दुकान का पट्टेंदार है/नहीं है। प्रशावित सहक के निर्माण के दौरान व्यवसाय का स्वामी/पट्टेंदार का व्यवसाय क्या अपनानी सडक निर्माण के दौरान वाधित होने की आधाका है। यह कालाव्यों 30 दिन से अधिक नहीं होगी।
- 2. यह कि प्रथम पहा में मध्य प्रवेश जिला कर्नक्टोबिटो अत्र परियोजना (एम.पी.डी.सी.एस.पी.) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लॉक सहगति में भाग लिया है, रोड निमांण से प्राप्त होने वाले लाग को समझ लिया है एवं रोड निमांण हेतु सहमति वे दी है।
- 3. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा अपनी मर्जी से ग्राम करनवारी वहतील त्योच्या में (एम पी.डी.सी.एस.पी.) अलगत सेड निर्माण विकास हेतु आपनी आजोविका में समावित अख्यायी व्यवधान को देशते हुये भी सहमति प्रदान की है।
- यह कि प्रथम प्रश्न तेंद्र निर्माण से होने वाले अख्यायी अजीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के मुआवजे का दावा नहीं करेगा।
- यह कि द्वितीय पक्ष को अस्यायी आजीविका व्यवनान समिवित सहमति स्वीकार है।
- क कि दिलाय प्रक्ष निर्माण कार्य के दौरान रोड के समीप रिशत राना अवसायिक इकाईमा
  का नुकरान से बचाने के लिये सभी रामव साववानिया पूर्वक कार्य करणा।
- म यह कि प्रथम पक्ष दास दिनीय पक्ष को यह आख्वारान दिया जाता है कि नह (एम.भी.डी. सी एस.पी.) आगंत संड निर्माण को किसी प्रकार का नकरान नहीं प्रहुंसहरेगा ना है।

Madby (Pr. 1986 Road Development Corporation (MPRDC), Rhopel राज गरेगा जरूबा । वाच ए । इस पदा करेगा एवं ना ही ऐसे कार्य ए जाना : डोगा। मह के दोना पक्ष (क्या ए क्या (क्या) अवस्था प्रत्यक्ति इस रोड निर्माच इत् रक्ता यह कि इस्ताझरे। किन न को तरिकारों पर सहमति पर प्रमाश होगा। साक्षी / एकाड़ी भी जाएं की है है है है है से अपने विभिन्न सारीया की उस पड़ा है। इस्साअस्ति किया है। द्वितीय परा की और रा अधिकृत हरताक्षर प्रथम कि (गहर सहित) गवाह गवाह हरतासर पूरु पत्ता ल प्रा पता -2. इस्साधार. 2 इस्तासर पुरा पता --

(गवाह/साठी में यहन के सरपद वाम प्रदायत के सदस्य, ही पी आर कसलटेट के प्रतिनिधि गर शासकीय संगठनां के प्रतिनिधि तथा याम के बुजुमें/वरिष्ठ नामीतिक को शामिल किया जा सकता है)

 $\bigcirc$ 

 $\bigcirc$ 

 $\bigcirc$ 

000000

0

Э

0

0

0

D

0

J

J

J

Li idhya Priidesh Road Development Carporatioa [MPRDC], Bhopal

### सहमति पत्र

असीनेतात का से हरताता करना अ

भूत सहारत स्व दिहास . 2014 को भी स्वीमात कार्यनात्मी कर्मा किन्द्रणी करून क्षेत्र हैं किन्द्रों स्वीम प्रथम एवं कर्म नार्या के समा प्रथम हार १ । विदेश हो स्वीम प्रथम करा जायमा के समा दर सादर किया गया।

गुडाहा / साक्षा और उपार**ाति में यह** दस्तावन निष्मादित किया गण है।

- ) यह कि प्रथम प्रश्न देवन का त्यामी/किरायदार/अतिक्रमणवाम /जरी वाला है। तथा ॥ह ज्याम नार्ड व्याचाय विश्वते रि... वर्ग स इस द्यान पर चला राम है। क्वानदार इस द्वान का गट्ट्यार है/नही है। प्रस्तायित सडक क निमांण के दौरान व्यवसम्य का श्वामा/पटटेदार का व्यवसाय तथा आमदनी सडक निमाण के दौरान गणित टोन की आशाम है। यह कारवामी 30 दिन से आधेक नहीं होगी.
- 2 यह कि प्रथम पक्ष ने कय प्रवेश जिला कनेक्ट्रीविटी बाज परियोजना (एमपी डी सी.एस.पी.) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक सहमति में भाग तिथा है. रोड निमांग से पाप्त होने कल लाग को समझ लिया है एवं रोड निमांग हैं। सहमति दें थी है।
- 3 यह कि ज्यम पक्ष द्वारा अपनी गर्जी से ग्राम किनवरी तहसील ो रोन् में (एम पो.ही सी एस.पी.) अतर्गत राड निर्माण विकास हेंतु आपनी आजीपिका में समादित अस्थायी व्यवधान को देखते हुंगे मी सङ्गति प्रदान की हैं।
- यह कि प्रथम पक्ष रोड़ निर्माण से होने वाले अस्थायी आजीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रवार के मुआवजे का दावा नहीं करेगा।
- यह कि द्वितिय पक्ष को अस्थायी आजीविका व्यवधान सर्वाचित सहमति खीकार है।
- यह कि दितीय पक्ष निर्माण कार्य के दौरान रोड के समीप स्थित सभी व्यवसायिक इकाईयाँ को नुक्तान से बचाने के लिये सभी राभय सादधनिया पूर्वक कार्य करेगा।
- ग्रह कि प्रथम पत्त द्वारा दिलाय पक्ष को यह आश्वासन दिया जाता है कि वह एम पी डी री एस पी) अलगंत रोड निर्माण को किसी प्रकार का नुकरनन नहीं अधिकार ना ही

Madhya Pradesh Rolat Jevelopment Corporation (MPRDC), Bhopal महिल्लाहरू में अध्यासमान है एक कि है है से कार्यों में शामिल यह कि दोनों पक्ष (एकार अपन प्राप्त) काल दें भीते हम देश देश निर्माण हैतु सहमत है। मह कि इस्तासित किया जाने को अध्या ता उक्त सकता अने क्यांके होगा। नाति मक्कों की क्यारियोंने में तहाँ एक से पान अपना तार्थिक की इस पानक की र जनाकरित किया है। ुराष क भी और से आधित इस्ताम् र प्रथम पक्ष (भारत साहैत) 57 (11.6) वाबाह १ हरवाक्षर । हरताक्षर मा अभिनाम भन यूरा पता - काला वार्रों ... पुरा भता 2 हरताशर स्मिर 2 हसाक्षर Ada, पूरा पता - नापना

(भगह/सार्थी में माव के रहपन पाम उत्तायत के सदस्य की भी आहे. इसल्टेट **के प्रतिनिधि** मेर भासकीय समदानी के प्रतिनिधि तथा याम के बुजुमें/बारच्छ नामारेको का सामित किया जा सकता है)

7

7

7

0

0

0

)

0

0

0

0

0

)

)

U

 $\cap$ 

0

 $\cap$ 

)

0

Э

7)

0

)

J

Ó

J

Madby a God of Road Development Corporation (MPRDC). Bhopal

### सहगति पत्र

प्राचित्र र सन् से इस्ताद**ार करने हे**त्।

पह सहरमते १२ विस्तात 2014 को और श्रीमदि .. 1839 श्रीकर हमा है निवासी समाजन हम्हें होता वाद में प्रथम पक्ष कहा जायेगा) एत मध्य प्रवेश र्शित देखान महा करोर होता है। श्री ... (१५) र्शित देखान महा का प्रथम कहा जायेगा) के महा हस्तक्षण । किया गणा।

महाहा / संसी को स्वास्थित में यह दस्तावन निमानित किया गया है।

- 1 यह कि दणम पस दुकान का रवामी/किसबैदार/अतिकमणधारी /करा वाला है। तथा वह आक्षा हो करा व्यवसाय हो छले ... अतिकमणधारी / करा वाला है। तथा वह आक्षा हो करा व्यवसाय हो छले ... अति करा वाला से इस स्थान पर वला रहा है। दुकानदार इस दुकान का पाउटदार है/नही है। प्रस्तावित छडक के निर्माण के दौरान व्यवसाय का स्थामी / पाउट वह का वालसाय तथा आमदानी सहक निर्माण के दौरान बाधित हो की आयका है। यह कराता लगे 30 दिन से अधिक नहीं होगी।
- 2. यह कि प्रथम प्रथा ने मध्य प्रदेश जिला कनेक्टीबिटी क्षेत्र परियाजना (एम पी डी सी एस पी.) की आवश्यकताओं के तहत आयाजित सार्वजनिक लोक सहमति में भाग लिया है, रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाग की लगझ लिया है एवं रोड निर्माण हेतु सहमति दे दी हैं।
- 3. यह कि प्रथम पदा द्वारा अपनी मर्जी से याम **फल्लाई** तहसील स्थिएप्यू ......में (एम पी.डी सी एस.पी.) अतमंत रोड मेमांण विकास हेतु आपनी आजीविका में समावित अस्थायी व्यवसान को देखते हुए भी रहत्मति प्रदान की है।
- यह कि प्रथम पदा रोड निर्माण तो होने वाले अस्थायो आजीविक। व्यवधान के खिलाफ निर्मी भी प्रकार के मुआपन्छे का दावा नहीं करेगा।
- 5 गर कि द्वितीय पक्ष को अस्थाया आओविका व्यवचान संबंधित सहमति स्वीकार है।
- 6 यह कि दिलीय पत निर्माण कर्य के दौरान रोड के सभीप रिश्वत सभी अवस्थायिक इकाईमी को नुकतान से बचाने के लिये रागी राभव आवधानिया पूर्वक कार्य करेगा।
- गाह कि प्रथम पक्ष द्वार दिवीय पक्ष की यह आखासन दिया जाता दे कि का (एम पी.डी सी एस पी.) अतर्गत रोड निर्माण को किसी प्रकार का नुकसान नम् प्रवृत्याम ना ही '

अवहर (Gad) ya Pradesh Road Development Corn ा आ (MPRDC), Bhopal ा राष्ट्रिक के अपना के अवस्थान में है अवस्थान में है अपना के अवस्थान में अपना के अवस्थान से अवस्थान में हैं।

0

00000000

0

0

0

0

Э

Ü

)

J

ा १८ के दानो क्या (१५ की हो सी एस पो) अतर्पन करना १८ १० वा १ कान का सहमत है। व व्यापक इस्ताक्षांस्त क्या जाने की तारोख से यह राज्यके पा। कार्य हामा

्राज्य १८८३ हो। उपरिक्षति में चौको पक्षी के अपर निर्मात १९८५ को उस पातक **को** उरलक्षाता क्रिया है।

स्याहर प्रथम पक्ष ब्रिज सम्भर् सिंह हिता पक्ष की और स अधिकृत (मोहर सहित)

मयाह मताहर

। हरताबर 1 हरताबर जे दिली प्रमार्थ सिंह नाम जिस्क व्याहर सिंह नाम जे कि जोर स अधिकृत (मोहर सहित)

प्राप्त प्रथम पक्ष ब्रिज स्थाहर सिंह नाम जे कि जोर स अधिकृत (मोहर सहित)

प्राप्त प्रथम पक्ष विकास सिंह मताहर सिंह नाम जे कि जोर स अधिकृत (मोहर सहित)

प्राप्त प्रथम पक्ष विकास सिंह अधिकृत (मोहर सहित)

२ हरतासर केल किवहरे नाम - प्राप्त -

(गदाह/साक्षी में भांव के सरपंच, पाम प्रचानत के सदस्य, डीपी.भार, करालटेट के प्रातानाय. भेर शासकाय रामडना के प्रातानांध तथा ग्राम के बुजुम/बारप्ट मामारका के प्रातानांध तथा ग्राम के बुजुम के बुज

0000000000000000

 $\bigcirc$ 

0

 $\cap$ 

0

 $\bigcirc$ 

O

J

J

J

Madhya Prade H.R. and Development Corporation (MPROC), Bhopai

### सहमति पन्न

### ार । । । अन्यस्थार करने हेतु ।

पह सहमति पत्र विनाल २०१४ की साज्योगत को हमारी हाएगा निवासी को लेटिंगरी ने उत्तर बाद में प्रथम प्रक्ष कहा जायेगा) एवं निवास प्रदेश शेंद्र देनल्हाच्याद कारणेंग्रेशन के १०० का स्थाप कहा जायेगा) एवं निवास प्रदेश किया बाद में १०० वर्ष कहा आयोग) के मन्न हरताक्षार किया प्रस्तात

नवाही / साक्षी की उपस्थित है से पढ़ प्रस्तावन की मादित किया गया है।

- ा यह कि प्रथम पक्ष पुकान का रहामी (किरायदार/आतिक्रमणवारी /फेरी जाता है। तथा वह अपना पान क्या अवसाय किल्ल 10-12 वर्षों से इस रखान पर चला उन्हें है। दुरुवावार इस दुवान का प्रदूरवार है/नहीं है। प्रस्तावित सहके के निर्माण के दौर न व्यवसाय का रहाभी/प्रदूरवार कर व्यवसाय तथा आगदनी सहक निर्माण के दौरन बाबित जोने की आशंका है। यह कालाउधा 30 दिन से अधिक नहीं होगी।
- 2 यह कि प्रथम पक्ष में कृत प्रदेश जिला कनेक्ट्रीविटी क्षेत्र परियोजना (एम.पी.डी सी एस पी.) की आवश्यकताओं के तहत आशोजना सार्वजनिक लोक सहमति में भाग लिया है, रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाम का समझ लिया है एवं रोड निर्माण हेतु सहगति दे दी है।
- 3 यह कि प्रथम पक्ष द्वारा अवनी मर्जा से प्राम क्लादाये तहसील ट्येखें रें ... में (एम पो,डो सी एस,पी.) अतगत रोड निमाप विकास हेतु आपनी आजीविका में तनावित अस्थायी व्यवधान को देखते हुए भी सहमाते प्रधान की है।
- यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने वाले अख्यायी आजीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के मुआवाले का दान नहीं करेगा।
- 5 यह कि द्वितीय पक्ष को अरक्षायी आजीविका व्यवचान संबंधित सहमति स्वीकार है।
- 6 मह कि दिताय प्रश्न निर्माण कार्य के दौरान रोड़ के समीप रिधत रामी व्यवसायिक इकाईयाँ को नकरान से बधाने के लिये शुभी सभव सातधानिया पूर्वक कार्य करेगा।
- 7 यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय ग्रह को यह आश्वासन दिया जाता है कि वह (एम पी.डी सी एस पी.) अवर्गत संड निर्माण को किसी प्रकार का नुकासन नहीं पहुन्तसमा ना है।

Athalian Process Road Development Corporation (MPRDC), Bho pal complete and the complete a

- हु का कि इस के राज के राज में देखें मुंता**यें) अतमंत्र प्रस्तावित इस** रोज रिवाल रें। सम्मान के [
- व यह के इत्युप्तरेश केया ताने की तारीख से यह सहमति यह प्रनास राजा

Ö

 $\bigcirc$ 

 $\bigcirc$ 

0000

0

0

0

0

0

0

Э

O

٦

मुक्ताहर हो है। इंग्लिया में अने पक्षी में अपर लिए। वारेप हो उस पर्य की

हितीय पर की गर व आहे जून भवाह गवाह गवा

(गवाह / साक्षी में पाव के सरवच, प्राम प्रवायत के सदस्य, दी.पी.आर कलताता के प्रतिनाध, मेर मासकीय संगठनों के प्रतिनाचि तथा प्राम के बुजुर्ग / वरिष्ठ नागरिकों को मामिल किया जा सकता है)

00000

 $\bigcirc$ 

0000000

 $\bigcirc$ 

0

0

0

)

## Aladhya Pradesh Road Development Corporation (MPRDC), Bhopal

#### सहपति धत्र

### हिमालिया साम राजान अने अन्य अन्त अन्त

ाजा / साडा की उपारिवति में यह दस्तहरूल निवादित किया गया है।


- ा यह कि प्रथम प्रश्न दुकान का स्वामी/किश्वेदार/अधिकनगदारी /फेरी वाला है। तथा

  तर प्रपम भाजी व्यवसाय विश्ले 15+17 वर्ग से इस स्थान पर जला रहा

  है। दुकानदार इस दुकान का पट्टेवार है/नहीं है। प्रशावित सड़क के निर्माण के दौरान

  व्यवसाय का स्वामी/पट्टेवार का व्यवसाय तथा आगदनी सड़क निर्माण के दौरान वाधित

  व्यवसाय की आशका है। यह कालावधी 30 दिन से अधिक नहीं होगी।
- 2 यह कि प्रथम पहा ने मध्य प्रदेश जिला फलकटी बिटी सन परियोजना (एम पी ही सी.एस पी) की आवस्य ल्वाओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक सहमति में भाग लिया है, रोड 'नेमॉण से प्राप्त होने वाले लाभ की समझ लिया है एवं सेड निमाण हेतु सहमति दें दी है।
- 3 यह कि प्रथम पक्ष द्वास अपनी मर्जी से ग्राम कुलवारी तहसील ट्याचार में (एम पो डो सी एस.पी.) अतर्गत रोड निर्माण विकास हन् आपनी आजीविका में समावित अरक्षाची व्यवसान को देखते हुने भी सहमति प्रदान की है।
- यह कि प्रथम पत्त रोड निर्माण से हान वाले अस्थायी आजीविका व्यवधान के विलाफ किसी भी प्रकार के मुआवजे का दावा नहीं करेगा।
- 5 यह कि दिसीय पत्त को अस्थायी आञ्चीविका शक्तान समिति सहमति स्वीकार है।
- 6 यह कि हितीय पन्न निर्माण काथ के गहान राह के संगीप स्थित सनी व्यवसायिक इकाईयाँ का गुजरान से बचाने के लिये रानी सभव सावधानिया पूर्वक कार्य करेगा।
- 7 यह कि प्रथम पक्ष द्वारा दिवाय पक्ष को यह आश्वासन दिया जाता है कि वह (एम पी.डी की एक पी.) अवर्गत रोड निर्माण को किया प्रकार का नुकस्तन नहीं पहुंचानमा ना प्रवासना



(भशाद / साक्षी में गांव के सरमन, भाग पक्षण्य के सदस्य, कीपी.आर कसलतेट के प्रांतन्त्राण मेर भारतकीय संगठनों के प्रतिनिधि तथा गण के बुजुर्ग / गरिन्छ नागरिकों को शामिल किया जा सकता है)

Э

0

.)

)

)

ر

J

### Madhya Pradesh Road Development Corporation (MPRDC), Bhopal

### सहमति पत्र

(अस्तामत रूप स उत्तासर करन हत्)

यह स्व्यापित पन्न दिशाम ... 2014 को भी आगाउ १० (१००१६११ १०१०) चंदावरी ... १५६१व ... ... (जिल्हें बाद में प्रथम पक्ष कहा जायमा) एवं मध्य प्रदेश १० १९ १ वर्ग कार्योरशन की तरफ से श्री ... (प्रव) (जिल्हें बाद में जिताय पक्ष कहा जायमा) के मध्य हरताशहरेत किया गुगा।

ं नकड़ा / साधी की उपस्थिति में यह दस्सावेज निवादित किया गया है।

- मह िक प्रथम पक्ष दुकान का स्वामी/किरायेदार/अक्रिकमणधारी /फेरी ताला है। तथा तह अपना हिस्सान व्यवसाय पिछलं . लं को से इस स्थान पर बला रहा है। इक्षानदार इस दुकान का पट्टेदार है/नहीं है। प्रस्तावित सडक के निर्माण के वीरान व्यवसाय का स्वामी/पट्टेदार का व्यवसाय तथा आगदनी सडक निर्माण के दौरान वावित होंने की आशका है। यह कालावधी 30 दिन रो अधिक नहीं होगी।
- 2 यह कि प्रथम पक्ष ने महम प्रदेश जिला कने हो। विशे क्षेत्र परियोजना (एम.पी.दी सी.एरा पी) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजीनक लोक सहमति में माम लिया है. चैड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाभ को समझ तिया है एवं रोड निर्माण हेतु सहमति दे दी है।
- 3 यह कि प्रथम प्रक्ष द्वारा अपनी मर्जी से ग्रामलेखातील तहसील िसेट्रीट में (एम पी.डी सी एस पी.) अतर्गत रोड निर्माण विकास हेतु आपनी आजीविका में समावित अस्थाधी व्यवधान को देखते हुये भी सहमति प्रदान की है।
- 4 यह कि प्रथम प्रदा रोड निर्माण से होने वाल अस्थायी आजीविका व्यवधान के छिलाफ किसी भी प्रकार के मुआवजे का दावा नहीं करेगा।
- 5 यह कि द्वितीय पक्ष की अस्थायी आजीविका व्यवधान स्वचित सहनति स्वीकार है।
- 6. यह 'के दिताय पक्ष निर्माण कार्य के दौरान रोड़ के समीप रियत सभी व्यवसायिक इकाईयों को नुकराम से बचाने के लिये सभी समय साजानिया पूर्वक कार्य करेगा।
- 7 महि कि प्रथम प्रवाहार जिलाय प्रथम को यह आश्वारक दिया जाता है कि वह (एम पी डी सी एस पी) अतर्गत रोड निर्माण को किसी प्रकार का नकसान नहीं प्रदेशकार्थ में ही

सार्वजनिक बाहनो के आवागमन म कार्व जेगान	(११) करेगा एवं ना <b>ही ऐसे कार्गों में शां</b> गिल
	कार । प्रत्यक्तिम इस राज निमाण हेतु सहमस है।
<ul> <li>गर कि इस्ताशित किये जाने की अध्या</li> </ul>	
	म प्राप्त विकास सारीया को इस धन्नक को
इसासर प्रथम पश्चित स्थित	हिलाम पक्ष की ओर से अधिकृत (मोहर संदित)
मवार	ग्लाह
1. SKIIGR	नाम (व्यवस्थितिक
सम - स्टाइ स्वय में जो सम - स्टाइ स्वय में जो	तस तथा न्या होट्य
HI (1917 - 1917) He	पूरा पता
2. 1841818	2 EAST SAL COSTONOSTONISTOS SESTEMBLES SESTEMBLES SESTEMBLES CONT. CO.
माममवालाल कपर	नाम - जातिता (मेरं (अरपंत))

(ग्वाह / राक्षी में गांव के सरपंव, ग्राम पंचायत के सदस्य, डी.पी.आर कसलटेट के प्रतिनिधि, वेर शहसकीय संगठनों के प्रतिनिधि तथा ग्राम के वृजुर्ग / वरिष्ठ नागरिकों की शामिल किया जा सकता है)

पुरा पता - ज्यांनि अभव

0000000000000

 $\cap$ 

0

0

0

0

0

7)

)

j

 $\bigcirc$ 

Ú

ن

ڼ

Ú

Madhya Pradesh Road Development Corporation (MPRDC), Bhopal

### सहमति पत्र

मा भगात रूप से इस्ताक्षर करने 🦥 🕽

यह राहणीत पत्र दिनाक 2014 को अभिगति विनीप प्रश्नात शास्त्र निवासी अध्यापिक (इन्हें बाद में प्रथम प्रश्न कहा नायमा) एवं मध्य प्रवश्न शंज देवलामा कार्यारशाह हा एक संश्री

गवाही/साक्षी की उपारंथति म यह दस्तावंज निष्पादित किया गया है।

- 2. यह कि प्रथम पहा ने मध्य प्रदेश जिला कर्नक्टीविटी क्षेत्र परियोजना (एम.पी.डी.सी.एस.पी.) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक सहमति में भाग लिया है. रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाभ की समझ लिया है एवं सेंड निर्माण हेतु सहमति दे दी है।
- 3. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा अपनी मर्जी से ग्रामलालगर, तहसील हिस्सिंड में (एम पी.डी.सी.एसपी.) अंतर्गत सेंड निर्माण विकास हेतु आपनी आजीविका में संगावित अस्थायी व्यवधान को देखते हुवे भी सहमति प्रदान की है।
- यह कि प्रथम पदा रोड निर्माण से होने वाले अरुवायी आजीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के मुआवर्ज का दावा नहीं करेगा।
- यह कि द्वितीय पक्ष को अस्थायी आजीविका व्यवसान संबंधित सहमति स्वीकार है।
- 8. यह कि दितीय पक्ष निर्माण काम के दौरान रोड के समीप रिधत सभी व्यवसायिक इकाईयों को नुकसान से बचाने के लिये रानी सभव सावधानियां पूर्वक कार्य करेगा।
- यह कि प्रथम पक्ष द्वारा दितीय पक्ष को यह आएवासन दिया जाता है कि यह (एम पी डी सी.एस.पी.) अतर्गत राड निर्माण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचायता.

. ,	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
$\cap$	
$\cap$	
$\cap$	
0	
0	
$\bigcirc$	
Э	
0	
0	
0	
O	
$\odot$	
O	
C	
Ú	
0	
U	
)	
J	
Ų	
J	
)	

Madbya Pradesh Road Development Corporation (MPRDC), Bhopaf १९) ग्रेटक वहनों के आग्रामगन में ध्यवधान पैदा करेना एवं ना है। ऐसे कार्यों में शामिल १९८१

५ ८ ८ ६ प्रांत पक्ष (एम.पी.डी.सी.एस.पी.) असमत परवर्गक इस सड निमांण डव राहमत है।
 ५ ५६ कि २६०५ सिंत किये जाने की सारीया से यह सहमति धन प्रभावी होगा।

मास्ते हैं। यहाँ की जातिश्र**ति में** दोनों पक्षी ने उपर दिनियत तारीख की इस पत्रक की दहनकारत किया है।

दरवाहार प्रथम धंक्ष

ह्योग्य पक्ष की ओर से अधिकृत (गोहर सहित)

गवात

नाम - किलोक दुसाद अपनी पुरा वता - सन्तरहः

ा इरलासर. ्याज्येन नाम - विकास रिक्री राज्येन पूरा पता - क्याप स्था

2. (3) 1131

नाम - अक्रिया बुकार

2 इस्तासर ...

नाम - क्यानिता पीट

(मगाइ/साक्षी में मांव के सरपन, ग्राम प्रचायत के सदस्य, डी.पी.आर कसलटेट के प्रतिनिधि, मेर शासकीय संगठनों के प्रतिनिधि तथा प्राम के बुजुर्ग/बरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया

जा राकता है)



 $\bigcirc$ 

 $\bigcirc$ 

0

 $\bigcirc$ 

Ü

### Madhya Pradesh Road Development Corporation (MPRDC), Bhopal

### सहमति पत्र

(वार्ष-५ - १५ व अवस्थ करने ज् )

यह सहमति पत्र विनांक 2014 का श्री / श्रीमीत जिल्ला हो। निवासी क्रेसल्म्याचे (प्रेजन्हें वा : म प्रथम पक्ष कहा आर्थमा) एवं मध्य प्रदेश शेंद्र के लगभग कार्यादेशन के उता संश्वी (प्रक्रिक कार्यमा) के मध्य हस्तक्षारंत किया गया।

गवाहों / साशी की उपरिथति म यह दस्ताहज नियादित किया गया है।

- 2. यह िक प्रथम पक्ष ने मध्य प्रदेश जिला कनेक्टीकिटो क्षेत्र परियोजना (एमपी,डी.सी.एसपी) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक सहमति में भाम लिया है. रोड निर्माण सै प्राप्त होने वाले लाभ को समझ लिया है एवं सेड निर्माण हेतु सहमति दे दी है।
- यह कि प्रथम पत्त द्वारा अपनी मर्जी से ग्रामलीलामि तहसील द्वारोपिट में (एम पी.डी.सी.एस.पी.) अतमंत रौड़ निर्माण विकास हेतु आपनी आजीविका में समावित अस्थायी व्यवधान को वेखले हुए भी सहमंति प्रदान की है।
- 4. यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने वाले अरथायी आजीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के मुख्यवजे का दावा नहीं करेगा।
- यह कि द्वितीय एक्ष को अस्थायी आजीविका व्यवधान संबंधित सहमति रवीकार है।
- 6. यह कि द्वितीय वक्ष निर्माण कार्य के वॉरान राह के समीप रियत सभी व्यवसायिक इकाइयी को नुकसान से बचाने के लिये सभी समय सावधनिया पूर्वक कार्य करेगा।
- ग्रह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पदा को यह आश्वासन दिया जाता है कि वह (एम पी.डी सी.एस पी.) अवर्गत रोड निर्माण को जिसी प्रकार का नुकसान नहीं पह प्रथम ने ही कराना ने विकास का नुकसान नहीं पह प्रथम।

Madhyu Pradesh Road Development Corporation (MPROC), Bhoppal सारामार के उत्तर के अवस्थान में व्यक्तमन पैदा करमा एउना के पूर्व राष्ट्री में शामन

- 9 यह कि स्वक्षारत 'हमें जाने की तारीख से यह राहमाने एवं प्रमाओं अभा

साहों त्याराह की जात्यांक में दोनों पक्षी ने खपर जिल्हित उत्तराह भी देश पत्रक की हरसाहारेंद्र जिल्हा

हरतादार प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम (मोहर सहित)

गवाह

• हरताबाह परिषय (मोहर सहित)

• हरताबाह परिषय (मोहर सहित)

• महाह परिषय (मोहर सहित)

2. हस्ताहार नाम - प्रति व्यक्ति नाम - स्वानिता किंह पूरा पता कास गांव पूरा पता व्यक्त गांव

(गवाह/साक्षा में माव के सरपंघ, ग्राम पंचायत के सदस्य, डी प्रांजार करालटेट के प्रतिनिधि, गैर शासकीय सद्य उन्हें के प्रतिनिधि तथा ग्राम के बुजुर्ग/वरिव्द नामध्येकों को शामिल किया जा सकता है)

()

7

7

0

0

0

0

0

0

0

0

)

0

0

0

0

U

U

U

J

J

J

### Madhya Pradesh Road Development Corporation (MPRDC), Bhopal

### सहगति पत्र

### (व्यक्तिमा स्थाय व व्यवस्थात है।)

भह सहमाते यत्र दिलाक ..... 2014 का औ. भाग मा ालिए हैं भाग ...... MANA ..... (जिन्हें बाद में प्रथम दा कहा जायगा) एवं मध्य प्रदेश क उपमित्र कारणेरिशन की तरफ से भी विवन्हें बाद में द्वितीय पक्ष फ्रांस जाएए। ह माम बरवासरित किया गया।

गवाहो / साओ की जपस्थिति में यह दस्तावन निष्या 🐎 कथा गया है।

- यह िक प्रथम यस दुकान का खागी/कित्रयेदार/अिकमणगरी /क्रेरी वाला है। तथा वह अपना र्फिन व्यवसाय पिछले ... वर्ण से इस स्थान पर बला स्हा है। दुकानदार इस दुकान का पट्टेंदार है/गहीं है। प्रस्तानेत राउक के निर्माण के दौरान व्यवसाय का स्वामी/पट्टेवार का व्यवसाय तथा आभवनी सदक निर्माण के दौरान बापित होने की आश्वका है। यह कालावधी 30 दिन से अधिक नहीं होंथी।
- यह कि प्रथम पक्ष में मध्य प्रदेश जिला कनेक्टोबिटी अत्र प्रदेशाजना (एम.बी.बी.सी.एस.बी.) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक तहपति में भाग लिया है. रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाभ को समझ लिया है एवं सेड निर्माण हेतु सहमति दे दी है।
- यह कि प्रथम पश द्वारा अपनी मर्जी से माम्सीक्षीं प्रतहसील विद्योग्या में (एम पी.डी.सी एस.पी.) अंतर्गत रोड निर्माण विकास हेतु आपनी आजीविका में समावित अस्थायी ध्यवधान को चंखते हुये भी सहमति प्रदान की है।
- यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने वाल अरुधार्यी आजीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के मुआवजे का दावा नहीं करेगा।
- यह कि द्वितीय पदा को अरथायी आजीविका व्यवधान संबंधित सहभति खोकार हैं।
- यह कि दितान पक्ष निर्माण कार्य के दौरान संड के रामीप सिवत समी व्यवसायिक इकाईयो को नुकसान से बवाने के लिये सभी सभद साकानिया पूर्वक कार्य करेगा।
- यह कि प्रथम पक्ष द्वारा दिवीय पक्ष को यह आश्वासन दिया जाता है कि वह (एम.पी.डी. शीएस पी) असर्पत रोड निर्माण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पर सामग्रा नह ही

Madhya Pradesh Road Development Corporation (MPRDC), Bhopal सार्वजानेक एउना के प्रतासन में समाप्तान में स करना एवं ना ही ऐसे कार्यों ए शाहित

- कि होना यस वमाला साला (स्वा) अंतरात प्रस्तावित इस राज निर्माण हेत् सहमत है।
- मह कि इस्तक्षिण किए जान का तारीका से यह सहमात पत्र प्रमावी होगए।

साक्षी/मवाहो की उपाचा है अने यक्षा ने तपर लिखित जारीख को इस धन्छ की इस्ताक्षरित किया है

इस्तावर प्रथम प्रथ में भू

दितीय पश की और से अधिकृति (मोहर सहित)

गवाह

0

00000

7

0

0

7

0

0.0

)

)

)

1

)

)

J

सवाह

र हरामार अंग्रेस समाज्य त

नाम - और राधिकाकार्यः पुरा पता - (अस्ति साव भाग - े के किस करकर पर पता - के किस करकर पर

2. हरताहार.....

नाम - यमीठा पूरा पता - - - - भारत असले 2 हरताक्षर \_\_\_

नाम - उड़ार तेर छिट

पुरा पदा

(गवाह / साक्षी में मांच के संस्पन, ग्राम प्रवासत के सदस्य, डी पी आर कसलटेट के प्रतिनिधि. गैर शासकीय सगदनों है प्रतिनिधि तथा ग्राम के बुजुर्ग / परित्व नागरिकों को शामिन किया जा सकता है)



7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

)

)

J

J

U

J

J

)

Mudhya Pradesh Road Development Corporation (MPRDC), 8hopal

### सहगति पन

ंगवित्तमस कुप से इस्मान्स अपने पा

1	S 4	2410	ga rama	2014 की बी, बाल । देशका (अस्त)	
41	70	citte	guig	(जिन्हें बाद, में प्रथम वस कर करका) एवं मध	र प्रवेश
-1	1	100	1 7 1 2917 E	ि संस्कृति के अपन	(994)
			किल बाद स	तिताव प्रत्य कहा जामगा। म न ः वर्ष प्रदेश किया	2 ( 1, )

राजाता । साहरा और अपनिधाले से यह दूरसादित निधालित है। जनता है।

- । यह कि प्रश्न भी दक्तन का स्वामी ∕ किलायेगर अनिकारण हो। असे एसा है। तथा वह तथना लोकर एम व्यवसाय मिछले हैं। इस्तान हो उस स्थान पर चला स्टा है। दुकानदार इस दुकान का पहुटवार है / नहीं है। प्रस्ता है का के निर्माण के दौरान व्यवसाय का स्वामी / पहार वार का अवसाय तथा आमाना संस्क है। एम के दौरान नायित इसने वह आशका है। एवं कासावार 30 दिश से अधिक नहीं होगा।
- 2 यह कि प्रथम पर न गाय प्रदेश जिला कनेक्ट्रीविटी अब गाउमा उन (एम पी बी सी एस पी) की आवश्य कड़ाओं है उहत आयोजिस सावजानिक लोक (१९५३) में भाग लिया है, सेंब निर्माण से प्राप्त होने वार्स लाम की समझ लिया है एवं राड लेगाए ब्लू सहपति दें वी हैं।
- 3 यह कि प्रथम वस नाग अपनी मजी से माम<u>ल्यां निर्माल</u> हैं हसील िस्सी र में (एम पी दी ती एस पी) अतमंत रोड़ निर्माण विकास हेतु आपनी आ मानेका में समावित अस्थायी व्यवधान को नेसते नुष्य में सहमति प्रयान की है।
- यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने वाले अस्थायी आजीकिक व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के मुआवान का पाना नहीं करेगा;
- उ. यह कि द्वितीय क्या का अस्मायी आजीविका व्यवधान स्वतंत्रत सक्का लोकार है।
- को नुकसान से बचाल कि हिय सभी समय सावधानिया क्रिक कार्य कराय करायां कि इकाईयां
- मह कि प्रथम तक्ष हाल जिलीय पश का यह आध्वासन विभा जाता है कि वह (एम पी डी सी एस पी) अलगत राज निर्माण को किसी प्रकार कर नुकरतन की पहुसायेगा है।

Madhya Pradesh Road Development Corporation (MPRDC), Bhopal सार्वजनेक बाइनों के आजनमन है। १८३न १८१ रुगा पुर वा की ऐसे कार्यों में शामिल ETHIL! पत कि दोनों पदा (प्रतान के के पता के साथ प्रतान के अप प्रतान के विभाग हतु सहसत है) 40 कि इस्टालिक किया काल का अच्छा व का सहस्रात एक प्रवास होगा। भारती / भवाही की क्वास्थिति से उत्तर पहल व एक निवास, राजिय को इस पत्रक का ्रस्तासारत किया है। इस्ताक्षर प्रथम पस् इ.म.ब.) शार, ॥ ांद्रताच एक का प्रांत से अधिबन्त ंगाहर सहित्र) 41-015 mark १ हरताहार - भूगिने १ हरतासर... ५४% 479 - 3 HOI AVII पूरा पता -, ्रवाल गाउँ 2 हरतासर 2 F(d)31(...... गाम - अभिन्य करि नाम - कार्निता मिंद (परमन) पूरा पता - ...सान्त भाव

(मवाह / साक्षी में माव के रूरपंत्र मान प्रवागत के सदश्य डी पी आर कसलटेट के प्रतिनिधि, मेर शासकीय संगठनों के प्रातिनिधे उत्तर माम के बुजुर्म / विशेष्ठ नागरिकों को मानित किया जा सकता है)

Semi-Annual Monitoring Report, July 2015 - December 2015

Ú



Madbyo Pradesh Road Development Corporation (MPRDC), Bhopal

### सहमति पत्र

जी मार्थ क्षण से इस्तालर करने हत्।

का सहसार पर (रंगक 2014 को श्री/श्रीमत दिर्म के प्रति के परें जिल्ली को दिने राजि त्रिक्त सद में प्रथम पक्ष कहा जागण है। पत्र प्रतिश शहर उक्तरणत । रंगिया के अप अप अप पक्ष कहा जागण है। जिल्ला के कि परिवार में पूर्व पक्ष कथा आर्थमा) के मध्य हस्ताधार किया गण है।

- १ यह कि प्रश्न पत्न इस्ता है स्थान है स्थान है स्थान है। तथा कि अपना पूर्णि नर एस्ट्री तथा के प्रश्न के अपना पूर्णि नर एस्ट्री तथा के प्रश्न क
- 2 यह िक प्रयास पता न नाम्य एउल जिला कनक्टीविटी क्षेत्र परिवाजना (१५४१ के सी एस.पी) की आवश्यकक्षाओं के तहन प्रायोजित सार्वजनिक लोक सहमति य भाग लिया है. नीड निमाण स प्राप्त होने लाने जाने जो समझ लिया है एवं सेड निमाण है। सहमति दे दी है।
- 3. यह कि प्रथम पत द्वारा अपने मजी से मामल्यास्तिमात् हिसाल ्यित्र प्रोट्ट ्रिमे (१म. पी.डी.सी.एस.पी.) अंतमत रोड निमांण विकास हेतु आपनी आजीविका में समावित अस्थायी व्यवधान को देखत हुए भी रहमांते ज्वान की हैं।
- 4. यह कि प्रथम पक्ष गाँउ निमाण से होने बाले अस्थायों आजीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के मुखावजे का दावा नहीं करेगा।
- 5 यह कि हितीय पक्ष को अस्तारों अञ्चीविका व्यवधान रुवचित सहमति खीवगर है।
- 6 यह कि ग्रेतीय पता निमाल काद के तीराम रांड के समीप रिवास रक्षी व्यवसायिक इकाईयों की गुकसान से बचाने क लिया रागी समय सामधानिया पूर्वक कार्य करगा।
- १ यह कि काम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को यह आरवारान दिया जाता है कि वह (एग पी दी सी करायी) अवर्गत सह निर्माण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पह व्यवस्था ना है।

 $\cap$ 

Madbya Pradesh Road Development Corporation (MPROC), Bhopal

ा हामक वहनी p करममुक्त में यहारान कि स्टब्स हुए हैं। से संयोग में शामिल भाग

ार्ग १ मा १ का कार्यको । ए प्राच पक्षा में उपर इतिहास समित की । -दरतानाराज क्रिया है

उस्तामर प्रथम प्रम


उद्वरण्य १४ के आर **र अधिकृत** (मीहर राष्ट्रेम)

4.450

: इरताहार

नाम देशनील कराहे

पुरा वता - व्यादिशिवा



2 हरताशर

सम - सिचेंद्र

वृत कता - . ली जिल्हा

2 हरताक्षर .

नाम - कालिस (जो (स्वयंत्र)

त्या का - भारत गाव

ावाह / साक्षी में माव के सरपंत पाम पंचापत के सारस्य जो पी पान कसलटेट के प्रतिनिधि, में र शासकीय राष्ट्रानी के प्रतिविधि तथा गांग है कुतुम 'वातान सामस्यत को स्विधि किया

1 (Fibit 8)

00000000000000

0

 $\bigcirc$ 

0

0

Ō

Э

)

Ó

 $\odot$ 

J

J

Ų

ن

Madhya Prudesh Road Development Corporation (MPRDC), Bhopal

#### सहमति पन्न

Somble ( ) ए से अर्जाहर करने हेतु )

मह राज्यों पन विनाल 2013 ले औं , श्रीमंत्री श्रीचिद्ध प्राप्त स्विधिद्ध किला जा स्वाप्त कहा जायेगा) एवं मध्य प्रदेश १९ उन्हें अंदर्भ कहा जायेगा) एवं मध्य प्रदेश १९ उन्हें अंदर्भ किला के स्वाप्त स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त स्वाप्त के स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त के स्वाप्त स्वा

मवाहो / संसी की उपारमा १ म मह इस्तावज निष्मादित किया गया है।

- 1 यह कि प्रथम प्रश्न पुलान के स्वास्थ (किसमेदार/आदिक्रनणवारी / फैरी वाल है। तथा यह आपना प्राहावी (अवस्था एक्ट्रने ) " वर्ष से इस तथान पर बला रहा है। इकानदार इस दुकान का पर 'क्ट' है/ नहीं है। प्रत्वाचित सहक को निर्माण के दौरान वावस्थ का स्वासी/पट्टेशर का व्यवसाय तथा आमदनी सहक निर्माण के दौरान वावित होने की आगका है। यह कालांगय का दिन से अधिक नहीं होगी।
- यह कि प्रथम पक्ष में मध्ये प्रदण काला कनेकी विद्यों सेन परियाजना (एम मी डी सी एस पी.) की आवस्थकताओं के तहत आपालित सावलिक लोक सहमाते में भाग लिया है. रोड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाग को समझ लिया है एवं रोड निर्माण इत् सहमति दे थी है।
- यह कि प्रथम पथ सेड निर्माण से होने वाले अस्थायी आजीविका व्यवधान के खिलाफ
   किसी भी प्रकार के मुआवजे का दावा नहीं करेगा।
- यह कि दितीय पक्ष को अरधायी आ मैतिका सक्यान संगीत सहगति स्वीकार है।
- धढ़ कि द्वितीय एस निर्माण काय के दारान रांड के समीप स्थित तमा व्यवसायिक इकाईयाँ को मुक्तसान से बचाने क 134 राम्म समय सामानिया पूर्वक कार्य करेगा।
- १ यह कि प्रथम पदा द्वारा दिलाव पह को यह आश्वासन दिया जाता है कि वह (एमपी डी गी एसपी) अतमत रोड विभाग का निका प्रकार की कुरसान नहीं पहुंचाराम ना ही

Madhya Pradosh Road Development Corporation (MPRDC), Bhopai (a) विकास कर का के कार्यास्तर में अवस्थान पैदा करेगा एवं ला है है। E है है पासिस 1. ार प्रस्ति के विकास के तिल्लाका अधिक (Provide to or पूर्व कि कि प्रस्ति के तह है। उठ अपने क्षिण जान का अधेश से गढ़ सहमारे पर का विकास कर कर कर के कारण में अपने पर अने पर्याप में अपने विकास गाम की हम परिवर्त की 46 M 18 64 4 हिताय पढ़ा को जार से अधिकर व सङ्घार प्राथम पश्च 🕟 411-4/E (भोड़र सहित) MICHARIA guig 57 HG 1 STORES नक सागिद्रें औप छाड़ा प्रायम लॉलेगाव धरा पता 2 हरतीक्षर 5 इंड्रसाझड APR SPERI DIVAT नाम - अभत्य (धंद पूरा पता - लाहा गावि पुरा पता - लान गाव

(१.दाह :साक्ष्म म मात्र क सरपुच, ४३म प्रधायत के सदस्य, डी.मी.आर करान्तरण के प्रतिनिधि, एक शास्त्र मोत्र रामहन्ति के प्रातिनिधि तथा यथा के नुसुर्गे / गांस्ट नागरिको गां शामिन किया जा प्रकार है।



0

1

0

0

0

)

0

)

)

)

J

Ú

J

J

### Madhya Pradesh Road Development Corporation (MPROC), Bhopal

#### सहमति पत्र

(व्यक्तिसम्बर्धः ५५ ७ १०॥५२ करने हेत् )

पह राहमाते पत्र दिनाक . 2014 का श्री / श्रीमाचे स्वीमि जि**पाँउ श्रीम** । अस्ति । अस्ति

गणान्य साक्षी की वर्णारशात में यह दहतानन निष्णादित किया पदा है।

- अपना फलपान क्रम्म प्रक्ष दुकान का स्वामी/क्रियमेदार/अतिक्रमण्यारी /फेरी वाला है। तथा क्रम्म फलपान क्रम्म व्यवसाय विकले . वर्षा से इस स्थान पर दला रहा है। दुकानवार इस दुकान का पददेवार अ/नही है। प्रस्तावत सरक के निर्माण के वीरान व्यवसाय क्रम्म स्वामी/पटदेवार का व्यवसाय तथा आमदनी सहक निर्माण के वीरान वाजित अने की आशका है। यह कालाको 30 जिन से अधिक नहीं होगी।
- 2 यह कि प्रथम पक्ष में मध्य प्रदेश जिला कलेक्ट्रीविटी क्षेत्र परियोजना (एम.पी.डी.सी.एस.पी.) वर्ष आवश्यकताओं के तहल अधीजित सार्वजानक लोक सहमारे में भाग लिया है, राउ निमाण से प्राप्त होने वाले लाम को समझ लिया है एवं रोड निमाण हत् सहमारी दें दी है।
- 3 यह कि प्रथम पक्ष द्वारा अपनी गजी से वाम लाल मार्च हिर्म सिहसील स्विट्र भी रू....मैं (एम. पो.डी.सी एस पी.) अवर्गत रोड़ निगांण धीकास हेतु आपनी आजीविका में संगावित अस्थायी व्यक्तान को देखते हुये भी सहमति प्रदान को है।
- 4 यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने वाले अस्थाया आजीविका व्यवधान के जिलाफ किसी भी प्रकार के मुआवजी का याचा गर्म करेगा।
- 5 यह कि द्वितीय पक्ष को अस्थाधी आजाएका अवचान संबंधित संज्ञाति खोलार है।
- 6 वह कि व्हेताय पर निर्माण कार्य के दारान राज के संनीत स्थित सभी व्यवसायिक इकाइयां का नुकसान संबंदाने के लिये सभी रागव वाल्यानिया पूर्वक कार्य करेगा।
- 7 यह कि प्रथम पक्ष द्वारा हितीय वह को यह आश्वासन दिया जाता है कि वह (एमपी डी सी एसपी) प्रतमत रोड निर्माण को विक्सी प्रकार का नुकराल नहीं पहुंचारीया ना ही

Madfiya Pradesh Soud Development Corporation (MPRDC), Bhopal रावनिक । छाना क राजमार व अध्यार १ म करेगा एवं सा ही ऐसे छात्र हैं । पद कि दोन पत पूर्व में भेरीकृत है। जनगा प्रस्तांकित इस संद्र निमाण १६ ५ किए । पद्ध कि उद्याशाहत किए जन वर्ग वर्ग व सु पद सहस्रति गत्र प्रमाची अगा। साक्षी गणाव है । वर्षाति में वाल कर ने अप जिल्ला तारीख को उस मार्क हो इरलाश्रीता क्रिया है। हितीय पर की और से अधिका र्यक्तार प्रथम क्या इंट्लिसर प्रथम क्या (गोहर सहित) गवाह गावाह 1 Bemare (Va ा दश्यादार, नाम राम् (कार्यक्रम देश तता - प्यापिभाव परा पता - क्योभी(भा 2. हरतासर 2 इस्साक्षर मा- लेकार्व्याम पुरा पता - ल्लोकी सार्व

शाहर / साक्षी में मान के सरपन, ग्राम पन्नयत के सम्बन्ध जी पीआर, कंसलंडेट के प्रीपंतिन वर शासकीय संबदनों के प्रतिनिधि तथा ग्राम के बुद्धें/वरिष्ट भागरिकों को शामिल विजय Si that is

0

1

0

77

0

0

0

7

0

0

0

0

0

)

1

)

)

)

U

0

J

J

0

Madhya Pradesh Road Development Corporation (MPRDC), Bhopal

#### सहयति पत्र

(व्यक्तिमान क्षा स हरनासन करने केंट्र)

ए कर / सामी की उधारविक्षेत्र में यह दस्तातन निष्पादित किया गया है।

- मत कि प्रथम पक्ष दक्तन का स्वामी/विन्सपेदार/अतिक्रमण्यासे / फोस वाला है। सथा पर प्रथम। पानि ..... व्यवसाय फिल्ल .... चर्म से इस स्थान पर बला कर है। (कानवार इस दुक्तन का फटेदार है/ नहीं है। प्रस्तादित सतक के निर्माण के दौर न यदस्य का स्वामी/परदेवार का अवसाय तथा आगदनों संद्रक निर्माण के दौर न बाधित होत और प्राथकत है। यह कात्सवाओं 30 दिन से अधिक नहीं होगी।
- 2 पर कि प्रथम प्रक्ष ने कथ प्रदेश जिला कनेवटोविटी क्षेत्र पहिसानना (एमपी.डी.सी.एस.पी.) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सावनानक लोक सहमति में भाग लिया है, संड कियोग से प्राप्त होने वाल लाग की समझ लिया है एवं राड निर्माण हेतु सहमति दें दी है।
- 3 यह कि प्रथम पक्ष द्वारा अपनी गर्जी से ग्रामल्यक्त आंचु तहसाल कि क्रिक्टिंग में समावित अरवाणी व्यक्तमा का देखत हुए भी सहमति प्रदान की है।
- 4 यह कि प्रथम पक्ष शैंड निर्माण से होन वाले अस्थायी आजीविका व्यवधान के दिवलाफ किसी भी प्रकार के गुआवजे का दावा नहीं करेगा।
- 5 यह क दितीय पदा को अरधायी आजीविका वानधान संबंधित सहगति खोकार है।
- ह. यह फ द्विताय पन निर्माण कार्य के दौरान रोड क समीप रिश्वत राभी व्यवसायिक इकाईयी की नकरान से बचान के लिये सभी समय सावसनिया जाक कार्य करेगा।
- महिल्लाको अनुमति सह निर्माण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुनायेगा भा है।

0

0

0

0

0

0

0

0

)

J

Madhya Pradesh Road Development Corporation (MPRDC), Bhopal लचनानेक बाहुना के आध्यासन में १००० एक र भार एवं वह ही ऐसे कार्य से अध्यान \*\*(f^ f अत क्षेत्र दास्त वक्ष (त्मापा १ सा. ० पा.)
 साह का विकास सम्बद्ध (तमापा १ सा. ० पा.) a पद कि दलासारेंट कियु जान के 1757 व 115 प्रदेशाते पत्र प्रमाने क्रिका ाहार प्राप्तहों की अवस्थित में हैना पह है . अमेरन **दरीस को** इस पत्रक है। दानामध्यः भित्या है। अवाय पश की और स अधिकार उपन्यस् द्वराम पश्च ल्यन्त्रिका कामा ्रमध्य सहित्र) ग्रहर ा हरतासर अदिभाग 1 SCHERY STATES THE ना अस्ति। शामी पुरा प्रता क्षा पता - स्त्रात्मभाव

य प्रताहर १ वर्ग - कालिक रहें प्रताहर प्रताहर प्रताहर प्रताहर स्वाहर प्रताहर प्रताहर

्राक्षाह्म र साक्ष्म में मान के रारपन याम प्रनायन के सदस्य जी पीआर कसलटेट के बीतिनान यह शासकीय संगठनों के प्रतिनिधि तथा याम के कृष्णे / वरिष्ठ नामरिकों को शामिल निया जा राकता है।

 $\bigcirc$ 

0000000

0

Э

0

Э

0

 $\bigcirc$ 

Ú

J

Madhya Prodesh Road Development Corporation (MPROC), Bhogail

### सहमति पन्न

्योकनात रूप से इस्ताक्षर करने हेतु }

यह सदम ! ११ व वितास 2014 को श्री/श्रीमति चेन्द्रा साह् "
जनाम स्टार्ग ११ (जिन्हे बाद में प्रथम पक्ष कहा जाबमा) एवं मन्य प्रदेश स्टार्ग (जना के एके प्रच के हितास पक्ष कहा जायेगा) के मध्य हरसाक्षारत किया गया ।

प्रदेश र (एवं) की जगरमाति में यह दस्तावेज निष्णादित किया गया है।

- 2 यह कि प्रथम पक्ष में एट्य प्रदेश जिला कर्न स्टोनिटों क्षेत्र परियोजना (एम पी की सी एस पी) की आवश्यकताओं के तहत आयोजित सावजानेक लोक सहमति में भाग लिया है, राउ निर्माण से प्राप्त होने वाले लाभ का समझ लिया है एवं राउ निर्माण हेतु सहमति दें दी है।
- 4. यह कि प्रथम पक्ष सेड निर्माण से होने वाल अस्थायी आजीविका व्यवधान के दिवलाफ किसी भी प्रकार के मुआवर्ज का दावा नहीं करेगा।
- 5 यह कि दिनीय पक्ष को अरधायी आजीतिका व्यवधान राजीन सहमति स्नीकार है।
- 6 यह कि दिलाय पक्ष निर्माण कार्य के वारान रोड़ के समीप रिवात सभी व्यवसायिक इकाईयी की मुकसान से बनान के लिये सभी वानव सामव्यनिया पूर्वक कार्य करेगा।
- गह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को यह आप्यासन दिया जाता है कि यह (एम पी डी सी एस पी) अतमंत संद निर्माण को किसी प्रकार का नुकरान नहीं पहुंचायुगा, ना ही

. इ.स.च. अटबो के अधारमन में	क्षामार पर अन्य पर कार पर्य कर्या में सामित
-9%	
ः । । इना १५ (एममी की सी एस व	१५ - अ.स. ६ ४४ व. १८ - १८ - १८ के.स. १८ स्टब्स्ट की
व 💎 । अस्तिवादित विशेष आने की आ	राया (र ५०) । अहर १४ वर्ग से (रेगर)
्या च्या । १ मा सामिती में सीमी	व्या व : व्या अर्थन को इब प्रका को
54 (40 \$) 1 h (5 \$)	
रामाद्या काम गर्म द्वार रामचु	्राप्तः पद्मः का और से आविकृतः भारतः कोति।
रवाह	4(4)
। दुरतासर	Authoritas
नन रेस्वा आइ	ाम क्रिकेश आवानाकर.
क्षा का नाटमान्	मामान क्षा भागान
2 \$KdKK	2 सरवाशर
माम - एक्सि मेन	m - mar ac
क्षाचा - जाल गांव	्रिय प्रसार के <b>िल्लिस व</b>

(मवाह / साठी में महब के रास्पय, श्राम प्रचायत के सदस्य ाहमें बार करालटेट के प्रतिनिधि, यर शासकीय संगठनों के प्रतिनिधि तथा एउम के बुजुर्ग / एटन नागरिकों को शामिल किया जा सकता है)

0

0

0

 $\cap$ 

0

0

О

0

0

J

J

ل

58 년도 : 역 : Hesh Road Development Corporation (MPRDC), Bhopat

# सहमति यन

्यात । सर् २० म वस्तायर करने 🚮 🕽

प्रमुख्याति चन विन्तातः १८०० व्या और श्रीमति **राजरा (विक्रा प्र** निवासी र स्वाहत् प्रस्तातः (किन्तु बाद में प्रथम प्रश्न कहा **आयेगा) एवं** मान्य प्रवेश रोड डाइक्ट्रिया र रोग्य के स्था ते ति (विक्रिया प्रश्न कहा जायेगा) के मध्य **इस्ताक्षा** किया मधा ।

मजाने / साक्षा की जपरिवात में यह दस्तावल निष्पादित किया गया है।

- में यह कि प्रथम पत्र दुकान का रवामी/किसमैदार/आविक्सणधारी / फेरी वाली है। स्था वह अपना कि है। प्रश्निक प्रथम पत्र विकास पित्रले . . . . . . वर्ष से इस स्थान पर बला राम है। दुकानवार इस दुकान का पट्टेंदार है/नहीं है। प्रस्तावित राउक के निर्माण के दौरान व्यवसाय का स्थामी/पट्टेंदार का व्यवसाय तथा आगदनी सड़क निर्माण के दौरान वाधित होने की अवस्थ है। यह कालावधी 30 दिन से अधिक नहीं होगी।
- 2. यह कि प्रथम ग्रह न महम प्रदेश जिला कनेक्ट्रिकिटी बाब परियोजना (एगपी.डी.सी.एस.पी.) की आ एम्फ्रिक्स के बहुत आमाजित सार्यजिमिक लोक सहमति में माम लिया है, बेड निर्माण से प्राप्त होने बाले लाम की समझ लिया है एवं रोड निर्माण हेतु सहमति दें दी है।
- 3. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा अपनी गर्जी से ग्राम ल्वाला<sup>ल</sup>कहसील ... क्षेत्रभाँ व् .... में (एम पी.डी.सी एस पी.) अलगंत राउ निर्माण विकास हेतु आपनी आजीविका में समावित अख्याची व्यवधान को दरने हुवे श्री सहमति प्रवान की है।
- यह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने वाले अस्थाकी आजीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के मुआवजे का दावा नहीं करेगा।
- यह कि हिरोग प्रक्ष को अस्थाया आजीविका व्यवधान संबंधित सहगति स्वीकार है।
- 6. यह कि हिंदीय पक्ष निमाण काथ के दौरान सेंड के समीव स्थित तमी व्यवसायिक इकाइयों को नक्षान स वचाने के लिये तभी समय सावपतिया पूर्वक कार्य करेगा।
- 7. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा दितीय पक्ष को यह आखारान दिया जाता है कि वह (एमधी डी सी.एसपी) प्रतयंत्र गड निर्माण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचागुंगा ना ही

Market Made of the Market of the State of t

नवार प्राप्त से क्षेत्र के अपने के आदे के आदेकते (महर कादन)

गवार गवाह

। इस्तावर से विकास के अपने के आदेकते विकास के अपने का आदेकते (महर कादन)

गवाह

2 इस्ताक्षर नाम - रिल्टा साह् नाम हानिता हिंदे पुरा पता - त्वाराह्माण पूरा पता करणा आधा

(गयाह / साक्षी म मा । के सरपंच गांग पंचायत के सदस्य डी.पो आर कसलतेट के प्रतिनिधि गेर शासकीय राग्यती के प्रतिनिधि तथा गांग के बुजुर्ग / विषय जाजारकों को भागित किया जा सकता है)

000

0

0

0

0

7

0

7

0

0

(1)

0

Madhya Pradesh Road Development Corporation (MPRDC), Bhopal

# सहमति पत्र

(22) Eपारक्षण (११३) के से १३

्रक्त रहामति पत्र दिश्तकः १८६६ में यो १२५८मा १८५८ होता प्रकारमः अस्तिकारणः (१८५८ हो १८५८ होता हो स्वयं प्रदेश १८५८ होताकारणः में स्वयं १८५८ होता हो स्वयं प्रदेश विज्ञानक प्रदेश दिलाय १८६७ हो अस्ति में स्वयं १८५८ होता

हमहा / साक्षा की अवस्थिति न पर १६६६ । में स्वयंग्रह तेन से सर्व है।

- उहा कि यथम पक्ष दुक्तन का स्वामी / जारायदार / जा किम्मयदार / जिसी बाला है। तथा तर अपना क्रिक्ति व्यवसाय विकले जाते से इस स्थान पर बला रहा है। दुकानदार इस दुकान का यह देश है / नहीं है। प्रतान विकले के निर्माण के दौरान व्यवसाय का स्वामा / पहादेदार का व्यवसाय तथा आधारनी सकत निर्माण के दौरान बाधित होने की आधारक है। यह कालावी 30 दिन से अधिक अपना ग्रामा।
- 2 यह कि प्रश्नम पक्ष न मध्य प्रदेश जिला कनेक्टोबिटी तथ तरण हना (एम.पी.डी.सी.एस.पी.) की आवश्मकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक राहणांत में भाग लिया है, एंड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाभ की समझ लिया है एवं रोड निर्माण हेतु राहगति दें दी है।
- 3 यह कि प्रथम पक्ष द्वारा अपनी मजी से ग्रामब्दितभाष तहराति (द्वारावित क्षाप्ति) अवगंत रोड निर्माण विकास हेतु आपनी पाजीविक में संभावित अस्थायी व्यवधान का देखते हुए भी सहमति प्रदान की है।
- वह कि प्रथम पथ्य रांड निर्माण से होने वाले अस्थाया आजीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के मुआबजी का दावा नहीं करेगा।
- यह कि दिलीय पढ़ा को अस्पाध्ये जाजीविका यनगान स्वाधन सल्मात स्वीकार है।
- यह कि द्वितिध्य पश्च निर्माण क्यमें के प्रीकृत रोड़ के सकीय किया सभी व्यवसायिक इकाईमें को नुकसान से बचाने के लिये सभी समय सावधीनिया पूर्वक कार्य करगा।
- 7 यह कि प्रथम पक्ष द्वारा दितीय पक्ष को यह आश्वारान विद्या जाता है कि वह (एम.पी.डी. सी.एस.पी.) अतमेत रोड नियाण को किसी प्रकार का नुकरान नहीं प्रहुषायेगा, ना ही

Machya Pladesis Road Development Corporation (MPRDC), Bhopal सार्वजारिक अन्तर के अन्य कर ने अन्य कर ने अन्य करेगा एवं या दें। ऐसे कर्या में आस्ति व 3121 / अब विक दोना एक एक एक माना का नामक अनुसान प्रस्तावित इस एक स्थापन कर सामान के 9 यह कि हरस्या है। इस एन हो जबार से यह सहमति वह प्रवास होगा। सम्बद्धियाम्बद्धी हो उन्हें। १ ए एक पन्ना है क्यार विक्रिय महीस ही इस एक हा हरताक्षारित किया 💱 द्वितीय पक्ष की भार से अधिकत इस्ता**क्षर** प्रथम प्रसार् देशको सराजी (मोहर सहित) यवाह. गवाह इस्ताक्षर पुरा पला -2. **हरसाक्षर** ...... 2 हरताक्षर WH - 2 (2) (2) (1) (4) पुरा पता - ल्योजि ाउन पुरा पता -

(गवाह / सार्था में पाव के उस्पन धाम प्रवासत के सदस्य, डी पीआर असलटेट के प्रतिविधि गैर शहराकीय संगठना के प्रतिनिधि उत्तर याम के कुन्ति/ गरिए नापरिका को प्राणिन निया जा सकता है)

H

CCCC

0

000000000000

0

O

J

Ō

)

Ó

Madhya Pradesh Road Development Corporation (MPRDC), Bhopal

# सहमति पत्र

व्याक्षणात स्वयं से इस्माधर करण

नवाहा / सम्बो की तवारवाते में यह दस्तावज निष्मादेत १५ व एवं उन्ह

- महिक प्रथम पद्म कृतन का खानि/किसमैदार/आवेकमण्डास /केसे एता है। तथा वह अपना हुन्। किन ज्यासम विकृत का किन हुन्। किन से स्थान पर मला रहा है। वृक्तानवर इस कृतन का पट्टेबर हैं/नहीं है। वृक्ताविक कि के विभाग के दौरान व्यवसाय मा स्थानि/पट्टेबर का ज्यासम्बद्ध आमवनी सदक विभाग के दौरान बाजित होने की आश्वक है। यह जानावारी 30 दिन से अविक नहीं होगी.
- 2 यह कि प्रथम पक्ष ने मध्य प्रदेश जिला कनेक्टीबिटी अन परिकालन तुमधी की की एस.पी.) की आनव्यकताओं के तहत आयोजित सार्वजनिक लोक सहमति म गाम लिया है. रीक्ष निर्माण से प्रश्त होने वाले लाम को समझ लिया है एवं रोग निर्माण हतु सहमति दें दी हैं।
- 3. यह कि प्रथम पट द्वारा अपनी मजी से ग्रामली क्यांचितहसील हिप्रोहीए .........में (एम पी.डी.सी.एस.पी.) अतमंत्र रोड निर्माण विकास हेतू आपनी आजीविका में संभावित अस्थायी व्यवतान को वस्त्रते हुव भी सहमति प्रदान की है।
- सह कि प्रथम पक्ष रोड निर्माण से होने बाले अस्थायी आजीतिका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के मुआवजे का दावा नहीं करेगा।
- इ. यह कि दिलीय पक्ष को अस्थायी आजी किया व्यवधान सब्दिन संहर्को स्वीकार है।
- 6 यह कि हितीय पक्ष निमाण कार्य के दौरान रोड़ के समीध स्थित सभी जावसाधिक इक्सेड्या को नुकसान से कारने के लिये सभी समय सावानिया पूर्वक काम करगा।
- 7 यह कि प्रथम पक्ष हारा द्वितीय पक्ष को यह आख्वारान दिया जाता है कि वह (एमपी डी सी एसपी) अतर्गत रोड निर्माण को किसी प्रकार का न्कसल की पहुंचायमा ना ही



Madhya Prudesk Road Development Enropration (MPRDC), Bhopai सार्ववानिक राहना के श्राम्पनं व अवस्ति वदा वदा प्रदेश प्रश्ना है। ऐसे कर्सी में भागिल धनः । का के दोना पता हुएएए। प्रशादन प्राप्त पत्रपादन इस रोज निमाण उत् सहनत ? व यह कि हरलाक्षारित काम तार ११ - १५ स यह रहताहि पत्र प्रमानी हासा। मधी / माही की एमर्रका में मान लगान घर भारता हरीय को इस अबक है। उस्तायारित किया है। ्राताय प्रथानी जार रा अधिकार इस्ताक्षर प्रथम पक्ष (मोहर साहैत) 11418 पत्राह 1 stunst > T हरताबार. ३६८.<sup>५८३</sup> 2. हेरलादार ...... 2. हरताबार..... नाम - जाना निर्देश (सार्धेंत्र ) नाम - विकास कार्य पूरा पता - ्राक्ष्मावित .. पुरा प्रशा - ल्योली भेगा

(गजाह्र/साक्षी में मांच के सर्घन, मान पत्मयत के सदस्य, डी पी आर करालटेट के प्रतिनिधि,
मेर शासकीय समद्यमां के प्रतिनिधि तक्ष प्राप्त क कुमूर्ग/विरिध्ध भागतिकों को शामिल किया
का सकता है)

0

 $\bigcirc$ 

 $\bigcirc$ 

0

 $\bigcirc$ 

0000000

Э

O

 $\odot$ 

 $\odot$ 

J

ر

)

Madiya Prodesh Road Development Corporation (MPROC), Bhopal

# सहमति पत्र

ा । इन ए रूप से इस्त एए करने हेनु ।

यह सरमारे १००२ । २००० २००४ को श्री / श्रीमति व्यान दिन हो। १८०० हो। १८०० विश्व में प्रथम पक्ष कहा अरमा) एवं मन्म प्रदेश महा इंड्रहरूप १८०० विश्व में प्रथम कहा जागमा) के मान्य इंड्रहरूप १८०० विश्व में प्रथम कहा जागमा) के मान्य इंड्रहरूप १८०० गुरा।

मवाह्म / साक्षी की उपाद गाउँ में यह दस्ताविज निष्मादित किया गण है

- मह कि प्रथम जा दुमन का लामी/किसपेदार/आतक्रमण्यार /फेरा मला है। तथा वह अपना क्षिक्रिक्ट का भाग पछले 24-25 वर्ण से इस करान पर बला उहा है। दुमानदार इस दुकान का पत्रदक्तर है/मही है। प्रस्ताचित सडक ह निर्मण क वीरान व्यवसाय का स्वामा/पद्देवार का व्यवसाय तथा आपदनी शहक निर्मण के दौरान वाधित होंगे का आगक्ष है। यह करना हों 30 दिन से अतिक नहीं होंगे।
- 2. यह कि प्रथम पक्ष ने मध्य प्र.1% जिला कनेक्टीविटी क्षेत्र पारवाजना (एए प्र.3) सी एस प्री) की आवश्यकताओं के तहत आवाजित सार्वजनिक लोक सहमति में भाग लिया है. एड निर्माण से प्राप्त होने वाले लाग को समझ लिया है एवं रोड निर्माण हेतु सहमति वे दी है।
- 3. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा अपनी मजी से ग्रामलाहाजावतहरील क्रिस्टार्गेर ...... में (एम. पी.डो सी.एस.पी.) अतर्गत शेर निमाण विकास हेत् आपनी आजीविका में रामावित अस्थायी व्यवसान की देखते हुए भी सवस्पत प्रवान की है।
- यह कि प्रथम पक्ष रोड निमाध से होने वाले अस्थायी आजीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के गुआवार्त का दावा नहीं करेगा।
- मा कि दितीय पक्ष को अरुपयी आजीविका व्यवणान संबंधित सहमान स्नीमार है।
- ह यह कि दितीय पक्ष निर्माण अध्य क दारान रोड़ के समाप स्थित रामी व्यवसाधिक इकाईया को नुकरान रा बचाने के लिय समी समय सावधनिया पूर्वक कार्य करणा
- ग सह कि प्रथम अश द्वारा द्वितीय पक्ष को यह आश्वारात दिया जाता है कि यह (एम पी डी सी एस.पी) अलमेत राज निर्णाण को किसी प्रकार के नकतान नहीं पहुचायेगा, ना ही



Madhya Pradesh Road Development Corporation (MPRDC), Bhopat ( ) वरण ( ) प्राप्त के आक्रमण के अवस्था के अवस्था

्मनाह / साक्षी में मात के सरपम, ग्राम प्रामाण पर सवस्म, और्षा आर करहलटेट के प्रतिनिधि तर असकीय समादनों के प्रतिनिधि तथा प्रामा ६ वृतुम / वरिष्ट नामरिको को स्थापेल विज्ञाः ार सकता है)

पुरा धना -

piterore - no no

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

)

)

)

)

### 12 July = 1 = 1 | Leave by ment Corperation (MPROC), (trange)

th Fire to ......

(then as a first of the second of the Sandte Day was

यह सहमति पत्र देशक अस्ति । अस्ति संभाते अपेन्द्र स्थित नेपाली क्याम गार्क अस्ति अस्ति अस्ति अस्ति । अस्ति अस्ति ।

मनाही हुनाती के कारणका के उन्हें इन्होंने के किया किया है।

- उसह कि प्रथम प्रश्न होर अपनी मर्ज स पाम लाग्निम्मकत्तहरील सिद्धभेट् में (एम प्रोडी सी एसपी) अतर्गत एवं नियाप दिन्दारा हेतु आपनी आजीविका में सम्पादित अस्मावी अवधान को देखते दुर्ग में सहग्रात प्रतान की है।
- : यह कि प्रथम पद्म रोड निमान के तीन वाले अस्थायों आजीविका व्यवदान के दिलाफ किसी भी प्रकार के मुखानन का दाना नहीं करेगा।
- ५ चत् कि द्विताय पक्ष को अन्त्राची जन्माचिका याच्यान संबंधित सहमति स्वीकार भे
- इ. तह कि दिसाय प्रश्न (नेवाण काथ के तहन रहत के सभीप दिवस सभी व्यवसादक इन्तहता को नुकसान से बचान के (तथ तही तक) उन्हें उत्तविया पूर्वक कर्म करेगा।
- सह की प्रथम पक्ष प्राप्त दिवान का का का अध्यासन दिया जाता है कि यह दूपना तो दो (संग्री) प्रजान तेन विचान का करने प्रकार का नुकतान नहीं पहुँचानित का ते

M. Le Brown Dovelo	opment Carage de l'étanne : Éhopal
The second strength	5g 46 3 m 1 5 3540
	Paragraffic 301 St. ear
a compared to the first of miles in	
0.1 1 2 3	
अप्रदर्भन	विसंध्य अस्त वर्ष अस्ति वर्ष अस्तिकृति (वीवर सर्वेद्रा)
that 6	THE
। व्याप्त वित्रकृत	1 states 32 uses Har
च्यांच्यान्य	पुरु चटा १९भागाम्
2 STORES STIPLET	s erone 3 millan
THE FORES PORT	नाम -
मुत्त पता को प्रस्त	पूरा पता -

मानुक कार्यों के बाद में प्रसाद पाम मान्या के सदश्य औषी और कराबदेंद से प्रतिभित्ते के अपनेदार कि इस के प्रतिभिद्धे पाम मान्या के सदश्य औषी अस्ति कराबदेंद से प्रतिभित्ते मानुकार में)

0

0

O

Manahya Prada te ties at these and a self-transporter in (MPRDC), Bhopat

00000

 $\bigcirc$ 

0000000

0

0

)

0

1)

STREET AND THE STREET

न इनका र सारक्षी विके अपरिवादित न अन्य १५०० । १ (नाम दिवादिका प्रयास है।

- ्र पर रहे प्रथम प्रस दुकान का जाए। (क्रिस प्रश्न र क्रिक्सणपास / पेसी धाला है। तथा र अपना श्रीपर ... जातस्य प्रकृत जिल्ला जिल्ला जिल्ला जिल्ला है। तथा से इस स्थान पर बला ला र, नुकानवार इस दुकान का पर बार र कान के अलाहित राजक के नेगाण के दौरान राज्य का स्वामी / पहलेदार का अवस्था । एवं जाए रही सहक निर्माण के दौरान सिहत रूप हो आहान है। यह कालावार 30 एटम ए प्रामेक नहीं होगी।
- ्या कि अध्यस्त पक्ष में मध्य प्रदेश किला कर्ज एटें " राज प्रश्मिणना (एमपी खीसी एस प्रो) को अध्यस्त क्रांओं के तहत आयोजित क्रांजिक लोक सहमति में भाग निया है, राज क्रिमांण से प्राप्त होने वाले लाग को समझ निया है एवं सेंड निर्माण हेत् सहमति दे दी है। यह निरं प्रश्म पक्ष द्वारा अपनी मजी से उनका लिए " तहसील क्रिस्टमांक में समावित अस्पार्थी व्याप्त को दसने होते भी सहमति प्रदान को द
- । यह कि प्रथम पक्ष शैक्ष निर्माण से होने वाल अस्थाया आजीविका व्यवधान के लिलाफ रोजसी भी प्रकार के मुजावजे का याचा नहीं करण।
- ं का कि किसीय पक्ष को अस्तावी आलोगेला जावजान संबंधित सहपति स्वीकार है।
- कर कि दितीय पर निर्माण कांग के दोरल के क संभी ए स्थित सभी व्यवसामिक इक्टाइक
   क क्वर्य करणा।
- ागा कि प्रथम पक्ष द्वारा दितीय गक्ष की यह आश्वासन दिया जाता है कि यह (एमणी हैं। अस्ति मा अस्मित साई निमाण की किसी प्रकार की नुक्तान नहीं पहुंचाराण ना ले

0

0

0

0

0

)

)

)

Hand a strong fallowed to be a concent a orporation (MPR's a Program and the second s -111 ) पत्र कि इस्पाता के अन्य का कि है का तहमती पत्र प्रनादी हुए। SMIRE LAN. 1) ्रितीय पक्ष की आहे हैं जाता त्रसम्बद्धाः प्रथमः च्याः १९३५ च उत्तरे च भाइर सहित् Proper. 1 5301613 1 (\$70) 87 मार्गार जीव स्थान भाग भी दिस पूरा पता अति पीरा 2 6331313 a Remark नाम - अभि किरिक - मान नाम व्याप्तिका व्यामि वृश पता – स्वरभू जान्व

(मामहाश्यास्य न भाग में संस्थात, याच प्रश्नावत के संस्थाय की पी आर करालदेट के प्रतिस्था तह संस्थानिक स्थानिक संस्थाय के द्वाराचीत संबंध बान के कुनुमें श्रावित नामरिका को शामित (1) प्र आ स्कार है)

0

0

0

0

0

0

0

7

7

1

0

0

0

D

)

0

)

1

)

0

)

1

Marky - Proceds Road Development Corporators (MPROC), Boothal

### सहमति यस

for the second state of the

्राव के द्वार के का अवस्था के कर उद्योग किया नहीं है।

् । अर्थु को उपस्थिति में यह दस्ताकर भाषतीय किया गया है।

- १ ६० १० १० वस दुकान का स्वामी / किसाधार पाणक्रमण्यारी / फारी गानी दे। तथा १० १० वस्त्र को स्वताय विश्वलं ची. ३ वर्ष से इस स्थान पर प्रता रहा १ १० वस्त्र इस दुकान का प्रदेशार है/ ची. है अस्ताकि तहक के निर्माण के दौरान १० १० वस्त्र के उत्तरी / प्रदेशार का प्रवसाय तथा आगदनी सहक निर्माण के दौरान बाहित १० ६० वस्त्र का स्थान है। यह कालावधी 30 दिन से अधिक नाम होती।
- मात के उपन पत ने क्य प्रदेश चिला कनेक्टीएडटो एक प्रदेशाजना (एम पी क्षेत्री एस को का अवस्थाजना (एम पी क्षेत्री एस को का अवस्थाजन के सहस्र आयोजित सार्यजनिक अवस्थानिक में भाग जिला है, ऐडि नेमान से पान होने याले लाग को समझ लिए। है एवं रीड निर्माण हेतु सहमति वे वी है।
- यह १३ एउम प्रता रोड निर्माण हो होने वाले प्रस्थायी आजीविका व्यवधान के खिल्हाक चित्रंथ भी प्रकार के मुआवजी का दावा नहीं करेगा।
- चंद्र (व. (द्वारात पत्र को अस्त्रायो आजीविका व्यक्तान संपंचित सहमति स्वीवगर है) ।
- प्रतासिक द्वारा प्रतास के लिए सभी संभव सावधानिक पूर्वन कार्य करेगा।
- ं यह कि उपन को द्वारा दिशीय प्रश्न को यह आश्वातक दिया जाता है कि यह (एमणी है। जो एकाम, कार्योग रोज विमाण को किसी प्रशान को कुछमान नहीं पहुँकार्यमा का ले

Madhya Procesh Post 6 mes	august apporation (MPRDC), Bheps
met para super a massion	ा । इस्तार के शिक्षानी के साहित्र
्राप्ता व वार्त्र क्षेत्र क्षाची वार्त्व (वार्त्व क्षेत्र क्षाची वार्त्व वार्त्व वार्त्व वार्त्व वार्त्व वार्त्व वार्त	
) यह के इस्तावधिक किया नाता का	r जानत प्रज प्रसाधी झेंगा।
लाई , वर्षा सं अस्ति है। इस का व्यास्ति है। जानुस्ति केसी है।	· १५ / शहर की इस प्रकार व
भीम द्वाला कार्रेक्ट	। १९४५ व्या की और से आदेवता १९५६ (सहस)
rate	गहर
१ वृद्धताक्षर	1 FRIBIT PA
<sup>लाम</sup> भीमञ्जाकंद कारिक्ट्र	भू केशा स्थापहरू
वृश क्या - लशस्त्र भाग	प्राप्त - एको
2 Steller	2 source 3 water the
नाम राजिबा मेन	1971
पूरा पान लाज गाव	पूरा वसा —

(माम) / साक्षा में कृत के सुरक्षत प्राप वताया के सदस्य आयोजन कसलाईट के प्रतिनिधि

ोर बातकीय संस्थान के प्रतिनिधि तथा पान के बुद्धी अरोध नागरिकों की आणिल

Semi-Annual Monitoring Report, July 2015 – Decomber 2015

वा सम्बा है)

0

()

0

0

0

0

000000

0

)

O

)

Э

Washing an acosh Road Development Corporation (MPROC), Bood if

# सहमति गन्न

ाहिता । अप व दुस्ताबर करने हैं।

2014 को भी/भीएते किन्दिक लियारी मेन्द्र द्वाद में प्रथम प्रक्ष कहा कार्यस्थ मध्य द्वाद गाण है हो न (दुनाव प्रस्त किन जार्यस) के भव्य इस्टाक्षर (किन्द्र स्था)

एक प्रशासित हो संपार्थित में पढ़ वस्तावज निष्यावित हेल्या एया है

- मह कि क्षात्र एक दुकान का स्थामी/किलावार/आविकाणधारी /पारी कना है। तथा वह जगान धान भी विसाय पिछले . ...18 वर्षा से इस स्थान पर अला ला है। तुकानक उन दुकान का परदेवार है/पा है। प्रस्तानित सड़क के निमाण के बीरान आवताथ के निमाण के बीरान आवताथ के निमाण के वीरान आवताथ के निमाण के वीरान आवताथ के निमाण के वीरान आवताथ संध्य आमदनी सड़क निमाण के वीरान आवताथ संध्य आमदनी सड़क निमाण के वीरान आवताथ संध्य अम्मदनी सड़क निमाण के वीरान आवताथ संध्य अम्मदनी सड़क निमाण के वीरान आवताथ संध्य संध्
- 2 यह कि उन्ना क न क्या प्रदेश जिला कर्नक्वावटा क्षेत्र प्रारंगानना (एमपी डी सी एस पे) का आवश्य क्रवाडा के वहत आधानित सामनित लोक सहनति में माम जिला है. रोड विभाण से प्रदेन होने गान लाभ की समझ लिया है एवं सेड निमाण हेतु सहनति वे वी है।
- 3. यह कि प्रथम वहा द्वारा अपनी मर्जी से ग्रामालीए मितहरताल शिरमें रू ... में (एम पी डी सी एस पो ) अपनेत रोड निर्माण विकास डेत् आपनी आमीपिक में समावित अस्थावी व्यवसाय का : 1-र हुये भी सहमति प्रवान की है।
- यह कि प्रधार पक्ष सेंद्र निर्माण से होने वाले अस्थायी अस्त्रीविका व्यवधान के लिलाफ किसी भी प्रकार के पुआधाने का थावा नहीं करेगा।
- मह कि (देवीय एक्ट को अस्याधी आजीतिक याज्यान राज्यात सहमति स्वीकार है।
- 8 यह कि कि कि कि का निगण लगा के दौरान राज के समाव संख्त सभी व्यवसायिक इकाईयाँ की मुकस्तान के बनान के लिए सभी समय सावानिया पूर्वक कार्य करेगा?
- र यह कि प्रथम पत्त द्वारा द्वितीय पत्त को यह आश्वासन दिया जाता है कि वह एम पी डी सी एस थे। अन्य । रोड निर्माण को किसी प्रकार का मुकसान नहीं ग्राह्माय ना ही

at adhya Pradesh Road Develop	more Commention (MPROC), Bhopai
•	. १४७ - १३ वर्ष अपने में सामित
्राच्या एक प्राप्त के स्वर्थ के स्वर्ध के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्ध के स्व	
पार पार के अधिकार के इसर पर - वाद के हैं।	
व्यक्ति काल वर्ष	्राच्य वहां हो और से अधिकृत (मोच्य व्हेड)
नाम निर्देश भीवादी पुरुवार सम्बद्ध गरिष्	्रका (नाडु ज्या कापुणांच
१ हरताहार नाम = धर्मेंद्र पुरा पता = प्रम देन गांव	2 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
एवाड / साझी न गांच के रास्पच, गांम प्रधायत के वह शासकीय (११: व्या के प्रतिनिधि तथा छोग के	सवस्य, व्याप क्यालटेट के प्रतिनिधि;
at (1461) 3)	totaon tato.e2



 $\bigcirc$ 

0

 $\cap$ 

Ó

Madhya Produce Road Development Corporation (MPRDC), Bhopul

### सहमाति पत्र

9.4 (4.39)

यह सहको पर हें के 2011 वर्ग भा में श्रीमति महिंदा देखित केवाची **भा स्पर्धार्थत** । इस्ते कहे में देक पहले प्रमुख कहा कार्यमा) एवं मध्य कहा रोध केह सम्बंध हारणीयाः होपान १ . से १० वर्ग वर्ष कहा वर्षण) के मध्य इस्तामारत किया गाव

यवाहो (१ साथ १४) १४ १४ १ में बार दस्तरकत निष्मादित किया गया है।

- 1 यह कि प्रथम क्या देकत का स्वामी / क्यां वेदार / आतात माकारी / क्या वाला है। तथा वह अपना वात्राम विक्रते 16-17- वर्ष से इस क्यांन पर कता का है। तुकानदार इस त्वान का प्रज्ञार है / नहीं है। प्रस्तावित सडक के निर्माण की वीदान व्यवसाथ का स्वामी प्रक्रित का व्यवसाथ तथा आमदनी सडक निर्माण के दौरान वािस होने की आधाक है। पर काला जो विन से प्राप्त का होगी।
- 2 यह कि प्रथम कर न अब प्रवेश जिला कनकराविद्ये क्षेत्र अस्थाजना (एम.पी.डी.सी.एस.पी.) की जावश्यकताओं के तहत आधाजत सार्वजनिक लोक ता मीते में भाग त्रिया है रोड विमाण से प्राप्त यन वाल लाम को समझ लिया है एवं रोड निमांण हेतु सहमति दे दी हैं।
- 3 यह कि प्रथम प्रस द्वारा अपनी मर्जा से ग्राम लाइन्स्मिह विस्ति हैं। प्रोही सी एस प्रो) अतमत रोड निर्माण विकास हेतु आपनी आजीविका में समावित अरथायी व्यापान को देखत हुए भी सहयति प्रयान की है।
- 4. गढ़ कि प्रथम पक्ष शंड निर्माण से होने वाले अस्थायी आवीविका व्यवधान के खिलाफ किसी भी प्रकार के मुआदवी का दावा नहीं करेगा।
- इ. वह कि द्वितिय पक्ष को अस्तिमों आजाविका व्यवनान संपाचन संस्थाने स्थोकार है।
- 6 या कि दिसंध्य पत्त ।वम्मण कार्य के दौरान राउ के समीप स्थित सभी व्यवसायिक इकाईयों को नुकताल से बचान के लिये सभी सभव वाल्यनिया पूर्वक कार्य करेंग्य।
- र गाँँ कि प्रथम पक्ष होना दिलीय पक्ष को यह आश्वासन दिया जाता है कि वह (एन पी डी सी (साधी) अवस्त रोड नंगमण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंच्यांगा ना ही